Sub Inspector (Basic Course)
PAPER - X
Peace, Security & Public Order,
Road Safety and Traffic Management

A. Crowds and Unlawful Assemblies

1. Dynamics of Group- Group Pressures: Group Goals; Group Conformity
2. Individual and mass behaviour in extreme situations (crowd psychology and behaviour, Joint Liability, Common intention, unlawful assembly)
3. Control of Lawful and unlawful assemblies (Crowd control techniques and Deployment techniques)
4. Principles of crowd control.
    - Correct police attitudes in dealing with different classes of agitators.
    - Collection of intelligence.
    - Counseling and mediation.
    - Rumours.
    - Anticipation of Law and order situations.
    - Special problems in dealing with Agitations of Students, labour, farmers, women and other weaker section.
    - Use of Force and Less lethal methods of dealing with violent crowds
    - Optimization of resources
5. Arrangements for festivals
6. Broad principles of riot schemes
7. Problems of mobilization, command and control.
8. Broad principles of deployment of Home Guards, Para-military forces; method of co-ordination and co-operation.
9. Dealing with communal Tensions/ riots. Handling communal problems - climate, tension, apprehension and incidents.
10. Judicial enquiries
11. Election management – Maintenance of order during elections
12. Combating mafias and organized criminals

B. Collection of intelligence, Security and Foreigners Surveillance and collection of Intelligence

1. Surveillance- Purpose and Objects
2. Surveillance on suspects and foreigners
3. Collection of Intelligence- Art and Craft.
4. Intelligence on Anti- social elements.
5. Legal Interception
6. Interstate movement of suspects
7. Security and Foreigners (relevant Law)

C. Traffic Management

1. Concept and techniques of traffic management including engineering, education and enforcement
2. Traffic Police organization and functions
3. Road Safety Education
4. General principles of law and regulations affecting Traffic enforcement, organization and administration, Traffic Laws & Rules, Preparation of challan for important traffic offences
5. Traffic codes
6. Vehicle registration and control
7. Traffic planning and co-operation with other departments
8. Road courtesy.
9. Traffic problems
10. Importance of Human factors in Maintenance of machines.
11. Importance of traffic regulation-human, physical, automotive and computer
12. Managing traffic jams – Preparations of bandobust scheme for VVIP movement, religious / political / cultural functions and rallies.

D. Internal Security

1. Introduction to internal security and threats to internal security including non-traditional internal security concerns, prevailing scenario
2. Various types of extremism including Left Wing Extremism, Militancy, Insurgency, Terrorist activity and religious fundamentalism (case studies to be discussed)
3. Various terrorist/extremist local, national & international organizations & their operational strategies
4. Counter measures, strategy, and tactics to deal with terrorism, insurgency, and left wing extremism
5. Internal security schemes
6. Counter Terrorism and Counter Insurgency operations

E. VIP Security

1. Security of VIP
2. Concept of VVIP and VIP security
3. General Principles of VVIP/VIP Security
    - Collection of Advance Intelligence prior to the arrival of VVIP/VIPs
    - Threat perception
    - Threat assessment
    - Advance Security liaison (ASL)
    - Physical deployment
    - Access control
    - Anti-sabotage check
    - Contingency arrangements
4. Security arrangements for VIP
    - At place of stay

- At a public rally
- During movement by road including convoy arrangements
- At helipad/airport

5. Individualistic Security
    - Category of security: Z+, Z, Y, X scale
    - PSOs
    - Gunman security
6. Vital Installations & Industrial Security
    - A B C category
    - Security audit
    - Security arrangements
    - Security arrangements at places of High Foot Falls
    - Security arrangements for Foreign establishments
    - Use of security related equipments

F. Disaster Management

1. Types of Disaster:
    - Geological: Earthquakes, Tsunamis, Volcanoes, and Landslides
    - Climatic: Tropical Cyclones, Floods, Drought
    - Environmental: Pollution, Deforestation, Forest Fire
    - Epidemic: Outbreak of communicable diseases
    - Industrial Accidents: Water Flooding in to a mine, Gas leak in factories
2. Disaster Preparedness and Planning: Disaster management structure at district level, role of civic authorities in disaster management.
3. Emergency Relief Assistance in Natural Calamities: Role of police as first responders
4. Evacuation drills for natural and manmade calamities - Mock drills
5. National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, National Disaster Management Act 2005
6. Coordination with other departments 0
7. Function of Emergency Response Centre

अनुक्रमणिका

मोड्यूल	विषय	पृष्ठ सं.
A	भीड नियन्त्रण एवं विधि विरुद्ध जमाव	5–48
B	आसूचनाओं का संग्रहण, सुरक्षा एवं विदेशियों पर निगरानी	49–60
C	सडक सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन	61–91
D	आन्तरिक सुरक्षा	92–107
E	वीआईपी सुरक्षा	108–129
F	आपदा प्रबन्धन	130–145
	नमूना प्रश्न पत्र	146

मॉडयूल A

भीड़ नियन्त्रण एवं विधि विरुद्ध जमाव

1. समूह गतिकी–समूह दबाव, समूह के उद्देश्य, समूह अनुरुपता

समाज मनोविज्ञान में समूह गतिकी एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। इस सम्प्रत्यय का प्रतिपादन सबसे पहले कर्ट लेविन ने 1945 में किया। लेविन के अनुसार समूह गतिकी से तात्पर्य समूह के विशेषकर छोटे समूह के उन बलों एवं प्रभावों से होता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है। स्पष्ट है कि समूह गतिकी का तात्पर्य समूह के भीतर के उन बलों एवं दबावों से होता है जो सदस्यों के व्यवहारों को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं।

फलस्वरूप समाज मनोवैज्ञानिकों ने समूह गतिकी के अन्तर्गत समूह के भीतर भिन्न–भिन्न तरह घटित प्रक्रियाओं जैसे– शक्ति, भाक्ति परिवर्तन, समूह निर्माण, नेतृत्व, अन्य समूहों के प्रति प्रतिक्रियाऐं, निर्णयकार्य आदि के अध्ययनों पर अधिक बल डाला है। चूँकि इन सभी समूह प्रक्रियाओं का प्रभाव छोटे समूहों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, इसलिए कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों, जिनमें लेविन भी है, ने समूह गतिकी का प्रयोग छोटे समूह तक ही सीमित रखा है। फिशर के शब्दों में, ''समूह गतिकी अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है, जो उन बलों या दबावों पर प्रकाश डालता है जिनसे छोटे समूह में व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है।''

लेविन तथा फेल्डमैन का मत है कि समूह और उसका वातावरण एक साथ मिलकर व्यक्ति के लिए सामाजिक क्षेत्र का निर्माण करता है। इस सामाजिक क्षेत्र में समूह के प्रत्येक सदस्य का एक अपना विशिष्ट स्थान होता है। प्रत्येक सदस्य अपने इस विशिष्ट पद या स्थान के अनुसार व्यवहार करता है। प्रत्येक सदस्य का व्यवहार अन्य सदस्यों द्वारा किये गये व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है। इसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने गत्यात्मक अन्तरनिर्भरता कहा है।

समूह में संसक्तिशील तथा विघटनकारी दोनों तरह के बल कार्य करते हैं। इन दोनों तरह के बलों से सदस्यों का व्यवहार प्रभावित होता है तथा समूह में परिवर्तन आता है। जब सदस्यों के बीच का सम्बन्ध सहयोगी तथा आकर्षक होता है तो समूह में संसक्तिशील बल कार्य करता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो पाती है। जब सदस्यों का वैयक्तिक लक्ष्य तथा समूह के लक्ष्य में संघर्ष होता है या सदस्यों के बीच उचित संचार में बाधा होने से उनके बीच दीवार खड़ी हो जाती है तो समूह में विघटनकारी बल अधिक सक्रिय माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में समूह का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

पीछे के विवरण से 'समूह गतिकी' के संप्रत्यय के बारे में हमें निम्नांकित तथ्य मिलते हैं–

(i) समूह गतिकी में समूह में व्याप्त उन बलों का अध्ययन किया जाता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार प्रभावित होता है।

(ii)समूह से संसक्तिशील बल तथा विघटनकारी बल में से कोई भी बल कार्य कर सकता है तथा सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है।

(iii) छोटे समूहों में इन बलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। फलतः छोटे समूहों में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है।

समूह समग्रता का अर्थ – समग्रता समूह की संरचना का एक प्रमुख विमा मानी गयी है। ऐसे तो समूह समग्रता को भिन्न–भिन्न अर्थों में लोगों ने प्रयोग किया है परन्तु समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग एक खास अर्थ में किया है। समूह समग्रता से तात्पर्य इस बात से होता है कि समूह के सभी सदस्य किस सीमा तक समूह में बने रहने के लिए प्रेरित रहते हैं। जिस सीमा तक समूह के सदस्य समूह में बने रहने के लिए प्रेरित रहते हैं, समूह की समग्रता उतनी ही अधिक समझी जाती है।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समूह समग्रता यह बतलाती है कि सदस्यों के लिए समूह कितना आकर्षक है। जिस कारण से भी सदस्यों के लिए समूह जितना ही आकर्षक होगा, सदस्य उतना ही समूह में बने रहना चाहेंगे और तब समूह की समग्रता उतनी ही अधिक होगी।

फेल्डमैन के अनुसार, '' समूह समग्रता से तात्पर्य उस सीमा से होता है जिस सीमा तक समूह के सदस्यों में सदस्य बने रहने की इच्छा होती है।

फेस्टिंगर के अनुसार, '' समूह समग्रता उन सभी बलों के परिणामी होता है जो सदस्यों को समूह में रहने के लिए बाध्य करता है।'' ऐसी ही अनेक परिभाषाओं का वि लेषण करने पर हमें समूह समग्रता के बारे में निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं–

(i) समूह के सदस्यों द्वारा समूह जितना ही अधिक आकर्षक दिख पड़ता है, समूह में समग्रता उतनी ही अधिक होती है।

(ii) समूह में समग्रता अधिक होने से सदस्यों में सन्तोष की भावना अधिक होती है।

(iii) समूह में समग्रता होने पर सदस्यों को समूह लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए अधिक प्रयास तथा प्रोत्साहन की जरूरत नहीं पड़ती है।

(iv) समग्र समूह अधिक स्थिर होता है तथा साथ ही साथ इसमें सदस्यों का मनोबल ऊँचा भी होता है।

समूह समग्रता को प्रभावित करने वाले तत्त्व

समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से ऐसे कारकों का भी अध्ययन किया है जिनसे समूह समग्रता प्रभावित होती है। दूसरे भाब्दों में, कुछ ऐसे कारकों का भी अध्ययन किया गया है जिससे समूह की समग्रता घटती या बढ़ती पायी गयी है। कुछ प्रमुख ऐसे कारक निम्नांकित हैं–

- **आवश्यकताओं की संतुष्टि –** समूह समग्रता इस बात से सीधे प्रभावित होती है कि समूह में भिन्न–भिन्न कोटि के सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य प्राथमिक होते हैं तथा कुछ सदस्य गौण होते हैं। प्राथमिक सदस्यों की भूमिका की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। फलस्वरूप समूह प्राथमिक सदस्यों की अधिकतर आव यकताओं की एवं गौण सदस्यों की कुछ खास–खास आव यकताओं की पूर्ति करता है। समाज मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जिस समूह में दोनों तरह के सदस्यों की अधिकतर

आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह समूह सदस्यों के लिए समूह दोनों तरह के सदस्यों की अधिकतर आव यकताओं की पूर्ति होती है, वह समूह सदस्यों के लिए अधिक आकर्षक होता है तथा उसमें समूह समग्रता अधिक होती है। अगर किसी कारणवश सदस्यों की आव यकताओं की संतुष्टि समूह द्वारा नहीं हो पाती है, तो वैसी परिस्थिति में समूह सदस्यों के लिए आकर्षक नहीं रह जाता है और उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है।

- **समूह लक्ष्य –** प्रत्येक समूह का एक लक्ष्य होता है जिसे हम समूह लक्ष्य कहते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य का इस लक्ष्य में एक सामान्य वि वास होता है। इस समूह लक्ष्य के अलावा सदस्यों का अपना वैयक्तिक लक्ष्य भी होता है जो प्रायः छिपा होता है। उदाहरणार्थ, डॉक्टरों के समूह का लक्ष्य मानव जाति का कल्याण करना हो सकता है परन्तु कुछ डॉक्टरों का अपना वैयक्तिक लक्ष्य जैसे– अधिक से अधिक धन कमाना या अधिक से अधिक सामाजिक सम्पर्क बनाना आदि भी हो सकता है। समाज मनोवैज्ञानिकों का सामान्य मत यह है कि जब समूह का लक्ष्य तथा सदस्य के वैयक्तिक लक्ष्य में संगति होती है तो समूह समग्रता अधिक होती है। परन्तु यदि इन दोनों तरह के लक्ष्यों में किसी तरह की असंगति उत्पन्न हो जाती है, तो समूह में समग्रता की कमी हो जाती है और सदस्य समूह लक्ष्य को गौण समझकर अपने वैयक्तिक लक्ष्य को प्रधान समझने लगता है। ऐसी परिस्थिति में समूह समग्रता कम हो जाती है। फेल्डमैन के भाब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते है '' वैसे समूहों की समग्रता जिसमें समूह के लक्ष्य तथा सदस्यों के लक्ष्य में संगति होती है, उन समूहों की समग्रता से अधिक होती है जिसके सदस्य समूह के लक्ष्य के साथ साझेदारी नहीं करते हैं।
- **सदस्यों में आकर्षकता –** सदस्यों में आकर्षकता एक ऐसा चर है जिसका प्रभाव समग्रता पर सीधा पड़ता देखा गया है। यदि कोई समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं भी कर पाया हो परन्तु उसकी सदस्यता किसी कारण से सदस्यों के लिए आकर्षक होती है तो वैसी परिस्थिति में समूह समग्रता बनी रहती है। दूसरी तरफ यदि समूह में सदस्यों का एक–दूसरे के प्रति आकर्षकता नहीं है अर्थात सदस्य एक–दूसरे को पसन्द नहीं करते हैं तो वैसी परिस्थिति में समूह के लक्ष्य की प्राप्ति सदस्यों के लिए गुणकारी एवं लाभदायक होते हुए भी समूह समग्रता तथा सहभागिता में कमी हो जाती है। फेसटिंगर तथा केली ने अपने एक अध्ययन में इस तथ्य की पुष्टि भी की है। इन्होंने अपने इस अध्ययन में पाया है कि किरायेदारों के एक समूह में समूह समग्रता काफी कम थी हालांकि इस समूह का लक्ष्य एक ऐसा संगठन तैयार करना था जिससे उनकी आवासी परियोजना में काफी सुधार लाया जा सकता था। इसमें समूह समग्रता के कम होने का प्रमुख कारण यह था कि किरायेदार एक–दूसरे को निम्न एवं कमजोर वर्ग का समझ कर एक–दूसरे के साथ अन्तः क्रिया करना उचित नहीं समझते थे। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समूह सदस्यों की आकर्षकता एक

ऐसा चर है जो समूह समग्रता के निर्धारण में समूह लक्ष्य के महत्व से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

- **समूह की क्रियाऐं एवं नेतृत्व –** समूह की समग्रता सदस्यों की क्रियाओं एवं समूह के नेतृत्व पर भी निर्भर करता है। यदि समूह द्वारा की जाने वाली क्रियाऐं ऐसी हैं जिनके प्रति सदस्यों में आकर्षकता है तथा जिसे सदस्यों द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में समूह समग्रता अधिक होती है। कोच एवं फ्रेंच ने एक अध्ययन औद्योगिक कर्मचारियों पर किया, जिसमें यह देखा गया कि वैसे समूह के कर्मचारियों में जिनकी उत्पादकता समूह द्वारा निर्धारित किये गये मानक से नीचे थी, कम्पनी को स्वेच्छा से छोड़कर चले जाने की प्रवृति अधिक थी। दूसरे भाब्दों में, कर्मचारियों में समूह समग्रता काफी कम थी। हैकमैन एवं ओल्डहाम ने एक अध्ययन किया जिसमें यह पाया गया कि जब कर्मचारियों को क्रिया–कलापों एवं उत्तरदायित्व को अधिक विस्तृत कर दिया जाता है तो इससे कर्मचारी अपने काम को अधिक आकर्षक समझने लगते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि इसमें समग्रता अधिक बढ़ जाती है।
- **समूह नेता का व्यवहार –** समूह समग्रता समूह के नेता के व्यवहार द्वारा भी प्रभावित होती है। कार्टराईट ने अपने अध्ययन में पाया कि जिस समूह का नेता प्रजातंत्रात्मक ढंग से व्यवहार करता था तथा महत्वपूर्ण निर्णय एवं कार्यों में सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहित देता था, वैसे समूह में समग्रता अधिक होती पायी गयी तथा दूसरी तरफ जिस समूह का नेता सत्तावादी ढंग से व्यवहार करता था तथा सभी निर्णय स्वयं करके सदस्यों पर थोप देता था उस समूह में समग्रता काफी कम देखी गयी।

इस प्रकार ऊपर विश्लेषित किये गये वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समूह समग्रता के बहुत से कारण हैं।

समूह व्यवहार का व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव

समाज मनोविज्ञानियों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अध्ययन में काफी अभिरुचि दिखलायी है। प्रश्न है–दूसरों की उपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह प्रभावित होता है ? यहाँ 'उपस्थिति मात्र' से तात्पर्य यह होता है कि दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उस परिस्थिति में जिसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, कोई अन्तःक्रिया नहीं करता है बल्कि सिर्फ वह अपना केवल भारीरिक उपस्थिति बना करके रखता है। ऐसे व्यक्ति को निष्क्रिय श्रोता या सहभागीवर्ता कहा जाता है।

उक्त विषय का सबसे पहले ट्रिप्लेट ने एक साधारण प्रेक्षण किया जिसमें उन्होंने पाया कि जब साईकिल चलाने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए चलाता है, तो वह काफी तेजी से दौड़ लगा पाता है परन्तु यदि वह अकेले साईकिल चलाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। ट्रिप्लेट के इस प्रेक्षण के पीछे सोच यह थी कि अन्य लोगों की उपस्थिति से साईकिल चलाने वाले व्यक्ति में भायद अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो उसे तेजी से दौड़ लगाने के लिए बाध्य करती है। अपनी इस सोच या प्राक्कल्पना

की जाँच करने के उद्दे य से उन्होंने एक प्रयोग बच्चों पर किया जो समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला प्रयोग था। उन्होंने बच्चों को एक रील पर रस्सी लपेटने का कार्य जल्द से जल्द करने के लिए कहा। कुल प्रयास के आधे प्रयासों में प्रत्येक बच्चा इस कार्य को एकान्त परिस्थिति में अलग–अलग किया परन्तु बाकी आधे प्रयासों में दो के समूह में जिसमें आपस में प्रतियोगिता थी, किया। परिणाम में देखा गया कि प्रतियोगिता की परिस्थिति में बच्चे एकान्त परिस्थिति की तुलना में अधिक तेजी से कार्य किये तथा उनका निष्पादन भी काफी अच्छा था। ट्रिप्लेट के इस प्रयोग ने कई अन्य शोधों के लिए प्रेरणा प्रदान किया। जिसमें यह पाया गया कि दूसरों की उपस्थिति में किया गया कार्य का निष्पादन अकेले में किए गए कार्य के निष्पादन से उत्तम होता है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही अध्ययनों पर प्रकाश डालेंगे–

ट्रैविस ने एक अध्ययन किया जिसमें प्रयोज्यों ने अनुधावन रोटर कार्य पर एकान्त परिस्थिति में तथा फिर चार से पाँच लोगों की उपस्थिति पर अभ्यास किया। परिणाम में देखा गया कि करीब 80 प्रतिशत से ज्यादा प्रयोज्यों ने निष्क्रिय श्रोतागण की उपस्थिति में एकान्त परिस्थिति की तुलना में उत्तम निष्पादन दिखाया। आलपोर्ट ने एक दूसरा प्रयोग किया, जिसमें प्रयोज्यों ने विभिन्न तरह के कार्य जैसे भाब्दों से वि ोष अक्षरों को काटना, गुणा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तथा भाब्द को उससे संबंधित भाब्द को बतलाना आदि किये। प्रयोज्यों ने यह कार्य एकान्त परिस्थिति में या फिर चार से पाँच अन्य प्रयोज्यों की उपस्थिति में जो वही कार्य कर रहे थे, किया। परिणाम में देखा गया कि दूसरों की उपस्थिति में किया कार्य का निष्पादन एकान्त परिस्थिति में किया गया कार्य के निष्पादन की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था।

करीब इसी तरह का परिणाम पशुओं के अध्ययन में भी पाया गया। चेन ने एक अध्ययन चींटियों पर किया। जिसमें उन्होंने चींटियों द्वारा मिट्टी की गोली तथा बसेरा बनाने के कार्यों का अध्ययन किया। कुछ परिस्थिति में चींटियों ने यह कार्य स्वतंत्र रूप से अलग–अलग किया तथा कुछ परिस्थिति में यही कार्य चींटियों द्वारा एक समूह में किया गया। परिणाम में देखा गया कि समूह की परिस्थिति में प्रत्येक चींटी ने काफी मेहनत की तथा काफी अधिक गोलियाँ बनायी, जबकि एकान्त परिस्थिति में वे ऐसा नहीं कर पाये और उनका निष्पादन तुलनात्मक रूप से घटिया रहा। बेयर ने मुर्गी के बच्चों पर अध्ययन किया, जिसमें बच्चों को एकान्त परिस्थिति में और फिर अन्य बच्चों के समूह में दाना चुगने के लिये छोड़ा गया। परिणाम में देखा गया कि समूह में होने पर बच्चों ने तेजी से तथा जल्दी–जल्दी दाना चुगा, जबकि एकान्त परिस्थिति में होने पर वे धीरे–धीरे और कम दाना चुग पाये।

ऊपर में मनुष्यों पर किये गये अध्ययनों से प्राप्त साक्ष्य लगभग एक समान हैं– अन्य लोगों की उपस्थिति चाहे निष्क्रिय हो या सक्रिय हो, निष्पादन में उत्कृष्ठता आती है क्योंकि कार्य को करने में मदद मिलती है। उस घटना को समाज मनोविज्ञान में सामाजिक सरलीकरण की संज्ञा दी गयी, जिसे फेल्डमैन ने परिभाषित करते हुए कहा है कि इससे तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें दूसरों की उपस्थिति से निष्पादन में वृद्धि होती है।

प्रश्न यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह उठाया कि क्या दूसरों की उपस्थिति से निष्पादन में हमेशा वृद्धि ही होती है ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ भाोध ऐसे किये गये

हैं जिनके परिणाम में यह देखा गया है कि दूसरों की उपस्थिति से निष्पादन में वृद्धि न होकर कमी होती है और इसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक अवरोध की संज्ञा दी है। ऐली एवं मासुर ने तिलचट्टा पर, गेट्स एवं ऐली है। अपने इस सिद्धान्त के समर्थन में जायंस एवं सेल्स ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने प्रयोज्यों को कुछ निरर्थक पदों को बार–बार दिखाया कि वे उन्हें ठीक से सीख ले तथा कुछ पदों को मात्र एक–दो बार ही उन्हें दिखाया गया, ताकि वे उन्हें ठीक ढंग से नहीं सीख पायें। बाद में प्रयोज्यों को काफी धीमी रोशनी में उनके सामने रखे गये पर्दा पर पदों को दिखाने का बहाना किया गया। सचमुच में, पर्दा पर कुछ दिखलाया नहीं जा रहा था परन्तु उनसे यह कहा गया कि पर्दा पर निरर्थक पद दिखाये जा रहे हैं और उन्हें यह बताना है कि कौन सा निरर्थक पद दिखाया जा रहा है। परिणाम में देखा गया कि जब अन्य लोग कमरे में उपस्थित रहते थे तो प्रयोज्यों ने अच्छे से सीखे गये पदों का अनुमान अधिक लगाया, परन्तु ऐसी परिस्थिति में कम सीखे गये पदों का अनुमान बहुत कम बार वे लगा पायें। इस प्रयोग के परिणाम से जायंस के प्रणोद सिद्धान्त की प्राक्कल्पना की संतुष्टि होती है।

बाद में जायंस, हिनगार्टनर तथा हरमैन ने तिलचट्टा पर एक अध्ययन किया, जिसमें भी प्रणोद सिद्धान्त की संपुष्टि की गयी। जैसा कि हम जानते हैं, तिलचट्टा एक ऐसा जीव है जिसे रोशनी पसन्द नहीं है। अतः वह अँधेरे को ही अधिक पसन्द करता है। इस वि ोषता को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने दो विशेष भूलभूलैया बनवाया जिसे चित्र 12.1 में दिखलाया गया है। तिलचट्टा को पहले भूलभूलैया में उस बिन्दु पर छोड़ा जाता था जहाँ 'प्रारम्भ' लिखा हुआ है। इसके बाद रोशनी जला दी जाती थी जिससे तिलचट्टा सामने वाले लक्ष्य बॉक्स में जाकर अपने आपको बचा सकता था। लक्ष्य बॉक्स अँधेरा एवं सुरक्षित होता था। एक दूसरा भूलभूलैया का निर्माण किया गया जिसमें लक्ष्य बॉक्स में पहुँचना तुलनात्मक रूप से कठिन था तथा तिलचट्टा को इसमें पहुँचने के लिए दायें तरफ मुड़कर दौड़ लगाना सीखना होता था। जायंस का मत था कि पहले भूलभूलैया में लक्ष्य बॉक्स में पहुँचना एक आसान कार्य था जो एक प्रबल अनुक्रिया का उदाहरण था। दूसरे भूलभूलैया में लक्ष्य बॉक्स में पहुँचना एक कठिन कार्य था जो एक गौण अनुक्रिया का उदाहरण होगा। प्रयोगकर्ताओं ने तिलचट्टा को भूलभूलैया में दौड़ लगाते समय चार और तिलचट्टा को उसमें छोड़ा। परिणाम में देखा गया कि अन्य चार तिलचट्टा की उपस्थिति से प्रयोगात्मक तिलचट्टा पहले भूलभूलैया के लक्ष्य बॉक्स में (जो आसान था) तेजी से दौड़कर चला गया जबकि उनकी अनुपस्थिति में दौड़ लगाने में अधिक समय लिया। दूसरे भूलभूलैया में जहाँ लक्ष्य में पहुँचना थोड़ा कठिन था, अन्य साथी तिलचट्टाओं की उपस्थिति होने से प्रयोगात्मक तिलचट्टा लक्ष्य बॉक्स तक दौड़ लगाने में अधिक समय लिया। परन्तु साथ तिलचट्टाओं के अनुपस्थित रहने पर वह तुलनात्मक रूप से दौड़ पूरा करने में कम समय लिया।

हंट एवं हिलेरी ने अपने एक अध्ययन में पाया कि अन्य लोगों की उपस्थिति होने से छात्रों ने साधारण भूलभूलैया को सीखने में कम समय लिया तथा जटिल भूलभूलैया को सीखने में अधिक समय लिया। माइकेल एवं उनके सहयोगियों ने भी अपने अध्ययन में ऐसा ही तथ्य पाया है। जैक्सन एवं लताने तथा नोलेस ने अपने–अपने शोधों के आधार पर यह भी बतलाया है कि अन्य लोगों की उपस्थिति का प्रभाव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के

साथ–साथ बढ़ती है। कुछ प्रयोगकर्ताओं जैसे– गीन एवं गैंगे तथा मूर्रे एवं वेरोन ने यह भी अपने अध्ययन में पाया है कि अन्य लोगों की उपस्थिति से कभी–कभी लोगों ने अधिक पसीना आने लगता है, साँस की गति अनियमित एवं तीव्र हो जाती है, मांसपेशियाओं में तनाव बढ़ जाता है तथा रक्तचाप एवं हृदय गति तीव्र हो जाती है।

उपर्युक्त प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि अन्य लोगों की मात्र उपस्थिति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। अन्य लोगों की उपस्थिति का प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही होता है। यदि किया जाने वाला व्यवहार सरल एवं आसान है, तो प्रभाव सकारात्मक होता है तथा यदि किया जाने वाला व्यवहार जटिल एवं कठिन है तो प्रभाव नकारात्मक होगा।

यद्यपि समूह प्रभाव की उक्त व्याख्या को अधिकतर लोगों का समर्थन प्राप्त है, फिर भी बाद में किये गये कुछ शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि दूसरे लोगों की उपस्थिति मात्र से ही व्याख्या पूर्ण नहीं होती है। कोटरेल ने इस विषय पर शोध करके एक भिन्न दृष्टिकोण रखा है जिसे मूल्यांकन आशंका सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार दूसरों लोगों की उपस्थिति मात्र से कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता है बल्कि जब व्यक्ति यह समझता है कि अन्य उपस्थित लोग उसके कार्य निष्पादन को अवश्य ही मूल्यांकन कर रहे होंगे, तो उससे उनका निष्पादन प्रभावित होता है। इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि अन्य उपस्थित लोग उनका मूल्यांकन कर रहे हैं तो सामाजिक सरलीकरण होता है और जब उसे यह महसूस होता है कि वे लोग उनका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं तो सामाजिक सरलीकरण की मात्रा में कमी आ जाती है। इस तथ्य की सम्पुष्टि स्ट्रव, माइल्स एवं फिन्क के अध्ययन में हुआ है। इस प्रयोग में कुछ धीमी गति से टहलने वाले व्यक्तियों का प्रयोगकर्ताओं द्वारा तीन परिस्थितियों में प्रेक्षण किसी के द्वारा नहीं किया गया। दूसरी प्रयोगात्मक अवस्था ऐसी थी जिसमें उनका प्रेक्षण यदा–कदा कर लिया जाता था और बीच–बीच में प्रेक्षक अपना ध्यान प्रेक्षण से इधर–उधर मोड़ लेता था। तीसरी प्रयोगात्मक अवस्था ऐसी थी जिसमें टहलने वाले व्यक्तियों का प्रेक्षण काफी ध्यान देकर किया गया। प्रेक्षण के दौरान टहलने वाले व्यक्तियों के आँख में आँख भी डालकर प्रेक्षण किया जाता था ताकि वे स्पष्ट रूप से समझ सके कि उनका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। प्रयोग के परिणाम की व्याख्या टहलने वाले व्यक्तियों के चलने या दौड़ने की गति के रूप में की गयी। परिणाम में यह देखा गया कि तीसरी अवस्था में जिसमें ध्यान देकर प्रेक्षण किया जा रहा था, माध्य गति सार्थक रूप से उस अवस्था की तुलना में अधिक था जिसमें कोई प्रेक्षक नहीं था (पहली अवस्था) दूसरी अवस्था जिसमें प्रेक्षक ध्यान देकर प्रेक्षण नहीं करते थे, कोई सरलीकरण प्रभाव नहीं पड़ता देखा गया। इस परिणाम में यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लोगों की मात्र उपस्थिति से ही सामाजिक सरलीकरण नहीं होता है। इसके होने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य उपस्थित लोग इस बात पर भी ध्यान दें कि व्यक्ति क्या कर रहा है।

सामाजिक सरलीकरण की व्याख्या करने के लिए एक अन्य सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया गया है जिसे अनमन्यसकता सिद्धान्त या संघर्ष सिद्धान्त कहा जाता है। सैण्डर्स इस सिद्धान्त के समर्थक हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि जब व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कुछ कार्य करना होता है तो अन्य लोगों की उपस्थिति से एक तरह का

विकर्षण होता है या मानसिक संघर्ष होता है। जब व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य सरल होता है तो विकर्षण या अन्यमन्यसकता का कोई खास प्रभाव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रणोद स्तर ऊँचा होने से निष्पादन अच्छा हो जाता है। परन्तु व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य यदि जटिल होता है तो ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न प्रणोद की मात्रा इतनी नहीं होती है कि वह विकर्षण के प्रभाव को हटा दे। फलतः निष्पादन में गिरावट आ जाती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक सरलीकरण की व्याख्या करने के लिए कई तरह के दृष्टिकोण या उपागम का प्रतिपादन किया गया है और प्रत्येक के पक्ष में कुछ न कुछ सबूत उपलब्ध हैं। अतः समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी एक दृष्टिकोण को सही मानकर अन्य दृष्टिकोणों को अस्वीकृत नहीं किया जा रहा है। बल्कि इन लोगों की वर्तमान कोशिश इस बात की जाँच करनी है कि किस परिस्थिति में कौन उपागम या दृष्टिकोण तथ्य की व्याख्या सबसे उचित ढंग से करेगा।

सामाजिक सरलीकरण के ही समान व्यक्ति के व्यवहार पर समूह के प्रभाव के कारण एक दूसरी घटना अक्सर देखने को मिलती है लताने ने इस घटना को सामाजिक श्रमावनयन कहा है। अक्सर यह देखा गया है कि जब व्यक्ति एक समूह में होकर कोई कार्य करता है तो वह अपने ऊपर उतनी जवाबदेही लेकर कार्य नहीं करता है जितना कि वही कार्य को वह अकेले करता है। इसका परिणाम यह होता है कि उस कार्य का निष्पादन खराब हो जाता है। इसे ही सामाजिक श्रमावनयन कहा जाता है। इसे मायर्स[r] के शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है '' सामाजिक श्रमावनयन से तात्पर्य लोगों की उस प्रवृति से होता है जिसमें वे किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कार्य करने पर उस कार्य के लिए अकेले उत्तरदायी होने की अपेक्षा कम प्रयास करते है।''

सामाजिक श्रमावनयन की उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि उसकी निम्नांकित विशेषताऐं हैं –

(i) सामाजिक श्रमावनयन की घटना के लिए सम्मिलित सामूहिक क्रिया का होना आवश्यक है।

(ii) अन्य लोगों की सामाजिक उपस्थिति से व्यक्ति अपना वैयक्तिक प्रयास सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति में कम करता है।

वैयक्तिक प्रयास में कमी का मुख्य कारण यह होता है कि अन्य लोगों की उपस्थिति से सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्य करने का सामाजिक दवाब कम हो जाता है या बँट जाता है।

सामाजिक श्रमावनयन की घटना को दिखाने के लिए लताने, विलियम्स तथा हार्किन्स ने रस्सी खींचने की समस्या पर आरंभिक प्रयोग किये। इन्होंने पुरुष छात्रों को अकेले में तथा फिर दो, चार तथा छः व्यक्तियों के समूह में जितना जोर से हो सके ताली बजाने या चिल्लाकर जय ध्वनि करते हुए रस्सी खींचने के लिए कहा ताकि प्रयोगकर्ता आसानी से यह माप सके कि व्यक्ति किसी सामाजिक परिस्थिति में कितना अधिक से अधिक आवाज उत्पन्न कर सकता है। परिणाम में बिल्कुल ही यह स्पष्टतः देखा गया कि जैसे–जैसे समूह का आकार बढ़ते गया, वैसे–वैसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ताली बजाने में या चिल्लाकर आवाज करने में लगाये गये प्रयास में पर्याप्त कमी आती गयी। छह व्यक्तियों के समूह में होने पर

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अकेले में किये गये प्रयास का करीब आधा ही प्रयास लगाकर आवाज उत्पन्न की गयी। इस परिणाम से सामाजिक श्रमावनयन की घटना की स्पष्ट रूप से संपुष्टि होती है। बाद में हार्किन्स, लताने एवं विलियम्स, हार्किन्स एवं पेटी तथा विनर, लताने तथा पाण्डेय ने अपने–अपने अध्ययनों में सामाजिक श्रमावनयन की घटना को विभिन्न तरह के कार्यों में तथा विभिन्न संस्कृतियों के दोनों यौन के व्यक्तियों में होते पाया है।

अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक श्रमावनयन की घटना क्यों होती है ? यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर लताने तथा उनके अन्य सहकर्मियों द्वारा किए गए प्रयोगों में नहीं मिलता है। फिर भी समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसके तीन संभावित कारणों का उल्लेख किया है जो निम्नांकित हैं –

(i) व्यक्ति समूह में होने पर यह प्रत्यक्षण कर सकता है कि अन्य व्यक्ति उसमें कम प्रेरित है या कम योग्य है। ऐसा सोचकर व्यक्ति अपने सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की दि ाा में अपना प्रयास कम कर देता है।

(ii) प्रायः समूह में व्यक्ति कुछ ऐसे लक्ष्यों को चुनता है जो अधिक भव्य नहीं होते हैं और उसकी पूर्वकल्पना यह होती है कि जब अन्य लोग है ही तो निश्चित रूप से कार्य करना आसान ही होगा। जब लक्ष्य ही निम्न होता है तो यह स्वाभाविक है कि व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कम करेगा।

(iii) समूह में होकर कोई कार्य करने पर यदि व्यक्ति यह सोचता है कि समूह के अंतिम लक्ष्य उनके द्वारा किया गया प्रयास से बहुत अधिक संबंधित नहीं है तो वह उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रयास कम कर देता है। फलतः सामाजिक श्रमावनयन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अब एक दूसरा प्रश्न पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान देना प्रारम्भ किया है। प्रश्न है कि क्या किसी सामूहिक परिस्थिति से सामाजिक श्रमावनयन की घटना को कम नहीं किया जा सकता है ? इस प्रश्न को लेकर समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग भी किये हैं और अपने प्रयोग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं जो निम्नांकित हैं–

(i) विलियम्स, हार्किन्स तथा लताने ने यह बतलाया है कि यदि परिस्थिति ऐसी कर दी जाती है जिसमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये प्रयास को आसानी से पहचान कर ली जाती है तो ऐसी हालत में कोई भी व्यक्ति सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर वैयक्तिक स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास करने में मुँह नहीं मोड़ेगा क्योंकि उसे पकड़े जाने का भय बना रहेगा।

(ii) सामाजिक श्रमावनयन को कम करने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सफल कार्य निष्पादन के प्रति समूह के सदस्यों की वचनबद्धता में वृद्धि की जाए। इस प्रविधि में समूह के प्रत्येक सदस्य पर अधिक से अधिक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की दि ाा में कार्य करने पर बल डालने की कोशिश की जाती है। समूह का आकार जितना ही बड़ा होता है, उस पर उतना ही अधिक दवाब डालना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि समूह की आकार में वृद्धि होने पर प्रति सदस्य समूह की उत्पादकता में कमी न होकर वृद्धि होगी। इस तथ्य की संपुष्टि जाकारो के एक

अध्ययन में हुआ है। इस अध्ययन में जितना अधिक से अधिक हो सके एक खास आकार के वस्तु बनाने के लिये कहा गया। प्रयोज्यों के दो समूह थे– एक दो व्यक्तियों का समूह तथा दूसरा चार व्यक्तियों का समूह। इन दोनों समूहों के आधे प्रयोज्यों को उच्च कार्य आकर्षकता अवस्था में तथा बाकी आधे प्रयोज्यों को निम्न कार्य आकर्षकता अवस्था में कार्य करने के लिए कहा गया। उच्च कार्य आकर्षकता अवस्था में प्रयोज्यों को एक वि ोष तरह की सूचना दी गयी जिससे उच्च निष्पान के प्रति उनके सदस्यों में वचनबद्धता काफी बढ़ सके। जैसे – उनसे यह कहा गया कि अध्ययन का संबंध अमेरिकन कार्यकर्ताओं की उत्पादकता में हाल में हुए गिरावट से है तथा उनसे यह भी कहा गया कि यदि समूह का निष्पादन श्रेष्ठ होता है तो उसे लाभांस भी दिया जाएगा। निम्न कार्य आकर्षकता अवस्था में प्रयोज्यों को कोई इस तरह का अतिरिक्त सूचना नहीं दी गयी। परिणाम में देखा गया कि निम्न कार्य आकर्षकता अवस्था में समूह का आकार में वृद्धि होने से निष्पादन में कमी आयी (अर्थात सामाजिक श्रमावनयन की घटना हुई) परन्तु उच्च कार्य आकर्षकता अवस्था में समूह के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन में वृद्धि हुई (अर्थात सामाजिक श्रमावनयन की घटना में कमी हुई) ।

(iii) सामाजिक श्रमावनयन को कम करने का तीसरा तरीका यह है कि समूह परिस्थिति को इस ढंग से संरचित किया जाए कि प्रत्येक सदस्य समूह के समग्र परिणाम के लिए वैयक्तिक रूप से जिम्मेवार हो सके और इसके लिए सबसे उत्तम प्रविधि एक समूह मानक को विकसित करना है जो समूह के निष्पादन में व्यक्ति वि ोष के योगदानों का वि िाष्ट उल्लेख करता हो।

(iv) जैक्सन तथा विलियम्स, जैक्सन तथा हार्किन्स ने अपने–अपने अध्ययनों के आधार पर यह बतलाया है कि जब समूह के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया जाता है, जब समूह के सदस्य यह अनुभव करते है कि उनका योगदान समूह के प्रति विचित्र तथा असाधारण होगा तथा जब उन्हें यह वि वास उत्पन्न हो जाता है कि अन्य सदस्य कठिन से कठिन मेहनत कर रहे है तो सामाजिक श्रमावनयन अपने आप बहुत कम हो जाता है।

स्पष्ट हुआ कि सामाजिक श्रमावनयन कोई ऐसी घटना या तथ्य नहीं है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। चूँकि सामाजिक श्रमावनयन समूह की समग्र उत्पादकता को पीछे खींच लेता है, अतः इसे कम किया जाना आवश्यक ही है। इस सिलसिले में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है।

वैयक्तिक व्यवहार पर समूह का एक ऐसा भी प्रभाव पड़ता है जिसमें व्यक्ति अपनी वैयक्तिता खो देता है क्योंकि आत्म–अवगतता लगभग समाप्त हो जाती है और वह अपने आप को समूह में पूर्णतः समावेशित कर लेता है। इस स्थिति को फेस्टिंगर, पेपीटोन तथा न्यूकाम्ब ने निर्व्यष्टिकरण की संज्ञा दिया है। उसकी एक उत्तम परिभाषा फिशर[r] ने इस प्रकार दी है, ''निर्वैयक्तिता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें समूह में होने पर भी व्यक्ति को व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि वे (समूह में ही) आप्लावित हो जाते हैं और अपनी वैयक्तिक पहचान खो जाने का अनुभव करते है।''

फेल्डमैन ने निर्वैयक्तिता को इस प्रकार परिभाषित किया है, ''निर्वैयक्तिता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें आत्म–अवगतता की कमी हो जाती है, अन्य लोगों द्वारा नकारात्मक मूल्यांकन के डर में कमी हो जाती है और परिणामतः व्यक्ति आवेगशील समाजविरोधी तथा अनादर्श रूप से प्रचलित व्यवहारों को करता पाया जाता है।''

इन परिभाषाओं के विश्लेषण से हमें निर्वैयक्तिता के स्वरूप के बारे में निम्नांकित तथ्य प्राप्त होते हैं–

(i) निर्वैयक्तिता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जो वि ोष प्रकार की समूह परिस्थिति खासकर वैसी परिस्थिति जो व्यक्ति में गुमनामी उत्पन्न करता है तथा व्यक्ति के ध्यान को अपने आप से विकर्षित करता है।

(ii) इसमें व्यक्ति को नकारात्मक मूल्यांकन का डर नहीं रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी पहचान संभव नहीं हो पायेगी।

(iii) इसमें व्यक्ति को नकारात्मक मूल्यांकन का डर नहीं रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी पहचान संभव नहीं हो पायेगी।

(iv) निर्वैयक्तिता के कारण व्यक्ति प्रायः आवेग ील, आक्रमक एवं समाजविरोधी व्यवहार करता पाया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने निर्वैयक्तिता को आक्रमकता का एक प्रमुख कारक माना है।

स्पष्ट हुआ कि निर्वैयक्तिता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें समूह में होते हुए भी व्यक्ति की अपनी पहचान खत्म हो जाती है और इस गुमनामी की आड़ में तरह–तरह के समाज विरोधी व्यवहार को अंजाम देने में वह तनिक भी मुकरता नहीं है।

निर्वैयक्तिता को प्रयोगशाला में अध्ययन करने का सबसे पहला सफल प्रयास जिम्बार्डो द्वारा किया गया। इन्होंने कू क्ल्यूक्स क्लान रैली के मॉडल के आधार पर प्रयोग किया। इस रैली की विशेषता यह है कि इसके सभी सदस्य सिर से पैर तक लम्बा उजला चोंगा पहनकर प्रदर्शन करते हैं। इनमें किसी व्यक्ति विशेष की पहचान संभव नहीं हो पाती है क्योंकि इनके चेहरा पर उजला जामा लगा होता है। इस प्रयोग में चार कॉलेज छात्राओं को दो अवस्थाओं में रखकर एक महिला को बिजली का शॉक लगाना था। पहली अवस्था में इन चार महिलाओं को एक विशेष प्रयोगशाला कोट पहना दिया गया तथा चेहरा भी इस तरह से ढँक दिया गया था कि उनकी पहचान न हो सके। अतः अवस्था पूर्णतः गुमनामी की अवस्था थी। दूसरी अवस्था में न तो उन्हें किसी प्रकार का कोट पहनाया गया और न ही उनका चेहरा ही ढँका गया। परिणामतः इस अवस्था में उनकी पहचान बिल्कुल ही स्पष्ट थी। परिणाम में देखा गया कि गुमनामी की अवस्था में प्रयोज्यों ने अधिक लम्बे समय तक बिजली का शॉक लगाया। जबकि स्पष्ट पहचान हो जाने की अवस्था में उन्होंने तुलनात्मक रूप से कम समय तक शॉक लगाया। इस परिणाम के आधार पर जिम्बार्डो ने यह स्पष्ट किया कि निर्वैयक्तिता कुछ विशेष सामाजिक अवस्थाओं जैसे– गुमनामी का भाव तथा उत्तरदायित्व का विसरण से उत्पन्न होती है। ये दोनों कारक प्रयोग की पहली अवस्था में थी। प्रयोज्यों में गुमनामी का भाव तो था ही साथ ही साथ कौन कितनी मात्रा में बिजली शॉक लगा रहा है, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। जिम्बार्डो का मत है कि निर्वैयक्तिता की अवस्था विकसित होने पर व्यक्ति में आंतरिक परिवर्तन जैसे

आत्मबोध में कमी तथा दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर कम से कम सोचना आदि होता है। इन सबका समग्र प्रभाव यह होता है कि ऐसे व्यक्ति में विभिन्न तरह के आवेगशील व्यवहार करने की प्रतिबन्धता में कमी आ जाती है।

जिम्बार्डो के प्रयोग के परिणाम यद्यपि निर्वैयक्तिता के सिद्धान्त का समर्थन करता है, परन्तु फिर भी अन्य प्रयोगकर्ताओं जैसे– डाइनर, प्रेंटिस डन तथा रोजर्स तथा प्रेंटिस डन तथा स्पाईवी के प्रयोगों से थोड़ा भिन्न तस्वीर सामने आयी है। इन लोगों के प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि निर्वैयक्तिता को समझने के लिए आत्मबोध में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना होगा। वास्तव में आत्मबोध के दो भिन्न प्रकार हैं और निर्वैयक्तिता में ये दोनों भूमिका अलग–अलग हैं। ये दो तरह के आत्म–बोध हैं– गुप्त आत्म बोध से तात्पर्य अपने भीतर झाँकने की प्रवृति से अर्थात अपनी अनुभूतियों, भावों एवं मनोवृत्तियों को समझने से होता है। सार्वजनिक आत्म–बोध से तात्पर्य इस ख्याल या अनुभूति से होता है कि हम दूसरों की नजर में कैसा दिखते है। प्रेंटिस डन तथा रोजर्स द्वारा किये गये शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब व्यक्ति के निजी आत्म बोध में कमी आती है तो निर्वैयक्तिता की अवस्था उत्पन्न होती है। इस ढंग की कमी या परिवर्तन का भाव आदि से उत्पन्न होता है। इन कारणों से व्यक्ति में निर्वैयक्तिक अवस्था की उत्पत्ति होती है और तब व्यक्ति तरह–तरह के आवेगशील व्यवहार तथा अवांछित व्यवहार करने लगता है। दूसरी तरफ, जब व्यक्ति के सार्वजनिक आत्मबोध में कमी होती है जो प्रायः गुमनामी तथा अन्य संबंधित कारकों से उत्पन्न होती है तो इसका प्रभाव कुछ उस ढंग का नहीं होता है। इनसे भी आवेगशील एवं अनियंत्रित व्यवहार व्यक्ति में अवश्य होता है परन्तु ऐसा व्यक्ति के इस विश्वास के कारण करता है कि उन्हें अपने इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में निर्वैयक्तिता की कोई भूमिका नहीं होती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में निर्वैयक्तिता की उत्पत्ति एक प्रमुख समूह प्रभावों में से है और इसकी उत्पत्ति का संबंध निजी आत्म बोध में कमी से है। दूसरे शब्दों में वे सारे कारक जो व्यक्ति को अपनी मनोवृति, भावों एवं मूल्यों पर ठीक ढंग से ध्यान देने में बाधा पहुँचाते है, उन्हें कुछ इस ढंग से समूह में व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं कि उनका व्यवहार एकान्त परिस्थिति में किये गए व्यवहार से निश्चित रूप से भिन्न हो जाते हैं। स्पष्टतः तब यह एक प्रमुख तरीका है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता दिखता है।

2. चरम स्थिति में व्यक्तिगत एवं समूह का व्यवहार (भीड का मनोविज्ञान एवं व्यवहार, सामूहिक जिम्मेदारी, सामान्य आशय, गैर कानूनी सभा)

भीड का मनोविज्ञान

मनोविज्ञान के अनुसार भीड़ एक खास परिस्थिति में लोगों का एक ऐसा समूह है, जिस में एक निजी व्यक्ति का व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, और उस के स्थान पर एक सामूहिक मन का निर्माण होता है, जो एक निर्दिष्ट दिषा की ओर संचालित होता है। भीड़ में सचेतना एवं विचार समाप्त हो जाते है। भीड़ में प्रबल आवेष होता है और इस में एकत्रित सभी व्यक्तियों का आवेग एक साथ काम कर रहा होता है, इसलिए व्यक्ति अनचाहा

इस ओर खिचा चला आता है और अनैच्छिक रूप से भीड़ के अनुरूप बरता है, करता है। भीड़ में बुद्धि, विवेक, विचार काम नहीं करता है, बल्कि आवेग का उफान उगमता है। भीड़ आवेग की बाढ़ है। उस बाढ़ में उफनते हुए प्रवाह के रूप में भीड़ बहती है। इस में सामूहिक चेतना अपने चरम पर काम करती है। इसलिए व्यक्ति यहां पर खिंचा चला आता है और यही वजह है कि भीड़ में व्यक्ति बड़ा सकून महसूस करता है।

चोरी में पकड़े गए चोर पर भीड़ बुरी तरह से टूट पड़ती है। भीड़ की नजर में बस एक ही बात रहती है कि जिसे लोग पीट रहे है, उस पर टूट पड़ा जाए। कोई यह नहीं समझता कि जिसे पीटा जा रहा है, वह अपराधी है भी या नही? भीड़ तो अफवाहों से चलती है। अपराधी तत्व संवेदनषील समय में ऐसी अफवाहों का सहारा लेकर अपने खतरनाक मंसूबो को पूरा करते है। भीड़ का आवेग एकदम उफान पर होता है। वह उन्मत हाथी के समान रौंदती कुचलती आगे बढ़ती है, फिर चाहे उस के सामने कोई क्यों न आ जाए। भगदड़ में नन्हे निरीह बच्चे, दुर्बल व्यक्ति, बूढ़े आदि को हानि पहुंचती है क्योंकि इस चरम पर कोई दया भावना नहीं होती है। यदि वह अपने चरम नहीं होगा तो शायद कोई अमानवीयता की घटना संभव नहीं होती। ऐसा एक अमानवीय रूप 1984 के दिल्ली के दंगों में देखा गया था।

मनोवैज्ञानिक के अनुसार भीड़ की नैतिकता अत्यंत कमजोर होती है। यहां पर नैतिकता ढूंढ़ना बालू में सुई ढूंढने जैसा है। यह तो निर्भर करती है, जो इसे संचालित करता है। यदि संचालित करने वाला कोई श्रेष्ठ धार्मिक व्यक्ति हो जो भीड़ से श्रेष्ठ काम करा लेता है, परंतु ऐसा कम देखने को मिलता है। मनुष्य में देवीय तत्व की तुलना में आसुरी प्रवृत्ति अधिक सघनता के रूप में पाई जाती है। भीड़ में ऐसी आसुरी प्रवृत्ति को बल मिलता है।

आजकल इस भीड़ का उपयोग अपने शक्ति प्रदर्षन के लिए किया जाता है। राजनीतिक नेता अपनी प्रसिद्धि दिखाने के लिए लोगों को किराए पर लाते है और अपार भीड़ के रूप में एकत्र करते है। ऐसे भीड़ तंत्र में अपनी जय जयकार करवाते है। धार्मिक नेता भी धार्मिक जलूस निकालने के लिए इस भीड़ का भरपूर प्रयोग करते है। चाहे तो सामाजिक कार्यकर्त्ता भीड़ से स्वच्छता, सफाई का अभियान चलाकर श्रेष्ठ काम करा लेते है। भीड़ तो एक आवेग का उफान है, इसे जैसा प्रयोग कर लिया जाए, क्योंकि भीड़ की बुद्धि नहीं होती है, किंतु भीड़ को सृजन्वषील कार्यों में लगा दिया जाए, तो ही इस का महत्व सिद्ध होता है। भीड़ में खुद को खोते है और एकाकीमन में, स्वंय को पाते है। हमें तय करना है कि हमें खोना या पाना है।

भीड का व्यवहार

व्यवहार व्यक्ति अनायास, कोई पूर्वनियोजित गठन के एक समस्या के रूप में लोगों के कुछ समूहों के व्यवहार है. सामूहिक व्यवहार के साथ तुलना में, सिर्फ कुछ लोगों के व्यवहार व्यक्तियों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए या कभी कभी गतिविधियों में भाग लेते हैं, एक छोटी, ढीला संगठनात्मक संरचना के समान लक्ष्य, भूमिकाओं भेदभाव नहीं कर रहे हैं,, सामंजस्य, एक निम्न स्तर के समूहों से संबंधित का कोई व्यक्ति की भावना कम नहीं मान्यता प्राप्त नेतृत्व वहाँ है व्यवहार. समूहों आमतौर पर संगठित समूहों और असंगठित समूहों में विभाजित किया. संगठित समूहों को आम तौर पर

संगठनात्मक समूहों के बिना, सामूहिक करने के लिए संदर्भित करता है आमतौर पर जनता को दर्शाता है. इस प्रकार, जनता बल्कि व्यवहार असंगठित के समूहों के व्यवहार को दर्शाता है. यह एक छिटपुट रूप है जनता की एक निश्चित सीमा के चालू होने में प्रतिध्वनित है कि कुछ है

भीड़ व्यवहार का गठन

आम तौर पर पाँच प्रक्रियाओं में शामिल हैं: ① आपसी आदान प्रदान, आपसी प्रभाव यह देखते हुए कि जबकि व्यक्तियों की संख्या एक समान लक्ष्य के लिए एक साथ इकट्ठे हुए, कुछ विशेष आंदोलन को ② विषय, ③ polarized प्रकट भावनात्मक और यौन प्रवृत्तियों के साथ resonate ④ उत्पादन आम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई, ⑤ पर्यावरण पर फिर से अनुमान लगाया.

पश्चिमी सामाजिक मनोविज्ञान लंबे कुछ लोग लोग तर्कहीन और जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं हैं कि लगता है, जिससे हिंसक समूह, असामाजिक गिरोह और भीड़ के व्यवहार के अध्ययन में शामिल अन्य नकारात्मक सामाजिक घटना डाल दिया है. सामाजिक मनोविज्ञान जनता की सकारात्मक सामाजिक व्यवहार के महत्व का अध्ययन करना चाहिए जो मानते हैं कि कुछ कर रहे हैं. इसलिए, नकली सहित व्यक्तित्व गायब हो और फैशन सामग्री का सुझाव भीड़ व्यवहार के सामाजिक मनोविज्ञान पर वर्तमान अनुसंधान.

भीड की सामूहिक जिम्मेदारी,
सामान्य आशय, गैर कानूनी सभा

3. कानूनी एवं गैर कानूनी सभाओं पर नियंत्रण (भीड नियन्त्रण तकनीक एवं तैनाती तकनीक)

विधि विरुद्ध जमाव क्या है?

भारतीय दंड संहिता के अध्याय VIII जो लोक प्रशांति के विरूद्ध अपराधों के विषय का उल्लेख करता है कि अधीन धारा 141 के अन्तर्गत विधि विरुद्ध जमाव की निम्न प्रकार से स्थिति है – 5 या अधिक व्यक्तियों को गैर कानूनी जमावड़ा की संज्ञा प्रदान की जा सकती है यदि लोगों

का सम्मिलित उद्देश्य है :

(1) अपराधिक बल के द्वारा आंतकित करना अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या संसद या विधान सभा या किसी लोक सेवक के समक्ष अपराधिक बल का प्रदर्शन करना वैसे लोक सेवक के समक्ष जो अपने कानून सम्मत शक्तियों का प्रयोग कर रहे हों अथवा

(2) किसी कानून या कानूनी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में बाधा डालना था।

(3) कोई रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अपराध का करना।

(4) आपराधिक बल के द्वारा अथवा उसके प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर अधिकार जमाना अथवा किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते के उपभोग से जनता को वंचित करना

अथवा जल के उपयोग से वचित करना अथवा ऐसे किसी किसी ऐसे अधिकार को लागू करना या माना गया अधिकार लागू करना अथवा अपराधिक बल की सहायता से अथवा अपराधिक बल प्रदर्शित कर किसी व्यक्ति को वैसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जो कार्य वह कानूनी ढंग से करने के लिए बाधित है अथवा जिसे नहीं करने के लिए बाध्य करना जिसे वह कानूनी रूप से करने का हकदार है।

(5) आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। व्याख्या कोई जमावड़ा जो गैर कानूनी नहीं या जब वह जमा हुआ था किन्तु वह बाद में गैर कानूनी जमावड़े में बदल सकता है।

विधि विरुद्ध जमाव को निष्पादित करना राज्य सरकार का कर्तव्य

अतः जब कोई गैर कानूनी जमावड़ा ऊपर वर्णित आम उद्देश्य से जमा हो जाता है तब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उस गैर कानूनी जमावड़ा को तितर–बितर कर दें तथा आम जनता के जान माल की सुरक्षा करें साथ ही राज्य की भी सुरक्षा करें क्यों कि राज्य ही आम जनता के जानमाल को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। अतः ऐसे गैरकानूनी जमावड़े को तितर–बितर करना, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है।

गैर कानूनी जमावड़े का तितर–बितर करना कानूनी प्रक्रिया में आम जनता की शांति और सुस्थिरता बनाए रखने का तरीका दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 129 से 131 तक वर्णित है धारा

देश प्रक्रिया सहित गैर कानूनी जमावड़े को तितर–बितर करने की शक्ति प्रदान करती हैं। इस शक्ति का प्रयोग कार्यपालक दंडाधिकारी अथवा पुलिस स्टेशन के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अथवा किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी जो पुलिस स्टेशन के अफसर इन्चार्ज है, किया जायगा।

यदि आदेश दिये जाने पर कोई गैर कानूगी भीड़ तितर–बितर नहीं होती है तथा ऐसा आचरण करती है जिससे लगता है कि वह (भीड़) तितर–बितर होना नहीं चाहती है तो ऊपर वर्णित कोई कार्यपालक पदाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी ऐसी भीड़ को बलपूर्वक हटाने के लिए अग्रसर होंगे तथा ऐसे किसी पुरुष की सहायता ले सकते हैं जो पदाधिकारी या सशस्त्र बल का सदस्य नहीं होगा, यह सहायता गैर कानूनी भीड़ को हटाने के लिए ली जा सकती है। यदि आवश्यकता पड़ी तो भीड़ के सदस्यों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है तथा उसे कानून के अनुसार दंडित भी किया जा सकता 81

(4) गैर कानूनी जमावड़े को निष्पादित करने की क्रिया–धारा 129 130 131 फिर भी ऐसी परिस्थिति में जहाँ धारा 129 द० प्र० स० के अधीन तितर–बितर करना संभव नहीं हो वहाँ धारा 130 दं० प्र० सं० बल प्रयोग प्रावधानित करता है जो निम्नवत है

यदि इस तरह का कोई जमावड़ा अन्य किसी तरह तितर–बितर नहीं किया जा सकता है तथा ग्रह जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि भीड़ को तितर–बितर किया जाय तो दंडाधिकारी जो उच्चतम रैंक के है तथा वहाँ उपस्थित है वे सशस्त्र बल के द्वारा इस भीड़ को तितर–बितर करने का कारण बन सकते हैं।

(2) ऐसे दंडाधिकारी को सशस्त्र बल के किसी अफसर इन कमान्ड की आवश्यकता हो सकती है ताकि सशस्त्र बल की सहायता से ऐसे गैर कानूनी जमावड़े को तितर–बितर किया जा सके साथ ही वैसे व्यक्तियों को दंडाधिकारी के आदेश पर गिरफ्तार कर बंद किया जा सके जो लोग उक्त गैर कानून भीड़ के अंग है अथवा यदि भीड़ को तितर–बितर करने के लिए आवश्यकता हो तो कुछ लोगो को गिरफ्तार कर बंद करने के लिए सुसंगत हो।

धारा 131 दंड प्रक्रिया संहिता :

(5) कार्यपालक दंडाधिकारी सशस्त्र बल पदाधिकारी को जमावड़ा तितर–बितर करने की शक्ति –

जब ऐसे भीड़ के द्वारा लोक सुरक्षा अधिघोषित रूप से खतरे में हो तथा कोई कार्यपालक दंडाधिकारी को संसूचित नहीं किया जा सकता हो तब सशस्त्र बल के कोई कमिशन्ड ऑफिसर या सशस्त्र बल के राज्य पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल की सहायता से ऐसी मौड़ को अपने आदेश से तितर–बितर कर सकते हैं तथा किसी व्यक्ति की निरोध कर सकते है जो उसी का अंग है उनसे अथवा उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है लेकिन जब वे इस धारा के अधीन कार्यरत रहेंगे तो

के लिए यह यापहारिक होगा कि ये कार्यपालक दंडाधिकारी के साथ वार्ता सम्पर्क बनाये रखें, वे ऐसा कर सकते हैं तथा तब वे दंडाधिकारी के आदेशानुसार अग्रसर हो सकते हैं कि ये ऐसी कारवाई जारी रखे या नहीं।

भारतीय दंड संहिता के धारा 96 से 105 तब शरीर एवं सम्पत्ति सुरक्षा के अधिकार को परिगणित (म्दनउमतंजमक) किया गया है तथा जो कानून द्वारा मृत्यु होने तक मान्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जानमाल की सुरक्षा करने का अधिकार है तथा दूसरों के जानमाल की सुरक्षा का भी का भी अधिकार है।

विधि विरुद्ध जमाव को बलपूर्वक हटाना :

परन्तु बल प्रयोग यथोचित एवं जहाँ तक संभय हो अल्पत होना चाहिए। इस का अर्थ है कि कोई व्यक्ति उस हद तक बल प्रयोग का अधिकारी है जिससे उसके जानमाल पर आये आसन्न खतरे को टाला जा सके। उस हद तक बल प्रयोग कानून द्वारा अनुमान्य है, परन्तु जैसे ही यह हद से ज्यादा गुजरता है तब कानून सम्मत व्यक्ति होने के कारण समान अधिकार प्राप्त है, जैसा कि एक व्यक्ति को अतः यह उसकी डयुटी बनती है कि वह अपने नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा प्रदान करे तथा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल प्रयोग की अनुमति है गैर कानूनी भीड़ को तितर–बितर करने के लिए बल प्रयोग एवं बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है कि बल की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाय इस तरह के गैर कानूनी जमावड़े को बहुआयामी तरीकों से हटाने के लिए किया जाय। बल प्रयोग के उद्देश्य के लिए कोई कठोर नियम ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए नहीं है परन्तु यह पूर्णरूप से दंडाधिकारी अथवा ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैनात पुलिस पदाधिकारी पर निर्भर है।, फिर भी सरकार ने अपने विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक आदेशों के द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर कानूनी जमावड़े से निपटने के लिए प्रावधानों को निर्मित किया है। 1861 के पुलिस अधिनियम के धारा 30 एवं 30। के अधीन आम जनता के जमावड़े एवं जुलूस का नियमित करने के लिए प्रावधान निर्मित है तथा उसके लिए लायसेंस की आवश्यकता है तथा उसके उल्लंघन की स्थिति में दंडाधिकारी तथा आरंक्षी अधीक्षक की शक्ति भी प्रावधानित है। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस नियमावली के अधीन प्रावधानों एवं नियमों द्वारा गैर कानूनी भीड़ को तितर–बितर करने के लिए प्रयोग हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी कर रखा है।

विधि विरुद्ध जमाव से निपटने के लिए सशस्त्र कांस्टेबल या सैनिक बल की मांग :

(1) अतिरिक्त समाश्रित पुलिस बल की सेवा की मांग जिलाधिकारी अथवा पुलिस द्वारा की जायगी अथवा पुलिस निमावली के प्रावधानों के अनुसार उनके वरीय पदाधिकारी द्वारा की जायगी (देखे सशस्त्र पुलिस मैनुअल नियम 5) यह नियम व्यवहार के तरीकों को भी संकेतित करता है। यह आपात स्थिति में तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 10 में वर्णित स्थितियों में ऐसी मांग प्राप्ति के बाद किया जाना है।

अधीक्षक पुलिस अथवा कमान्डेन्ट जैसा मी केस हो जब तक एक निश्चित संख्या पदाधिकारी की एवं आदमियों की मांग के रूप में मांग करने वाले पदाधिकारियों से सलाहकर नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक कितना पार्टी–शक्ति प्रदान की जाय प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है। उन्हें यह देखना है कि वरन उचित रूप से अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित हो तथा बल के प्रत्येक जवान के पास 20 चक्र गोलियां हो, जो उनके साथ अलग पाउचों और कारतूस पट्टी में होगी वे यह भी देखेंगे कि पार्टी के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद हो। किसी भी परिस्थति में खाली गोला बारूद नहीं ले जाया जायगा।

(ii) जब कभी इंस्पेक्टर अथवा निम्न पंक्ति के पुलिस पदाधिकारी यह विचार करते है कि (उनके कार्य क्षेत्र में सशस्त्र बल की तैनाती आवश्यक है तो वे इस आशय का एक आवेदन

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को देंगे सिवाय गंभीर आपातकाल के वगैर अनुमंडलाधिकारी अथवा अनुमंडल पुलिस अधिकारी के पूर्व अनुमति के स्थानीय पुलिस के सशस्त्र बल की नियुक्ति सूदूर इलाके में नहीं करेंगे साथ ही पुलिस स्टेशन में रखे गये आपातिक हथियार का उपयोग भी नहीं करेंगे, अन्य तरह से खजाना–रक्षक अथवा पुलिस स्टेशन अथवा अन्य सरकारी भवनों की रक्षा करने वाले पुलिस को भी प्रचालित नहीं करेंगे।

(इ) सैन्यबल की मांग :– (6) जहाँ पदाधिकारी को दंगा या बलवा दबाने के लिए सेना की मांग करनी होगी तो इसकी मांग आ० ह० प्रपत्र 99 प्ररूप में करेंगे ये किसी भी तरह बल निर्माण विवरण में हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं है। सैनिक पदाधिकारी औपरेशन की सफलता के लिए उत्तरदायी होगें उन्हें देखना है कि किस तरह से फौज उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है।

उस केस में जिसमें मिलिट्री सहायता की मांग की गयी है. क्षेत्र के GO-C को सदा जिनती जल्द संभव हो सके सरकारी की इच्छा से सूचित किया जाना चाहिए तथा संबंधित पदाधिकारी जो मिलिट्री सहायता की जब मांग करते है तब उन्हें मिलीट्री बल की ताकत एवं बनावट पर कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है।

(ii) जब समय कम हो जिलाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम स्तर को दंडाधिकारी सबसे नजदीक के मिलिट्री पदाधिकारी से जो उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार में है आ० ४० प्रपत्र सं० 99 में गंभीर परिस्थिति उपस्थित होने पर सीधे फौज की मांग कर सकते हैं। जहाँ प्रभावित क्षेत्र में कोई फौज नहीं हो. दंडाधिकारी पढ़ोस क्षेत्र से फौज की मांग कर सकते है। उससे से भी जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है इस बात से इतर कि यह क्षेत्र दूसरे राज्य में पड़ता है। दाधिकारी निश्चित रूप से राज्य सरकार को सूचित करेंगे जो केन्द्र सरकार को सुरक्षा मंत्रालय में सूचना देगी साथ ही गृह मंत्रालय को भी देर किये वगैर सूचित कर देंगे। इसके पूर्व की सेना बुलायी जाय यह आवश्यक होगा कि अर्द्ध सैनिक बल या केन्द्र सरकार की अन्य सशस्त्र बल की सहायता की खोज की जाय इन स्रोतों से सशस्त्र बल के काबिल इकाई से सहायता मांगने की ही तरह है सिवाय इसके कि उनके फेस में केवल जिलाधिकारी ही आपातकाल में सेना की सबसे नजदीक के बल केन्द्र से कर सकते है। (ब) दंडाधिकारी की नियुक्ति परिस्थिति ऐसी हो जाय कि बल प्रयोग अपुलिस के प्रति विरोध की संभावना हो अथवा या सशस्त्र बल नियुक्त किया जाता है जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी अथवा कोई दंडाधिकारी जो उनके द्वारा चुने जाते है, प्रभारी के रूप में साथ जायेंगे जब तक कि यह करना असंभव नहीं हो इस उद्देश्य के लिए पुलिस अधीक्षक अथवा अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी या अन्य संबंधित पुलिस पदाधिकारी एक मांग पत्र निश्चित तौर पर दंडाधिकारी की नियुक्ति के लिए भेजेंगे। परन्तु अपराध निरोध गश्त इत्यादि के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति की मांग सशस्त्र बल के साथ जाने के लिए नहीं की जायगी। छोटे सशस्त्र बल पार्टी अति शक्ति सम्पन बनाकर भेजने की स्थिति टालने के लिए यह आदेश दिया जाता है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी एक सेक्शन से कम के सशस्त्र बल को अपने साथ लेकर नहीं जायेंगे। विशेष परिस्थिति में आधा सेक्सन लेकर जाया जा सकता है। दंडाधिकारी को दाहिने हाथ पर ऊपर से नीचे ''विशिष्ट अभिड 47 की चौड़ी और लाल पट्टी जिसपर नीले रंग में 2 ऊँचाई पर

दंडाधिकारी लिखा होगा धारण करना चाहिए। (इ) आरक्षी बल का व्यवस्थापन बल प्रबंधन पूर्ण रूपेण पुलिस अफसर–इन मान्ड के रव–विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए 303 रायफल आवश्यक होगा जब मौड़ आग्नेयास्त्र एवं घातक हथियारों से सुसज्जित हो अन्यथा 410 मरकेट ही पर्याप्त होगे। , पुलिस प्रबंधन की सिफारिश–नियमतः निम्नलिखित पुलिस प्रबंधन की सिफारिश की जाती है पुलिस फोर्स (बल) दो रैंको में स्थापित किया जायगा 100 मीटर की दूरी पर अथवा अन्य सुविधाजनक स्थान पर जो उपद्रव के स्थान दृश्य पर निर्भर करेगा जहाँ भीड़ जमा है तथा पायोनेट तुरन्त दान दिया जायगा।

(1) प्रत्येक सावधानी बरती जायगी कोई बल आग्नेयास्त्र के साथ बड़ी और खतरनाक भीड़ के उतने नजदीक नहीं लाया जाय ताकि यह सदस्य से आप्लावित होकर खतरा मोल लें अथवा मजबूर होकर भयंकर नरसंहार प्रस्तुत करें। यदि आग्नेयास्त्र का प्रयोग टाला नहीं जा सके तो फायरिंग प्रारंभ किया जाना चाहिए 50 से 100 मीटर दूर से जो दूरी पर्याप्त है भीड़ से घिरने के खतरे से बचने के लिए तथा कठोरता पूर्वक फायरिंग नियंत्रित किया जा सके। फायरिंग निश्चित रूप से किसी भी तरह अन्तरित नहीं होना चाहिए यदि उग्रभीड सशस्त्र बल से 50 मीटर के घेरे के अन्दर पहुँच जाय। गलियों में दंगा भड़कने के केस में भीड़ को रोकने का यथा संभव जहाँ तक दूर हो प्रयास किया जाना चाहिए। इसके विकल्प के रूप में सशस्त्र पुलिस पार्टी को भीड़ से दूर अपना पोजीशन ले लेना चाहिए। प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए कि खाली रेंज पर फायरिंग से बचा जय क्योंकि इससे अधिक जान जाने का खतरा होता है। किसी भी केस में लक्ष्य कम से कम होना चाहिए। (iii) फायरिंग पर नियंत्रण के लिए आरक्षी बल को सेक्सनों में बांट दिया जाना चाहिए।

(iv) यदि सिपाहियों को ऐसे स्थापित किया जाता है कि वे विभिन्न दिशाओं का सामना करें उन्हें एक ही पंक्ति में सामना नहीं कराया जाना चाहिए वरन पंक्तियों को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए कि ये विभिन्न राहों पर सामना कर तथा उनके बीच स्पष्ट जगह बनी रहे ताकि अफसर इन कमान्ड को पंक्तियों के बीच घूमने फिरने में आसानी हो ये नियंत्रण प्रभावी कर सके। (अ) पुलिस पदाधिकारी जो बल के कार्यकारी कमान्ड में है उसे किसी भी हाल में आरक्षी बल से अलग नहीं होगा। (10) मोक्लाउज (ह) मे चेतावनी दल नहीं मुख्य अंग अव्यवस्थित आदेश से आगे बदेगी कमान्ड को भी यह बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ तक व्यवहारिक हो सके उनके आधे व्यक्ति सदा अपने इनिवार भरा हुआ (Loaded) रखे जब आक्रमण की संभावना हो। यह निश्चित तौर पर आश्वस्त किया जाना चाहिए जब रामफल भरा हो उसका सुरक्षा कैच लगा देना चाहिए ताकि अचानक गोली न चल जाय यह कार्य सम्पन्न कर सशस्त्र बल अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद आदेश प्राप्त कर सेफ्टी कैच उस स्थिति में किया जायगा कि फायर किया जा सके। (10) गैर कानूनी भीड़ को चेतावनी (2) गोली चलवाना प्रारंभ करने से पूर्व कुछेक संसूचन सिग्नल व्यवस्थित की जानी चाहिए थानाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के बीच क्योंकि कभी कभी वे दोनों श्रवण–सौना के अन्दर नहीं हो – जब यह धारा 129 दं०प्र०सं० के अधीन एक्शन लेना आवश्यक हो जाय तब दंडाधिकारी अथवा दाधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस प्रभारी अधिकारी दंगा झंडा लहरायेंगे यदि उपलब्ध हो तब इस प्रकार लहरायेंगे कि ताकि झंडा पर अंकित लेख स्पष्ट दृष्य हो, उसके बाद एक लावी धुन विगुल बजा जायगी अथवा यदि विगुल उपलब्ध नहीं हो तो सीटी बजाकर भीड़ का ध्यान आकर्षित किया

जायगा ताकि चेतावनी को सुन सके सीटी की आवाज अविरत एवं आन्तरायिक होना चाहिए। दंडाधिकारी अथवा यदि दंडाधिकारी नहीं हो तो पुलिस पदाधिकारी तब गैर कानूनी गौड़ को आदेश देंगे कि वे तितर बितर हो जाय और यदि वे तितर–बितर नहीं होंगे तो उन्हें बल पूर्वक हटा दिया जायगा हर प्रकार के गलत सोच समझदारी के विरुद्ध गार्ड करने यह आश्वस्त किया जायगा कि पूर्णरूपेण चेतावनी दी जा चुकी है, भीड़ को जब भी संभव हुआ है इसके पूर्व कि कोई फायरिंग की आदेश दिया जाय तथा अत्यंत प्रभावशाली उपाय गैर कानूनी भीड़ के सदस्यों को व्याख्या कर दिया जाय कि पुलिस पार्टी को गोली चलाने का आदेश दिये जाने की दशा में फायरिंग असरदार होगा वे गैर कानूनी भीड़ को या तो स्वयं चेतावनी दे सकते है अथवा किसी हवलदार को दो रायफल मैन के साथ भेज देंगे श्रवण दूरी नीर और रायफल मैन के बीच बनी रहेगी परन्तु यदि वे पुलिस पदाधिकारी है, कार्यपालक कमान्ड में तब ये सशस्त्र बल का त्याग किये बगैर चेतावनी संसूचित करेंगे। उ वर्णित दंगा था पर निम्न वाक्य अंकित रहना चाहिए भीड़ गैरकानूनी है, भीड़ को तुरंत तितर–बितर हो जाना चाहिए। यदि नहीं होंगे तो पुलिस आप पर गोली चलाएगी। इससे जाने की हानि हो सकती है। अतः तुरंत तितर–बितर हो जाये सकते हैं। () जब घेतावनी का कोई असर नहीं हो तो मुख्य दल बड़ी चेतावनी पार्टी से 100 मीटर आगे बढ़ जायगी, यदि एक भेजे जाते हैं या चेतावनी दत्त मुख्य दल के पास वापस आ जाती है अथवा उसे कवर करती है हर स्थिति में यह सावधानी वस्ती जायगी मुख्य दल द्वारा गोली चलवाने से बचा जाय (11, बल प्रयोग द्वारा बिखेरना – (1) यदि इस तरह आदेश देने पर कोई जमावड़ा यह आचरण प्रकट करता है कि उसका तितर बितर होने का इरादा नहीं है तो दंडाधिकारी अथवा यदि दंशाधिकारी नहीं हो तो प्रभारी पुलिस पदाधिकारी बल पूर्वक भीड़ को तितर–बितर करने के लिए अग्रसर होंगे। (1) जब भीड़ उत्तेजित हो तथा जानमाल को हानि से किसी अन्य प्रकार नहीं रोका जा सके तब उपस्थित वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी परिस्थिति का नियंत्रण उपलब्ध पुलिस बल तथा सामरिक साधन के बल के आधार पर स्थिति को संभालेंगे।

जब कानून व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी कम से कम एक हवलदार के साथ है तथा 9 सिपाही उनके साथ है, जिनके हाथों में लाठी है, यदि भीड़ के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं है तो लाठी प्रहार किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ को तितर–बितर करना तथा रिंग लीडर को गिरफ्तार करना है।

(iii) यदि कानून व्यवस्था बरकार रखने वाले पदाधिकारी के पास अभुगैस दस्ता है तो इसका उपयोग उत्तेजित भीड़ को तितर–बितर करने के लिए किया जायगा (पअ) यदि मौड़ नियंत्रित करने वाले पदाधिकारी के पास अश्रुगैस दस्ता और लाठी पार्टी दोनो मौजूद हो और फिर भी लगता हो कि भीड़ नियंत्रित अथवा तितर–बितर नहीं होगी तो फायरिंग प्रारंभ किया जा सकता है बगैर लाठी चार्ज अथवा अगैस प्रयोग के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी अथवा दंडाधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करेगा। (2) दोनो–दंडाधिकारी और पुलिस के अफसर इन कमान्ड अथवा जब दंडाधिकारी नहीं है तो पुलिस अफसर इन्चार्ज उत्तरदायी होंगे यह देखने के लिए कि बल प्रयोग अल्पतम है जो गैरकानूनी भीड़ को तितर–बितर करने के लिए आवश्यक है तथा जानमाल की रक्षा और पुलिस पार्टी की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

(3) यदि लाठी चार्ज का आदेश दिया जाता है तथा यह संभावना बनती है कि आगे और बल की जरूरत पड़ेगी भीड़ को तितर–बितर करने के लिए तो बाजू से चार्ज किया, सकता है यदि संभव है। यदि यह संभव नहीं है तो प्रत्येक प्रयास ऐसा किया जाना चाहिए कि चार्ज करने का जैसे ही निर्देश दिया जाय वैसे ही सशस्त्र बल फायरिंग करना तब शुरू कर दें जैसे ही इसकी आवश्यकता हो । फायरिंग तभी शुरू की जा सकती है जब दंडाधिकारी इसे जानमाल की सुरक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी समझते है। (5) यदि घटना स्थल पर कोई दंडाधिकारी नहीं है तब यह पुलिस इंचार्ज पदाधिकारी का उत्तरदायित्व बनता है। अधुगैस के केस में जब अयुगेस दस्ता क्रियाशील होता है, विभाग का स्टैंडिंग अनुदेश एवं अनुगैस नियमावली (केन्द्र सरकार) का अनुगमन किया जाना चाहिए।

भीड़ के तितर बितर होने के बाद की कारवाई –

जब पैर कानूनी भीड़ बलपूर्वक तितर–बितर कर दिया जाता है, मृतक एवं घायलों को जितनी जल्द हो सके अस्पताल भेजने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा उसके बाद दंडाधिकारी तथा पुलिस इन कमान्ड संयुक्त रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट उच्च अधिकारी के पास भेजेंगे तार द्वारा तथा जहाँ तक संभव हो सके टेलीफोन तथा पुलिस के विशेष टेलीग्राम द्वारा भी भेजेंगे।

इसके बाद दंडाधिकारी अथवा पुलिस पदाधिकारी जो कमान्ड में है संयुक्त रूप से सही–सही रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कितनी राउन्ड गोलियों चली तथा फैलाया गया और सभी बातों का वर्णन करते हुए एक व्योरेवार रिपोर्ट भेजेंगे जैसा कि क्लाउज (ड) 2 इस नियम में में वर्णित है। दंडाधिकारी दूलतम साधन के द्वारा जिलाधिकारी आयुक्त और मुख्य सचिव के पास भेज देंगे तथा पुलिस पदाधिकारी इन कमांड इसकी क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक के पास भेज देंगे।

जिलों में फायरिंग की संयुक्त रूप से जाँच जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की जानी चाहिए तथा सभी संबंधितों को उसके रिपोर्ट की प्रति भेज दी जानी चाहिए

ऐसे सभी मामलों में जहां जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट आरक्षी अधीक्षक या अपर आरक्षी अधीक्षक या समादेष्टा के आदेश के अधीन गोली चलाई गई हो प्रमंडल आयुक्त एवं आरक्षी उप महानिरीक्षक पुलिस को चाहिए कि वे इलाके का दौरा करें कि किस परिस्थिति में गोली चलवाई गयो तथा किस हद तक पुलिस नियमावली और प्रशासनिक अनुदेशों का पालन किया गया। गोपनीय रिपोर्ट की एक प्रति जिसके साथ कमिश्नर अपने निष्कर्ष के साथ मुख्य सचिव को तथा इंस्पेक्टर जेनरल ऑफ पुलिस को पास भेजेंगे। यह जितनी संभव हो फायरिंग के बाद कम देर लगाया जायगा, उस रिपोर्ट पर कमिश्नर एवं आरक्षी उप महानिरीक्षक का हस्ताक्षर होगा।

फायरिंग के दूसरे सभी गंभीर प्रकृति के केसों में क्षेत्र के कमिश्नर तथा रेंज के आरक्षी उप महानिरीक्षक को चाहिए कि वे इलाके का दौरा फायरिंग के तुरंत बाद करे ताकि वे विषयवस्तु में सामान्य रूप से झांक सके तथा स्थानीय पदाधिकारी को ऐसा निर्देश दे सके जो इंक्वायरी, राहत एवं केस करने से संबंधित है तथा जो और विचारणीय है जांच पदाधिकारी चाहे वह जिलाधिकारी या प्रमंडलीय आयुक्त हो, रिपोर्ट में निम्न बातों का जिक्र करेंगे की चर्चा करेंगे

(i) मूल स्रोत एवं दंगा के फेस

(ii) व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष जिसने इसे प्रारंभ किया

(iii) दंगा का कारण

(iv) यह केस समाप्त हुआ अथवा दवाया गया?

(vi) कितने कारतूसों का प्रयोग हुआ ?

(v) कब और कौन सा बल प्रयोग किया गया?

(vii) क्या फायरिंग आवश्यक था तथा प्रभावशाली और न्यायोचित था? यह अंतिम बिन्दु है जिसे दंडाधिकारी द्वारा उचित व्याख्या की जरूरत है साथ ही पुलिस अफसर इन कमान्ड कि वे अपने एक्शन को न्यायोचित ठहरादे तथा घटना स्थल से सबूत इकट्ठा करें तथा गवाह और वास्तविक स्थिति का वर्णन रिपोर्ट में उचित रूप से कर दिया जाय ताकि सत्य को सतह पर लाया जा सके। जब कभी दंडाधिकारी द्वारा बल प्रयोग किया गया है अथवा प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया गया है पदाधिकारी पर कारवाई की मांग आसन्न हो जाता है। धारा 132 ००० वैसे सभी पदाधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है जो ऐसे स्थिति को संचालित करते हैं जब वे अपने कार्यालयी कर्तव्य का निर्वहण कर रहे होते हैं।

धारा 132 दे०प्र०सं० निम्न प्रकार पढ़ा जाता है।

(6) किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन पैसे कार्य के लिए दं०प्र०सं० के धारा 129 130 एवं 131 के अधीन किया गया है। किसी दंड न्यायालय में अभियोजित नहीं किया जा सकता है सिवाय (i) किसी अन्य केस में राज्य सरकार की स्वीकृति के साथ कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा कार्यपालक पदाधिकारी पर नहीं किया जा सकता है जिन्होंने सदभावना में उपरोक्त किसी धारा के अधीन किया है। (इ) किसी भी व्यक्ति पर नहीं जिसने सदभावना में धारा 129 अथवा 130 के अनुपालन में किया है। (ब) सशस्त्र बल के किसी पदाधिकारी पर नहीं जिसने धारा 131 के अधीन सदभावना में किया हो। (क) सशस्त्र बल के किसी सदस्य पर नहीं जो किसी आदेश के अनुपालन में कोई काम कर रहे हो जिसे पालन करने के लिए के वाध्य है को किसी अपराध का किया हुआ नहीं माना जायगा। समय–समय पर सरकार ने अनुदेश जारी कर रखा है कि दंडाधिकारी का उपयोग सशस्त्र पुलिस बल के साथ किया जाना चाहिए ताकि गैर कानूनी भीड़ को तितर बितर किया जा सके। कार्यपालक दंडाधिकारियों से अपेक्षित है कि ये उन अनुदेशों को सावधानी पूर्वक मनन करें जैसा कि बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित लाल पुस्तिका में संकलित है। यह सदा दिमाग में बैठा लिया जाना चाहिए कि मृत्यु समीक्षा में जरा भी समय की बर्बादी नहीं हो ऐसा प्रत्येक के मृत्यु फेस के लिए होना है जो फायरिंग के दौरान मृत्यु हुई है। जैसे ही पुलिस फायरिंग के चलते कोई मृत्यु होती है, जिलाधिकारी अथवा अनुमंडलाधिकारी जिनसे मृत्यु समीक्षा भेजी जाने की उम्मीद है उनकी टिप्पणी के साथ–सीधे सरकार के पास एक प्रति प्रमंडलीय आयुक्त को भेज देनी है। किसी कानूनी जमावड़े से जो बाद में गैर कानूनी जनावड़े में बदल जाता है, उससे कैसे निपटारा किया जाय, इसे निश्चित रूप से पथ प्रदर्शित केवल कानूनों, नियमों और नियमावली द्वारा नहीं किया जाना चाहिए परन्तु इसे प्रबुद्धता के साथ तथा चतुराई पूर्ण तरीकों से मिश्रित किया जाना चाहिए साथ ही इसके

साथ मानवतावादी दृष्टिकोण जो युक्ति संगत हो ऐसी स्थिति को निष्पादित करने में अपनाया जाना चाहिए।

4. भीड़ नियंत्रण के सिद्धान्त

भीड़ नियंत्रण –प्रत्येक जिले में आने वाले समस्त थानो के आसूचना अधिकारी अपने क्षेत्र में होने वाली विभिन्न घटनाओ की एक रिपोर्ट बनाकर जिला विशेष टीम प्रभारी जो निरीक्षक/उपनिरीक्षक से पंक्ति में कम नही हो को रिपोर्ट बनाकर प्रेषित करते है। कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति, साम्प्रदायिक स्थिति,बलवा, और क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति के आगमन इससे पूर्व आसूचना एकत्रित कर विशेष रिपोर्ट बनाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जोन कार्यालय, राज्य विशेष शाखा मुख्यालय को भेजते है।

राज्य विशेष शाखा राज्य मे होने वाली प्रत्येक गतिविधि तथा घटित होने वाली प्रत्येक घटना का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में घटित घटनाक्रम तथा उसका सामान्य मनुष्यों पर होने वाले प्रभाव और संभावित प्रतिक्रिया के बारे में विशेष शाखा द्वारा राज्य सरकार को रिर्पोटिंग की जाती हैं।

सम्भावित भीड़ के एकत्रिकरण की स्थिति का पूर्वाकलन :–

- विभिन्न माध्यमों से कानून व्यवस्था की स्थिति का पूर्वाकलन करना।
- आयोजकों से समन्वय स्थापित कर जानकारी करना।
- पूर्व के अनुभवों के आधार पर पूर्वाकलन करना।
- संभावित भीड का पूर्वाकलन करना।
- मुददों, मांगों, आयोजन के उददेश्य के बारे में जानकारी हासिल करना।
- आयोजन के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली या आयोजन के तरीके के बारे मेंजानकारी प्राप्त करना। अन्य कोई परिस्थिति जो संभावित हो उसके बारे में भी आकलन करना।

भीड़ के विसर्जन के क्रम में आसूचना का महत्व

- कानून व्यवस्था की स्थिति का आंकलन कर रिर्पोट उच्च अधिकारियों को देना।
- मुददों, मांगों, आयोजन के उददेश्य की सफलता का प्रतिशत जांचना।
- भीड की मानसिकता का आंकलन करना।
- भीड का हिंसक या आक्रमाकता की ओर बढ रही है या नहीं
- सार्वजनिक उदघोषणा प्रणाली का उपयोग धार्मिक आयोजनों में किया गया जाता है वक्ताओं का प्रभाव क्या रहा।

1. भीड नियंत्रण के सिद्धान्त–
   आंदोलनकारियो के विविध वर्गो से निपटने में पुलिस का उचित व्यवहार

विभिन्न प्रकार के आंदोलनकारियों के प्रति पुलिस व्यवहार

पुलिस को विभिन्न प्रकार के आंदोलनकारिंयो को नियंत्रित करना पडता है, और इनके लिये अलग–अलग उपाय अपनाने पडते हैं। यह इसलिये आवयश्क है, क्योंकि उनकी मानसिकता व व्यवहार तथा पुलिस द्वारा कार्यवाही करने पर इनकी प्रतिक्रियायें भी भिन्न होती हैं। इसी कारण इन विभिन्न प्रकार के आंदोलनकारियों से एक समान कार्यवाही से निपटना सम्भव नहीं है। विभिन्न प्रकार की संगठित भीड या आंदोलनकारियों का वर्णन निम्न अनुसार किया जा सकता हैः–

1. राजनैतिक
2. छात्र
3. श्रमिक
4. खेतिहर या किसान
5. साम्प्रदायिक

इन वर्गों द्वारा आन्दोलन सभाओं व जुलूसों के रुप में किये जाते हैं। उचित व्यवस्था के अभाव में ऐसी सभा या जुलूस किसी कारण से उत्तेजित होकर हिंसक रुप धारण कर सकती हैं।

राजनैतिक आन्दोलन

राजनैतिक आन्दोलन विभिन्न तरीकों से किये जाते है– प्रेस व टी.वी. के माध्यम से, काली पट्टी बॉधकर, असहयोग द्वारा अथवा सभा, जुलूस, प्रदर्शन तथा हडताल करके। राजनैतिक दल प्रायः सरकार की नीतियों के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। व्यापक जन सहयोग प्राप्त करने व भीड अधिक से अधिक संख्या में एकत्र करने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रदर्शनों का प्रचार विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ऐसे प्रदर्शन व्यापारियों व अन्य संगठनों द्वारा आयकर/बिक्रीकर विभाग या अन्य प्राधिकारी द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में किये जाते हैं। सरकारी/निजी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो को प्रमुखता देने के लिये किये गये प्रदर्शन/आन्दोलन भी इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

छात्र असंतोष

छात्र असंतोष विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकता हैः

(1) स्कूल/कालेज की फीस एवं परिवहन भाडे में बढोत्तरी
(2) छात्र यूनियन के चुनाव न होना
(3) परीक्षायें समय से न होना
(4) संस्था से जुडे मुद्दों जैसे किसी अध्यापक या प्रधान अध्यापक या प्राचार्य का स्थानान्तरण या पदच्युत होना आदि पर राजनीति करना।
(5) बसों में टिकट क्रय करने पर विवाद
(6) सिनेमाघरों में रियायत पर विवाद
(7) परीक्षाओं में तथाकथित धांधली

(8) शैक्षिक सुविधाओं में बढोत्तरी की मांग व अन्य कई प्रकार के कारण।

छात्रों को काबू में रखना एक कठिन कार्य है क्योंकि वह तर्कहीन होते हैं और जरा सी उत्तेजना मिलने पर हिंसा पर उतर आते हैं तथा तोड–फोड व छोटी–मोटी लूटपाट (खाने का सामान/फल आदि) भी उनमें सम्मिलित शरारती तत्वों द्वारा की जाती है। पुलिस द्वारा छात्रों के विरुद्व कडी कार्यवाही से छात्रों के प्रति जनता की सहानुभूति बढाती है क्योंकि समाज का बहुत बडा भाग उनसे जुडा है और वह छात्रों को परिपक्व बच्चों के रुप में मानता है। सितम्बर 1990 में दिल्ली में छात्रों द्वारा मण्डल कमीशन के विरोध में किया गया आंदोलन और उस पर पुलिस कार्यवाही इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेस व जनता ने पुलिस के छात्रों से निपटने के तरीके की कडी निन्दा की। एक अवसर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के करीब कार्यालयों के सरकारी कर्मचारियों ने पुलिस द्वारा आरक्षण विरोधी छात्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विरोध किया और छात्रों को तितर–बितर करने में पुलिस को बाधा पहुॅचाई।

श्रमिक आंदोलन

औधोगिक आंदोलन सामान्यतः वास्तविक या काल्पनिक आर्थिक कष्टों को लेकर होता है और वार्ता असफल होने पर प्रारम्भ हेाता है। प्रायः इस प्रकार के आंदोलनों को भडकाने में किसी श्रमिक के विरुद्ध हुई अनुशासनात्मक कार्यवाही, काम करने की अच्छी स्थितियों की मांग या दो संगठनों के मध्य श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने प्रयासों से उत्पन्न टकराव आदि सहायक होते हैं। आंदोलन के आह्वान को लोकप्रिय बनाने और हडताल या कार्य से विरत रहने में सहयोग प्राप्त करने के लिये रैलियों और प्रदर्शन किये जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रबन्ध तन्त्र पर दबाव डालना होता है। हडताली कर्मचारी धरना देते हैं जिससे निष्ठावान कर्मचारियों को अन्दर जाने से रोका जा सके या औधोगिक सम्पति को हानि पहुॅचाई जा सके।

किसान आन्दोलन

देश में कई बार किसान आन्दोलन हुये हैं। अतीत में चम्पारन और बारदोली में बडे पैमाने पर किसान आन्दोलन हुये हैं और उसके पश्चात् कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के आन्दोलन हुये हैं। यधपि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन ने इस प्रकार के संकट की क्षमता को एक सीमा तक कम कर दिया है परन्तु भूमि सम्बन्धी सुधार के क्रियान्वयन में विलम्ब ने कुछ राज्यों में बडे नाजुक हालात पैदा किये हैं। इस तरह के आन्दोलन का एक नया पहलू करों, विधुत दरों व कृषि उपज के मूल्य निर्धारण को लेकर सरकार के विरुद्ध संगठित आन्दोलन के रुप में सामने आया है।

मौलिक रुप से किसान आन्दोलनकारियों को निम्न दो वर्गों में बांटा जा सकता हैः–

(1) भू–स्वामियों के विरुद्ध

(2) सरकार के विरुद्ध

सामूहिक जन आन्दोलन

सामूहिक जन आन्दोलन अपने बडे आकार के कारण पुलिस के सामने उनसे निपटने के लिये एक विशेष समस्या उत्पन्न करते हैं। आन्दोलनकारी सामान्य रुप से एक विशेष वर्ग से सम्बन्धित होते हैं। वे श्रमिक, छात्र, किसान या किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय के हो सकते हैं। सामूहिक जन आन्दोलन विशाल क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और आमतौर पर किसी एक जनपद तक सीमित नहीं होते हैं और प्रायः पूरे राज्य को प्रभावित करते हैं। यह आंदोलन हिंसक या अहिंसक हो सकते हैं।

5. त्यौहारों की व्यवस्था

त्यौहारों में शान्ति और व्यवस्था के संबंध में कई प्रावधान किये गये हैं–

मेलों में प्रबन्ध–मेलों के समय पुलिस को स्वच्छता की व्यवस्था का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिये। मेलों में शौचालय के लिए पृथक स्थान निश्चित किया जाना चाहिये। मेले में चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिये। गंभीर रोगों या संक्रामक रोगों जैसे–हैजा या चेचक आदि से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति मेले में पाया जाय तो उसे तत्काल नजदीकी चिकित्सालय में ले जाना चाहिये।

मेलों में ठहरने की अनुमति– मेले में ठहरने वाले यात्रियों को मेले के मध्यभाग की खुली भूमि में ठहराया जाना चाहिये। किसी भी व्यक्ति को सड़क पर ठहरने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

मेलों में दुकानों की स्थिति– मेलों में बनियों और हलवाईयों की दुकानें मुख्य मार्गों द्वारा(क्रास रोड्स होनी) निर्मित प्रत्येक सेक्टर में पर्याप्त संख्या में स्थापित की जानी चाहिये। यह दुकाने सड़क के किनारों पर स्थित हानी चाहिये।

व्यवस्था का उत्तरदायित्व– मेले में व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। मेलों में नियुक्ति इन अधिकारियों को प्रत्येक संभव प्रकार से सहायता पहुंचाना पुलिस का कर्त्तव्य है।

त्यौहारों के समय शान्ति और व्यवस्था–भारत अनेक धर्मावलम्बियों का देश है। दूसरे शब्दों में भारत में रहने वाले लोग विभिन्न धर्मावलम्बी हैं। इनमें मुख्य रूप से हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी, जैन व बौद्ध आदि हैं। प्रत्येक धर्म की मान्यताओं के अनुसार उनके धर्मावलम्बी अपने–अपने त्यौहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ''मुख्य धार्मिक त्यौहारों या सभाओं के अवसर पर नगर की समस्त पुलिस को शान्ति और व्यवस्था की सुरक्षा, जुलूसों पर नियंत्रण आदि के लिए उपलब्ध रहना चाहिये। यदि कोई सुरक्षित दल (रिर्जव फोर्स) रखना आवश्यक हो तो उसे थाने में ही या किसी ऐसे स्थान पर जहां भीड़ से उसका सीधा सम्पर्क न हो, रखा जाना चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके।'' त्यौहारों के समय प्रायः जुलूस निकाले जाते हैं। इन जुलूसों के साथ बैण्ड–बाजे रहते है। या संगीत की कोई न कोई व्यवस्था रहती है। पूजा के स्थानों के सामने से जब यह जुलूस निकलते है, उस समय पुलिस अधिकारियों को सजग रहना चाहिये। संवेदनशील क्षेत्रों में इसलिए पुलिस को लोकशान्ति को बनाये रखने के लिए जुलूस के साथ रहते हुये सर्तकता पूर्वक कर्त्तव्य का निर्वाह करने चाहिये। गड़बड़ी होने की स्थिति में

पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व विधिक ढंग से पूर्ण करना चाहिये। आवश्यक होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अनुसार न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये, व्यवस्था बनानी चाहिये।

ग्रामीण बाजारों में शान्ति और व्यवस्था–1. बाजार ड्यूटी के समय पुलिसकर्मी को अपनी वर्दी में रहना चाहिये।

2. इस ड्यूटी पर सर्तकता पूर्वक व्यवस्था कायम रखने और अपराधों की रोकथाम का कार्य करना चाहिये।

3. इन बाजारों में आवगमन में रुकावट न आने पाये इसलिये आने–जाने वाले लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना चाहिये।

4. बाजार में गुम हुये बच्चों, विकलांगों एवं बीमारों की सहायता करनी चाहिये।

5. बाजार में आने वाले निगरानीशुदा व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखना चाहिये।

6. बाजार में बिकने वाली वस्तुओं और मवेशियों पर सर्तक निगाह रखनी चाहिये, कि कहीं कोई चोरी का माल व मवेशी तो नहीं बेचा जा रहा है।

7. बाजार में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों जैसे– जुआ, या नाजायज शराब आदि की बिक्री को रोकना चाहिये तथा

8. ड्यूटी के समय पुलिसजनों का व्यवहार विनम्र होना चाहिये।

6. दंगा नियंत्रण के व्यापक सिद्धान्त

कोलम्बियाई पुलिस ने वाटर कैनन के साथ दंगा नियंत्रण वाहन को बख्तरबंद किया है। 1930 के दशक में पोलिश दंगा पुलिस दस्ते, अपारदर्शी दंगा ढाल और बिना हेलमेट के विजर्स के, क्योंकि पॉली कार्बोनेट का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था

सुरक्षा के लिए, दंगा नियंत्रण करने वाले पुलिस दंगा विरोधी स्कूलों में प्रशिक्षित अधिकारी अक्सर सुरक्षात्मक हेलमेट पहनते हैं और दंगा ढाल लेते हैं। ये पहनने वाले को उन खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो सीधे हाथापाई और बोतलों और ईंटों जैसी वस्तुओं से आते हैं । दंगा नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अक्सर पहना जाने वाला गियर पूरे शरीर की सुरक्षा करता है, जिसका शोषण करने के लिए कोई कमजोर स्थान नहीं है। उदाहरण के लिए, दंगा नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाले हेलमेट में एक अतिरिक्त बाहरी भाग होता है जो गर्दन के पिछले हिस्से को हमले से बचाता है। और भी अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षात्मक उपकरण अक्सर बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि आंसू गैस या अन्य दंगा नियंत्रण एजेंटों का उपयोग किया जाना है, तो गैस मास्क भी पहना जा सकता है।

कई अतिरिक्त चिंताओं में से एक यह है कि भीड़ में शामिल लोगों को अधिकारियों की भुजाओं को छीनने से रोका जाए , जिन्हें चोरी किया जा सकता है या पुलिस के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत भारी भीड़ में, अधिकारी यह नहीं देख सकता है कि हथियार छीनने के लिए कौन जिम्मेदार है, और यह भी नहीं पता होगा कि ऐसा हुआ है। इस कारण से, दंगा पुलिस के पास सकारात्मक लॉकिंग तंत्र या प्रतिधारण के अन्य अतिरिक्त साधनों के साथ होल्स्टर्स हो सकते हैं , यदि उनकी एजेंसियां ऐसे उपकरण खरीद सकती हैं। हालाँकि, यह एक ट्रेड–ऑफ हो सकता है जो किसी आपात स्थिति में

साइडआर्म को खींचने के लिए आवश्यक समय को बढ़ाता है। वैकल्पिक रूप से, दंगा पुलिस बिल्कुल भी हथियार नहीं ले सकती है।

रणनीति की प्रारंभिक पसंद इस्तेमाल किए गए आक्रामक उपकरणों के प्रकार को निर्धारित करती है। आधार विकल्प घातक (उदाहरण के लिए 12 गेज शॉटगन) और कम–से–घातक हथियारों (जैसे आंसू गैस , काली मिर्च स्प्रे , प्लास्टिक की गोलियां , टैसर , बैटन और अन्य अक्षम) के बीच है। निर्णय खतरे के कथित स्तर और मौजूदा कानूनों पर आधारित हैय कई देशों में दंगों को नियंत्रित करने के लिए घातक बल का उपयोग करना गैर–कानूनी है, लेकिन सबसे चरम परिस्थितियों में।

विशेष दंगा हाथ के हथियारों में लकड़ी या रबर का डंडा शामिल है य अफ्रीकी रंउइवा , एक भारी चमड़े या प्लास्टिक का चाबुक, और भारतीय लाठी , एक कुंद धातु की नोक के साथ एक ६ से ८ फुट (२.४ मीटर) लंबी बेंत। वाहन पर लगे पानी की तोपें व्यक्तिगत हथियारों को बढ़ाने का काम कर सकती हैं। कुछ पानी के तोपों ने भीड़ को तितर–बितर करने में मदद करने के लिए पुलिस को दंगाइयों या आंसू गैस को चिह्नित करने के लिए डाई डालने दी।

बड़ी अशांति में, बख्तरबंद वाहनों में पुलिस को गोलाबारी के साथ प्रारंभिक वश में करने के लिए भेजा जा सकता है। कभी–कभी, पुलिस कुत्ते , फायर होज या घुड़सवार पुलिस तैनात की जाती है।

दंगा नियंत्रण एजेंट (आरसीए)

दंगा नियंत्रण एजेंट (कभी–कभी आरसीए कहा जाता है) गैर–घातक लैक्रिमेटरी एजेंट होते हैं जिनका उपयोग दंगा नियंत्रण के लिए किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दंगा नियंत्रण एजेंट काली मिर्च स्प्रे और विभिन्न प्रकार के आंसू गैस हैं। ये रसायन एक भीड़ को तितर–बितर कर देते हैं जो विरोध या दंगा कर सकती है , या किसी इमारत को खाली कर सकती है। वे तेजी से संवेदी जलन पैदा कर सकते हैं या शारीरिक प्रभावों को अक्षम कर सकते हैं जो आमतौर पर 15 मिनट (आंसू गैस के लिए) और 2 घंटे तक (काली मिर्च स्प्रे के लिए) एक्सपोजर की समाप्ति के बाद गायब हो जाते हैं। उनका उपयोग रासायनिक युद्ध रक्षा प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है ।

काली मिर्च फुहार

काली मिर्च स्प्रे में सक्रिय संघटक है capsaicin है, जो एक रासायनिक में पौधों के फल से प्राप्त होता है शिमला मिर्च सहित जीनस, मिर्च । कैप्साइसिन का एक सिंथेटिक एनालॉग, पेलार्गोनिक एसिड वैनिलीलामाइड (डेस्मेथिल्डिहाइड्रोकैप्साइसिन), काली मिर्च स्प्रे के एक अन्य संस्करण में उपयोग किया जाता है जिसे पावा स्प्रे के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है । काली मिर्च स्प्रे का एक और सिंथेटिक समकक्ष, पेलार्गोनिक एसिड मॉर्फोलाइड विकसित किया गया था और रूस में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ।

आनंसू गैस

आंसू गैस किसी भी रसायन के लिए एक गैर–विशिष्ट शब्द है जिसका उपयोग आंखों औरध्या श्वसन प्रणाली की जलन के माध्यम से अस्थायी रूप से अक्षम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हैंड–हेल्ड स्प्रे के रूप में किया जाता है या कनस्तरों में दागा जा

सकता है जो एक स्थिर दर पर एक एयरोसोल बादल को गर्म करते हैं । जबकि युद्ध में आंसू गैस का उपयोग विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों ख्एनबी 1, द्वारा निषिद्ध है , जिन पर अधिकांश राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और निजी आत्मरक्षा के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।

दंगा नियंत्रण में प्रयुक्त हथियार

गैर–घातक हथियार
सीएस गैस
लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस
प्लास्टिक की गोलियां
काली मिर्च फुहार
रबड़ बुलेट
पानी की बंदूक
पेलेट गन (पेलेट शॉटगन)
भीड़ नियंत्रण के लिए संगीनों का प्रयोग

7. गृह रक्षक दल, अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के व्यापक सिद्धान्त एवं समन्वय एवं सहयोग की विधियॉ

होमगार्ड, अर्धसैनिक बल व सेना की तैनाती

प्रायः ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब जनपद में उपलब्ध बल में होमगार्ड, अर्ध सैनिक बलों या सेना से वृद्धि की जाती है। ऐसी स्थितियाँ प्राकृतिक आपदाओं कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या या बड़े पैमाने पर बल नियुक्त करने वाली व्यवस्थाओं के कारण पैदा हो सकती हैं। अतिरिक्त बल की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है–

(क) जनपद की पुलिस बल की संख्या स्थिति से निपटने के लिये अपर्याप्त हो सकती है।

(ख) कानून एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण जनपदीय पुलिस अपने स्तर पर उस पर
नियंत्रण करने में असमर्थ हो ।

(ग) विशिष्ट परिस्थिति से निपटने के लिये विशेष उपकरणों एवं अभ्यस्त कर्मियों/विशेषज्ञों की
आवश्यकता हो सकती है (जैसे कि दैवी आपदा में सहायता, राजद्रोह, विशिष्ट प्रकार की
कार्यवाही आदि के समय) ।

तैनाती के मुख्य सिद्धान्त

होमगार्ड, अर्ध सैनिक बलों व सेना के द्वारा किये जाने वाले कार्यों में आधारभूत अन्तर होते हैं। परिणामस्वरुप उनकी तैनाती के सिद्धान्त भी अलग–अलग होगें।

होमगार्ड

होमगार्ड को सामान्य रूप से निम्नलिखित पुलिस कार्यों हेतु ड्यूटी पर लगाया जाता हैः–

1. यातायात नियंत्रण
2. शहरी क्षेत्र में गश्त
3. संदेश वाहक ड्यूटी के लिये
4. बाहर से प्राप्त बलों के लिये मार्ग दर्शक के रूप में
5. पुलिस बन्दोबस्त हेतु (त्यौहारों, मेलों आदि में व्यवस्था)

कुछ होमगार्ड को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है (जैसे कि उत्तर प्रदेश में)। ऐसे होमगार्ड को कम संवेदनशील स्थानों पर लगाई जाने वाली सशस्त्र गादों में मिश्रित करके लगाया जा सकता है। परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसी गार्दो में कम से कम आधे कर्मचारी प्रशिक्षित आरक्षी होने चाहियें। इससे कुछ प्रशिक्षित आरक्षी अन्य ड्यूटी हेतु मुक्त हो जायेगें।

होमगार्ड भीड़ को तितर–बितर करने के लिये प्रशिक्षित नहीं होते हैं और उन्हें इस प्रकार की ड्यूटियों में नहीं लगाया जाना चाहिये। परन्तु इनसे भीड़ के नियोजित नियंत्रण हेतु पुलिस की गश्ती टोली के बल की वृद्धि की जा सकती है या नियोजित पुलिस व्यवस्था में लगाया जा सकता है। मौलिक रूप से यह सिद्धान्त ध्यान में रखा जाये कि होमगार्ड को ड्यूटी पर अकेला नहीं लगाया जाना चाहिये और इन्हें आरक्षियों के साथ ही नियुक्त किया जाना चाहिये। होमगार्ड के उपयोग से निम्न का लाभ उठाया जा सकता हैः

1. होमगार्ड प्रायः स्थानीय होते हैं अतः इनके रहने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
2. उन्हें क्षेत्र की अच्छी जानकारी होती है।
3. उन्हें किसी भी संख्या में लगाया जा सकता है।
4. वह जनपद से ही जिला मजिस्ट्रेटध्पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र (जैसी विभिन्न राज्यों में प्रक्रिया हो) के आदेश से बुलाये जा सकते हैं।

अर्ध सैनिक बल

अर्ध सैनिक बलों में राज्य के आरक्षित बल जैसे कि बी.एम.पी. (बिहार/झारखण्ड).. पी.ए.पी. (पंजाब), एस.ए.एफ, (मध्य प्रदेश), पी.ए.सी. (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड) आदि से तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल जैसे सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी. बी.पी., एस.एस.बी., सी.आई.एस.एफ. आदि सम्मिलित हैं। केन्द्रीय पुलिस बलों में से सी.आर.पी.एफ. को सामान्यतः कानून व्यवस्था की ड्यूटी हेतु लगाया जाता है। बी.एस.एफ. को आन्तरिक सुरक्षा की ड्यूटियों हेतु यदा–कदा बुलाया जाता है परन्तु इसको भूमिका सीमित होती है। अन्य केन्द्रीय पुलिस संगठनों को अपवादित स्थितियों में ही कभी–कभी प्रयोग किया जाता है।

राज्य अर्द्ध सैनिक बल

राज्य के अर्ध सैनिक बलों को जनपदीय पुलिस की ड्यूटियों में सहायता प्रदान करने हेतु सर्वप्रथम बुलाया जाता है। ये बल विशाल जनसमूह को विनियमित करने में विशिष्ट या अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर, मार्ग और ठहरने के स्थान की सुरक्षा, कानून एवं

व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, तलाशी के लिये घेराबन्दी गई। ड्यूटी और डकैती विरोधी अभियानों में सहायता प्रदान करते हैं।

ऐसे बलों को पुलिस के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिये, क्योंकि इससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे बल सामान्य रूप से कम्पनी या प्लाटून को जनशक्ति में नियुक्त किये जाते हैं। कम्पनी कमांडर निरीक्षक के पद का होता है। प्लाटूनों को प्लाटून कमान्डर (सूबेदार), जो पुलिस उप निरीक्षक के पद के बराबर का होता है, द्वारा समादेशित किया जाता है। यह स्थानीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश के अन्तर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार के बल कम से कम आधा सेक्शन (एक है का और चार आरक्षी) की जनशक्ति में प्रयोग किये जा सकते हैं परन्तु, इन बलों का शिविर सामान्यतः कम्पनी या प्लाटून स्तर पर ही लगाया जाना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में ही अल्प अवधि के लिये, डेढ़ सेक्शन का शिविर लगाने के लिये विचार किया जाना चाहिये।

ऐसे बलों को ड्यूटी पर लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा उचित समादेश और नियंत्रण हेतु, जहाँ तक संभव हो, बल की इकाई को बड़े क्षेत्र में न फैलने दिया जाये। इन बलों के साथ में ड्यूटी के स्वभाव के अनुसार स्थानीय उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी या आरक्षी को लगाया जाना चाहिये क्योंकि यह बल सामान्य रूप से स्थानीय परिस्थितियों से परिचित नहीं होते हैं।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.)

सीमा सुरक्षा बल का सिविल अधिकारियों की सहायता में निम्नलिखित ड्यूटियों में प्रयोग किया जाता हैः

- कानून और व्यवस्था बनाये रखने में
- महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिये

सामान्य पुलिस कार्यों में सीमा सुरक्षा बल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसका प्रयोग केवल कानून और व्यवस्था सम्बन्धी गंभीर परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों की आशंका में ही किया जाना चाहिये। सीमा सुरक्षा बल लाठी, केन, शील्ड व बाडी प्रोटेक्टर से सुसज्जित नहीं होती हैं। भीड़ को तितर–बितर करने के लिये सेना की तरह वह आग्नेयास्त्र का ही प्रयोग कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल अश्रु गैस के उपकरण रखते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सीमा सुरक्षा बल को ड्यूटी आवटित करते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखना आवश्यक है।

परिचालन की दृष्टि से सिविल अधिकारियों को सहायता प्रदान करते समय, सीमा सुरक्षा बल जनपद के पुलिस अधीक्षक के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करती है, यद्यपि उसके अधिकारी हर स्तर पर फोर्स को समादेश देने का अधिकार रखते है। सामान्य रूप से सीमा सुरक्षा बल को एक प्लाटून से कम ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता है, परन्तु अपवादित परिस्थितियों में सीमा सुरक्षा बल के निदेशालय से अनुमति प्राप्त करके एक सेक्शन की जनशक्ति में लगाने की व्यवस्था है। समन्वय बनाये रखने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल के कमांडिंग आफिसर और जनपद पुलिस अधिकारियों के मध्य समय–समय पर बैठक करके पारस्परिक स्तर पर वार्ता होती रहनी चाहिये। सीमा सुरक्षा बल के सुपुर्द किये जाने वाले कार्यों को स्पष्ट करते हुये आदेश जारी किया जाना चाहिये। सीमा सुरक्षा बल

के ठहरने के स्थान व अन्य कल्याणकारी बिन्दुओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे ड्यूटी देने में कोई कठिनाई न हो।

सी.आर.पी.एफ. (C.R.P.F.)

सिविल अधिकारियों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में निर्देश सी.आर.पी. अधिनियम 1949, सी. आर. पी. रूल्स, 1955 और सी.आर.पी. फोर्स मैन्युअल XVII में दिये गये है। इसमें से कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(1) से (8), धारा 129 (1) और धारा 129 (2) के अनुसार पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त अधिकार व कर्तव्य सी.आर.पी.एफ. के सूबेदार (प्लाटून कमान्डर) और जमादार (इन्स्पेक्टर) को भी दिये गये हैं। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1), 47(1), 47(2), 47(3), 48, 51(1), 52, 74, 149, 150, 151 और 152 के अन्तर्गत वर्णित पुलिस अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य सी.आर.पी.एफ. के प्रत्येक सदस्य के भी अधिकार और कर्तव्य है।
2. सी.आर.पी.एफ. के प्रस्थान के आदेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा महानिदेशक सी.आर.पी.एफ. के माध्यम से जारी किये जाते हैं।
3. जनपद में आने पर सी.आर.पी.एफ. के समादेष्टा अधिकारी जनपद के पुलिस अधीक्षक से की जाने वाली ड्यूटियों के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त करते हैं। उनको सौंपे गये कार्य वह अपने विवेक के अनुसार करते हैं।
4. ण्ड प्रक्रिया संहिता की धारायें 129 से 132 तक सी.आर.पी.एफ. पर भी लागू होती हैं और सी.आर.पी.एफ. के प्लाटून कमान्डर व निरीक्षक को अवैधानिक समूह को तितर–बितर करने के लिये वही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो थाना प्रभारी को प्राप्त हैं।

सी.आर.पी.एफ. एक सेक्शन तक की टुकड़ी में नियुक्त की जा सकती है परन्तु गम्भीर परिस्थितियों में इसे भी प्लाटून स्तर पर ही नियुक्त किया जाता है। सी.आर.पी.एफ. का प्रयोग निम्न कार्यों के लिये किया जा सकता हैः

- अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के समय उनकी सुरक्षा हेतु
- भीड़ के नियन्त्रित संचालन के लिय
- तलाशी व घेराबन्दी हेतु
- भीड़ को तितर–बितर करने और अन्य कानून एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटियों हेतु
- विद्रोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु
- चुनावों की व्यवस्था हेतु

सी.आर.पी.एफ. को पुलिस के नित्य प्रति कार्यों में नहीं लगाया जाता। सीमा सुरक्षा बल के व्यवस्थापन सम्बन्धी बिन्दु सी.आर.पी.एफ. के सम्बन्ध में भी ध्यान में रखने चाहियें।

सेना

सेना की सहायता निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त की जा सकती हैः

(1) **आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने हेतु–** सशस्त्र बल (आपात ड्यूटी) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के लिये सैनिक टुकड़ियों को तैनात किया जा सकता है यदि केन्द्र सरकार द्वारा उस सेवा के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी गई हो। (2) प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता यह सहायता भूकम्प, बाढ़, सूखा, आग लगने और अन्य आपदाओं के समय प्राप्त की जा सकती है।

(3) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु–साम्प्रदायिक या अन्य उपद्रवों
के कारण उत्पन्न गंभीर समस्याओं के दौरान। उपरोक्त प्रत्येक परिस्थिति में केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक
है। परन्तु यदि समय का अभाव हो, तो जनपद का वरिष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट
निकटतम सेनाधिकारी से सीधे सम्पर्क करके सहायता की मांग कर सकता है। कानून व्यवस्था बनाये रखने में निम्न कार्यों हेतु सेना का उपयोग किया जा सकता हैः

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अवैधानिक समूहों को तितर–बितर करने में सहायता हेतुय
2. निरोधात्मक उपाय के रूप में उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फ्लैग मार्च हेतुः
3. चयनित क्षेत्रों में गश्त करने हेतु भीड़ नियंत्रण पुलिस प्रशिक्षण, तैयारी व कार्यवाही
4. आकस्मिक ड्यूटी हेतु रिजर्व के रूप मेंय
5. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों व कार्यालयों की सुरक्षा हेतुः 6. नाकाबन्दी और घेराबन्दी हेतु केन्द्रीय पुलिस संगठनों व सेना के प्रयोग से सम्बन्धित समस्यायें सी.आर.पी.एफ., बी.एस. एफ. या सेना को जब सिविल अधिकारियों की सहायता हेतु उपलब्ध कराया जाता है। कभी–कभी कुछ व्यवहारिक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। ये समस्यायें निम्न प्रकार की हो सकती हैंः

1. कानून एवं नियमों के अन्तर्गत अपनी व एक दूसरे की भूमिका की पूर्ण जानकारी न होना तथा कठिनाइयों का ठीक प्रकार से मूल्यांकन न कर पाना।
2. सहायता की माँग पर विलम्ब से कार्यवाही।
3. सहायता करने वाले बल द्वारा अपेक्षित कार्यवाही, निर्देशन व नियंत्रण रखने की इच्छा
4. अन्य के संगठनात्मक या निदेशात्मक ढांचे, कार्यवाही करने के ढंग आदि के प्रति अनभिज्ञता।
5. सिविल अधिकारियों और बाह्य बलों के स्तर पर पूर्वानुमान, नियोजन और तैयारी में कमी।
6. बाह्य बलों की ड्यूटी के सम्बन्ध में अस्पष्टता
7. आपसी समन्वयन, सहयोग व सम्पर्क में कमी।
8. विभिन्न निर्देश तंत्र
9. बाह्य बलों में स्थानीय जानकारी का अभाव।
10. पद बोध, अन्तर सेवा प्रतिद्वन्द्विता व अन्य कारणों से उत्पन्न पारस्परिक कठिनाइयाँ

बाह्य बलों के सम्बन्ध में समन्वय व नियंत्रण

1. अर्ध सैनिक व सैन्य बलों के व्यवस्थापन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके लिये प्रस्तावित ड्यूटी उनके व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमों व निर्देशों के अनुसार हैं।

2. जब सेना या अर्ध सैन्य बलों को सहायता हेतु आग्रह किया जाता है या मांग की जाती है, तो फोर्स की सम्भावित आवश्यकता पूर्व में ही दे दो जानी चाहिये, यदि सम्भव हो तो दूरभाष द्वारा और उसके बाद पत्र

3. अर्ध सैन्य या सैन्य इकाई जो सिविल अधिकारियों की सहायता हेतु भेजी जाती हैं उनको स्पष्ट रूप से उनके कर्तव्यों के क्षेत्र से अवगत करा देना चाहिये। सैन्य बलों द्वारा सिविल अधिकारियों को सहायता का तात्पर्य सिविल अधिकारों का अधिग्रहण नहीं होता है जब सेना की टुकड़ियाँ उपद्रवों के नियंत्रण हेतु अधियाचित (तमुनपेपजपवदमक) की जाती हैं नियंत्रण सिविल अधिकारियों के हाथ में ही रहता है। ऐसी स्थिति में सिविल अधिकार न तो रद्द होते हैं और न ही उनका अस्थायी स्थगन ही होता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस अधिकारी और पुलिस बल सेना के अधीन नहीं हो जाते हैं।

4. एक दूसरे के पदों, कमांड ढांचे और नियमों और विनियमनों के ज्ञानाभाव से उत्पन्न समस्याओं को सिविल अधिकारियों तथा बाह्य बलों के अधिकारियों के आपसी सम्पर्क से सुलझाया जा सकता है। इससे दोनों तरफ के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों में उत्पन्न व्यक्तिगत और पारस्परिक कठिनाइयाँ का भी निराकरण हो जायेगा।

5. जब बाह्य बल सहायता में प्राप्त होते हैं, सिविल अधिकारी प्राकृतिक आपदाध्कानून व्यवस्था से उत्पन्न समस्या में व्यस्त रहने और ध्यान उसी ओर केन्द्रित रहने के कारण प्रायः निम्न मूलभूत आवश्यकताओं की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैंः

→ उचित शिविर व्यवस्था जिसमें विद्युत व पाईप द्वारा पानी व्यवस्था हो। अधिकारियों के लिये उनके स्तर की आवास व्यवस्था का प्रयास किया जाना चाहिये।

→ आपात व्यवस्था में प्राप्त बल अक्सर तम्बुओं के बिना आता है। इन
के लिये निर्मित आवासों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

परिवहन व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिये। अच्छी दशा के हल्के व भारी वाहन जिलाधिकारी के माध्यम से अधिगृहीत कराये जा सकते हैं। प्रायः देखने जहाँ तक संभव हो सके बल के वरिष्ठ अधिकारी के लिये टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना। यूनिट की प्रशासनिक कठिनाइयों का समाधान करने व प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सम्पर्क अधिकारी का लगाया जाना। फोर्स की कल्याणकारी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना।

6. बाह्य बलों को स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाने चाहिये जिससे कार्य के क्षेत्र की प्रकृति और ड्यूटियों के

सम्बन्ध में कोई भ्रम न हो। अर्ध सैनिक बलों या सैन्य बलों के साथ आये हुये अधिकारियों को नियमित

रूप से ब्रीफ किया जाना चाहिये।

7. बाह्य बलों को बिना गाइड के नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वह स्थानीय भौगोलिक स्थितियों

और परिस्थितियों से अनभिज्ञ होते हैं और उन्हें स्थानीय लोगों के बारे में ज्ञान नहीं होता है।

संक्षेप में उचित समन्वय तभी संभव है जब सहायता के लिये प्राप्त बाह्य बलों की भूमिका के बारे में उचित जानकारी हो, स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हो और प्रत्येक स्तर पर प्रभावशाली सम्पर्क रखा गया है। परिचालन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये तथा समन्वयन बनाये रखने के लिये लगातार बैठक होनी चाहियें।

सहयोग

अर्ध–सैनिक बलों को जनपद में पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिये। इसी पर उनसे अपेक्षित सहयोग निर्भर होगा। उनके यूनिट कार्यक्रमों में भाग लेने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने से आपसी समन्वय बढ़ेगा जिससे स्थिति नियंत्रित करने में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

8. साम्प्रदायिक तनाव/दंगो से निपटना,साम्प्रदायिक समस्याओं से निपटना–वातावरण,आंशका एवं घटनाएं

साम्प्रदायिकता

परिभाषा :–

एक प्रकार की हिंसा है, जो किसी धर्म,पंथ या साम्प्रदाय विशेष के लोगों के बीच होती है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की हिसां, झडप, छेडछाड व दंगे शामिल है जो विभिन्न साम्प्रदाय के बीच होते है।

साम्प्रदायिकता का इतिहासः–

औरगजेबके शासन काल में धार्मिक असहिष्णुता की घटनाऐं देखने को मिलती है। जैसे मन्दिरों को तोडना, जबरन धर्म परिवर्तन करना, सिंख गुरू की हत्या आदि इसके प्रमुख उदाहरण है।

साम्प्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जडे अग्रेजों के आगमन के साथ भारतीय समाज में स्थापित हुई यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके विरूद्व उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी। 1857 के विद्रोह के समय हिन्दू मुस्लिम एकता को देखते हुए अग्रेजो द्वारा ''फूट डालों राज करो'' की नीति से साम्प्रदायिक कार्ड का प्रयोग किया गया। 1905 में बंगाल में विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा को बताकर साम्प्रदायिकता को आधार दिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसका मुख्य आधार बनी 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा से अल्पसंख्यक समदाय को सन्तुष्ट करने के लिए किया गया।

साम्प्रदायिक के कारण :–

1–राजनीतिक कारण
2– आर्थिक कारण
3– प्रशासनिक कारण
4– मनोविज्ञानिक कारण
5– मीडिया संबंधी कारण

6 धार्मिक कारण

साम्प्रदायिक दंगों के समय पुलिस की भूमिका

भारत में अनेक धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसके अन्तर्गत वह न केवल अपने मनमाफिक धर्म मानने में स्वतंत्र है बल्कि इसका प्रचार भी वह शांतिपूर्वक तरीके से करने के लिये स्वतंत्र है। साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उसी समय निर्मित होती है जब जानबूझकर एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं।

साम्प्रदायिक दंगो के समय मुख्य रूप से निम्नलिखित अपराध होते हैं–

1. मारधाड़
2. लड़कियों और महिलाओं का अपहरण और बलात्कार
3. मकानों–दुकानों की आगजनी
4. दो विरोधी दलों में संघर्ष
5. दुकानों की लूट–पाट और धार्मिक स्थलों को अपवित्र बनाने की चेष्टा

इस समस्या पर नियंत्रण रखने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व पुलिस प्रशासन का माना जाता है। प्रत्येक ऐसी घटना के संबंध में पुलिस विभाग को प्रेस के समक्ष, सरकार के समक्ष व जनता के समक्ष विभाग द्वारा किये गये उपायों को स्पष्ट करना पड़ता है। पुलिस इस दिशा में निम्नलिखित कार्यवाही करती है। यह कार्यवाही तीन चरणों में की जाती है–

प्रथम चरण :–साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की संभावना– साम्प्रदायिक तनाव की संभावना नजर आने पर पुलिस को तत्काल निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये–

1. साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाली किसी भी घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए सबसे पहले उसके अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिये।
2. पुलिस को धार्मिक त्यौहारों के अवसरों पर पूर्ण सतर्क रहते हुये किसी भी प्रकार अफवाह फैलाने की चेष्टा करने वालों को अपनी निगरानी में ले लेना चाहिये।
3. धार्मिक स्थलों पर सादे वेशभूषा में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु पुलिसजनों को उपस्थित रहना चाहिये।
4. नियंत्रण कक्ष को पूर्णतः सतर्क किया जाना चाहिये।
5. संवेदनशील स्थानों, जिनकी सूची पूर्व से ही पुलिस के पास रहती है पर निगरानी की व्यवस्था कड़ी कर देनी चाहिये व पुलिस बल की संख्या बढ़ा देनी चाहिये।
6. साम्प्रदायिकता की भावना उभाड़ने वाले लोगों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुये पुलिस को विधि सम्मत ढ़ंग से अपनी कार्यवाही करनी चाहिये।
7. क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिये।
8. उस क्षेत्र में भीड़ को तितर–बितर करते रहना चाहिये। आवश्यकता होने पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से धारा 144 को प्रभावशील घोषित करा देना चाहिये।
9. संबंधित क्षैत्र में आर्म्स लाइसेन्स पर रोक लगा देनी चाहिये।

10. पेट्रोल पम्पों, बाजारों व भीड़–भाड़ के स्थानों पर अतिरिक्त बल लगा देना चाहिये।
11. पुलिस की सभी शाखाओं में समन्वय रखते हुये उच्चाधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। आवश्यक होने पर अतिरिक्त बल तुरन्त मंगाया जाना चाहिये।
12. साम्प्रदायिक दंगें को रोकने लिये योजनाबद्ध तरीके से त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिये।

द्वितीय चरण :– साम्प्रदायिक दंगों के समय पुलिस की कार्यवाही–

1. सम्पूर्ण क्षेत्र को कई जोन्स में बांट देना चाहिये।
2. हर एक जोन में मजिस्ट्रेट प्रासिक्यूशन पार्टी, मोबाइल दस्ता आदि तैनात किये जाने चाहिये।
3. भीड़ को संगठित नहीं होने देना चाहिए।
4. अशांत क्षेत्र में लगातार गश्त होनी चाहिये।
5. आवश्यक होने पर जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से कर्फ्यू की घोषणा करायी जाकर उसका पालन कड़ाई से करवाया जाना चाहिये।
6. गुण्डा तत्वों तथा दंगा फैलाने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिये। उनके फरार होने पर संदेहास्पद स्थलों व भवनों की तलाशी लेनी चाहिये।
7. अवांछित लाइसेन्सधारियों से हथियार और एम्यूनेशन पुलिस थाने में जमा करा लेना चाहिये।
8. दंगा प्रभावित तथा आस–पास के क्षेत्रों को निरंतर सावधान रहने की घोषणा कराते रहना चाहिये।
9. रेडियो, टेलीविजन तथा लाउडस्पीकर आदि से लोगों को शांत रहते हुये साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की अपील करनी चाहिये। आवश्यक होने पर प्रेस तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहयोग लेते हुये सेन्सरशिप की जानी चाहिये।
10. आवश्यकता होने पर सेना की सहायता लेनी चाहिये।
11. भीड़ को विसर्जित करने के लिये मजिस्ट्रेट की अनुमति से क्रमशः चेतावनी केनलाई का प्रयोग, अश्रु गैस का प्रयोग करना चाहिये। अन्तिम उपाय के रूप में ही फायरिंग की जानी चाहिये।

तृतीय चरण :–दंगा होने के पश्चात् पुलिस की भूमिका–

1. आवश्यक सेवाओं को पुनः प्रारंभ कराने में सहयोग।
2. घायलों की चिकित्सा व्यवस्था।
3. मृतकों के शव उनके संबंधियों को सौंपने का प्रयास और कोई न मिलने पर उनका चित्र आदि रखकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करना।
4. मलबों को हटाये जाने में सहायता।
5. अपराधों की कायमी, जांच मृत्युपूर्व बयान तथा अपराधों को अन्वेषण एवं चालान।
6. वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट भेजना।
7. घटना के कारणों की खोज।

पत्रकारों, बुद्धिजीवियों व शांति कमेटी आदि के सदस्यों का सहयोग

न्यायिक पूछताछ/जांच

देश के किसी भी कोने में जब कहीं कोई गम्भीर घटना होती है या साम्प्रदायिक दंगे होते है, या फिर कोई मंत्री या आला अफसर रंगे हाथों भ्रष्टाचार के मामले में पकडा जाता है, तब कई बार ऐसे मामलों में पीडीत, जनता, वकील या विपक्षी या कभी कभी आरोपी भी मामले की न्यायिक जांच की मांग करते है, क्योंकि न्यायिक जांच को निष्पक्ष और सटीक माना जाता है, लोग न्यायिक जांच पर भरोसा करते हैं। भारतीय कानून के मुताबिक,न्यायिक जांच का काम किसी जज से ही कराया जाता है, जैसे जिला न्यायाधीश, जिला अदालत,उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का कोई वर्तमान या अवकाश प्राप्त जज यह जांच कर सकता है, जब भी किसी घटना के बाद न्यायिक जांच की मांग की जाती है, तो संबंधित अदालत मामले की जांच वर्तमान न्यायाधीश या फिर किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को सौंप देती है। इसमें जांच करने वाले जजों की संख्या एक की बजाय दो भी हो सकती है। संबंधित अदालत जांच के लिए समय सीमा और निगरानी भी तय कर सकती है।

न्यायिक जांच करने वाले वर्तमान न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उनकी सुविधा अनुसार सहायक व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। न्यायिक जांच करने वाले जज मौका–ए–वारदात का मुआयना, गवाहों के बयान और सबूतों की छानबीन स्वयं करते हैं। तय सीमा में जांच पूरी कर वह रिपोर्ट बनाते है और संबंधित अदालत को सौंप देते है। यदि जांच की अनुशंसा सरकार ने ही है, तो जांच पूरी होने पर वह सरकार को अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करते है।

2. चुनाव प्रबंधन– चुनाव के दौरान व्यवस्था अनुरक्षण
3. माफिया एवं संगठित अपराधों से सामना

9. न्यायिक पूछताछ/जांच

देश के किसी भी कोने में जब कहीं कोई गम्भीर घटना होती है या साम्प्रदायिक दंगे होते है, या फिर कोई मंत्री या आला अफसर रंगे हाथों भ्रष्टाचार के मामले में पकडा जाता है, तब कई बार ऐसे मामलों में पीडीत, जनता, वकील या विपक्षी या कभी कभी आरोपी भी मामले की न्यायिक जांच की मांग करते है, क्योंकि न्यायिक जांच को निष्पक्ष और सटीक माना जाता है, लोग न्यायिक जांच पर भरोसा करते हैं। भारतीय कानून के मुताबिक,न्यायिक जांच का काम किसी जज से ही कराया जाता है, जैसे जिला न्यायाधीश, जिला अदालत,उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का कोई वर्तमान या अवकाश प्राप्त जज यह जांच कर सकता है, जब भी किसी घटना के बाद न्यायिक जांच की मांग की जाती है, तो संबंधित अदालत मामले की जांच वर्तमान न्यायाधीश या फिर किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को सौंप देती है। इसमें जांच करने वाले जजों की संख्या एक की बजाय दो भी हो सकती है। संबंधित अदालत जांच के लिए समय सीमा और निगरानी भी तय कर सकती है।

न्यायिक जांच करने वाले वर्तमान न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को उनकी सुविधा अनुसार सहायक व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। न्यायिक जांच करने वाले जज मौका–ए–वारदात का मुआयना, गवाहों के बयान और सबूतों की छानबीन स्वयं करते हैं। तय सीमा में जांच पूरी कर वह रिपोर्ट बनाते है और संबंधित अदालत को सौंप देते है। यदि जांच की अनुशंसा सरकार ने ही है, तो जांच पूरी होने पर वह सरकार को अपनी रिपोर्ट सुपुर्द करते है।

10. चुनाव प्रबंधन– चुनाव के दौरान व्यवस्था अनुरक्षण

निर्वाचन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन का प्राण है। निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है, जहां केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर आये दिन चुनाव होते रहते हैं। केन्द्रीय संसद और राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन की प्रक्रिया संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा निर्धारित की गयी है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ होता है। संविधान में आम चुनावों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण,निर्देशन तथा नियंत्रण के लिये राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग नियंत्रण गठित किये गये हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 169 के अनुसार आम चुनावों के समय शांति और व्यवस्था के साथ–साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने का दायित्व जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक का होता है। चुनाव क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों की जानकारी को ध्यान में रखते हुये आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था की गयी है। निर्वाचन के समय पुलिसजनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125,126,127,129,130,131,132,135 तथाा 136 को ध्यान में रखते हुये अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करना चाहिये।

धारा 125–चुनाव के संदर्भ में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के बुनियाद पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देना या चेष्टा करना दस्तलदांजी जुर्म है।

धारा 126–किसी मतदान क्षेत्र में मतदान तिथि से 48 घण्टे के अन्दर आमसभा करने की मनाही है। यह भी दस्तलदांजी जुर्म है।

धारा 127– यदि किसी पुलिस अधिकारी को चुनाव के संबंधित किसी आमसभा के संदर्भ में उस सभा के अध्यक्ष द्वारा यह सूचना प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा उस सभा में बेहुदा व्यवहार किया जाने वाला है, तो पुलिस दूसरे लोगों को ऐसा व्यवहार करने के लिये उकसाने जाने का उचित संदेह है, तो पुलिस को उन व्यक्तियों को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है।

धारा 129–प्रत्येक पुलिस अधिकारी को मतदान के समय निष्पक्ष रूप से कार्य करने का निर्देश इस धारा में दिया गया है। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी चुनाव के किसी व्यक्ति को बोट देने के लिये प्रेरित नहीं करेगा और न मतदान करने के बारे में अपने किसी प्रभाव का प्रयोग करेगा।

धारा 130– निर्वाचन के दिन पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के अन्दर किसी आम या निजी जगह में सभा का प्रचार या अपने लाभ के लिये प्रदर्शन करने की मनाही है।
धारा 131– निर्वाचन के समय पोलिंग स्टेशन के अन्दर शोरगुल करने या उसके किसी दरवाजे या दीवार पर चुनाव निशान या लाउडस्पीकर लगाने की मनाही है।
धारा 132– पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी पीठाशीन अधिकारी के निर्देश का पालन करते हुये अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को पोलिंग स्टेशन से बाहर हटा देंगे किन्तु किसी मतदाता को वोट देने से नहीं रोकेंगे।
धारा 135– पोलिंग स्टेशन पर तैनात किये गये पुलिसकर्मियों को अत्यन्त सावधानीपूर्वक अपने कर्त्तव्य का निवर्हन करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति पोलिंग स्टेशन से किसी मतपत्र को कपट से बाहर ले जा रहा हो या ले जाने की चेष्टा कर रहा हो तो ऐसे काम में किसी व्यक्ति की जानबूझ कर सहायता कर रहा हो, या प्रेरणा दे रहा हो तो यह दस्तलदांजी अपराध है।
धारा 136–पोलिंग बूथ पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया वह कार्य अपराध है। पुलिसकर्मियों को यह सब रोकने के लिये अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से कार्य करना चाहिए।

1. किसी निर्देश पत्र को कपटपूर्वक बिगाड़ना नष्ट करना।
2. रिटर्निंग अधिकारी अथवा अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना नष्ट करना या हटाना।
3. किसी मतपत्र की अथवा किसी मतपत्र पर अंकित सरकारी चिन्ह या पहचान पत्र की सूचना या डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र के लिये जो सरकारी लिफाफा काम में लाया गया है, उसे कपट से बिगाड़नाया नष्ट करना।
4. मतपेटी में मतपत्र के अलावा कोई चीज डालना।
5. दूसरे व्यक्ति के नाम से मतदान करना।

इस तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत हद तक मतदान केन्द्र पर की गयी सुरक्षा व्यवस्था के साथ–साथ वहां तैनात कर्मचारियों की निष्पक्षता, निर्भिकता और कार्यकुशलता पर निर्भर करते हैं। निर्वाचन के समय पीठाशीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को मतदान केन्द्र के भीतर अथवा उसके आस–पास होने वाली किसी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था से निपटने में दृढ़ता की भावना, निष्पक्ष व्यवहार तथा निर्वाचन के नियमों और विधिक प्रावधानों का ज्ञान आवश्यक होता है उन्हें चाहिये कि वे सभी अभ्यर्थियों से एक–सा व्यवहार करें तथा प्रत्येक मामले को जो कि विवादास्पद हो, विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्षएवं न्यायपूर्ण ढ़ंग से निपटाये।

माफिया एवं संगठित अपराधों से सामना

संगठित अपराध (OC) अत्यधिक जटिल, विविधतापूर्ण एवं व्यापक गतिविधि है, जिसके द्वारा गैरकानूनी तरीके से और बल, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार का अवैध प्रयोग करके वैश्विक अर्थव्यवस्था से प्रत्येक वर्ष कई अरब डॉलर की निकासी होती है। संगठित अपराध (OC) की शक्ति का प्रमुख स्रोत अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन है।

इन गतिविधियों में नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, मनी लॉन्डरिंग, आतंकवाद, हथियारों का अवैध व्यापार एवं सामाजिक उत्पीड़न के अन्य रूप जैसे अवैध वसूली आदि सम्मिलित हैं। इस धन एवं शक्ति का अत्यधिक प्रयोग घुसपैठ तथा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने के लिए किया जाता है।

संगठित आपराधिक गतिविधियां देश की आर्थिक प्रणाली की स्थिरता को कमजोर करती हैं, जिससे निर्दोष निवेशकों तथा प्रतिस्पर्धी संगठनों को हानि होती है। ये बाजारों की मुक्त प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप करती हैं। ये अंतरराज्यीय तथा विदेशी व्यापार वाणिज्य को गंभीरता से प्रभावित करती हैं, घरेलू सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती हैं तथा राष्ट्र एवं उसके नागरिकों के सामान्य कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

संगठित अपराध के लक्षण किसी समूह को संगठित अपराध का एक निकाय माना जाता है, यदि

आदेशों (कमान) की एक श्रेणीबद्ध संरचना प्रणाली मौजूद होय आंतरिक दण्ड प्रणाली के तौर पर शारीरिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है समूह एक से अधिक प्रकार के अपराधों को अंजाम देने की विशिष्टता रखता हो अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध आर्थिक गतिविधियों में निवेश किया जाता हो सरकारी अधिकारियों एवं वैध व्यवसायियों को घूस या धमका कर अपना काम कराते हों। संगठित अपराधों के प्रकार ड्रग दुर्व्यसन एवं ड्रग तस्करी भारत भौगोलिक रूप से 'गोल्डन ट्रायंगल, तथा 'गोल्डन क्रेसन्ट' के देशों के मध्य स्थित है और इन क्षेत्रों में उत्पादित नारकोटिक ड्रग के लिए एक पारगमन बिंदु है।

तस्करी

इसके तहत गुप्त परिचालन के माध्यम से बिना किसी रिकॉर्ड के व्यापार किया जाता है, जो एक प्रमुख आर्थिक अपराध है। तस्करी की वस्तुओं एवं इसकी मात्रा का स्वरुप मौजूदा राजकोषीय नीतियों द्वारा निर्धारित होता है। भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर की विशाल तट रेखा है तथा इसकी नेपाल एवं भूटान के साथ खुली सीमाएं, बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित और अन्य उपभोग की वस्तुओं की तस्करी के लिए अनुकूल हैं।

अवैध शस्त्र व्यापार

हल्के शस्त्रों का प्रसार एक वैश्विक घटना है। इसका मानव जीवन एवं सम्पूर्ण क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मुंबई में,अवैध शस्त्रों का व्यापार एक खतरनाक दर से बढ़ रहा है।

धन शोधन (मनी लॉन्डरिंग) व्यापार

ड्रग संबंधी अपराधों का प्रचलन विश्वभर में मनी लॉन्डरिंग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह लक्ष्य सामान्यतः 'प्लेसमेंट', 'लेयरिंग' एवं 'इंटीग्रेशन' के जटिल चरणों के द्वारा प्राप्त किया जाता है ताकि वैध अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से एकीकृत धन को अपराधियों द्वारा पहचान के डर के बिना प्रयोग किया जा सके।

कॉन्ट्रैक्ट किलिंग

इसके तहत पेशेवर गिरोह द्वारा धन के बदले हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। बॉम्बे के गिरोहों को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में विशेषज्ञता हासिल है। इनके द्वारा हत्या करने के बदले में ली जाने वाली राशि काफी बड़ी होती है तथा यह राशि टारगेट की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग–अलग होती है।

फिरौती के लिए अपहरण

यह शहरी क्षेत्रोंमें एक अत्यधिक संगठित अपराध है। कई स्थानीय गिरोहों के साथ–साथ अंतरराज्यीय गिरोह भी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इस कृत्य में श्रम एवं जोखिम की तुलना में कहीं अधिक वित्तीय प्रतिफल प्राप्त होता है। आम तौर पर, यदि अपहरणकर्ताओं की मांग पूरी कर दी जाती है तो उनके द्वारा अपहरित व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती है।

मानव तस्करी

इसे धमकी या बल प्रयोग या उत्पीड़न, अपहरण, धोखाधड़ी एवं छल आदि के माध्यम से, शोषण के उद्देश्य से व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, उन्हें आश्रय में रखने या उनकी प्राप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानव तस्करी भारत के संगठित अपराध के एक बड़े रैकेट का प्रतिनिधित्व करती है। देश में मानव तस्करी के लिए प्रचलित रैकेट की दो प्रमुख श्रेणियां हैं– बलात् यौन कार्य (म• ूवता) के लिए तस्करी एवं बलात् श्रम के लिए तस्करी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

मानव तस्करी से निपटने हेतु विभिन्न निर्णयों को लागू करने एवं राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाहियों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय (डभ।) द्वारा एंटी–ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों के लिए (विशेष रूप से यौन दुर्व्यापार की शिकार महिलाओ के लिए) गैर सरकारी संगठन संचालित आश्रय और पुनर्वास सेवाओं को, एवं कठिन परिस्थितियों में फँसी महिलाओं के लिए स्वाधार कार्यक्रम को वित्तपोषित किया जाता है।

सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन आदि के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं।

हाल ही में सरकार के द्वारा लोकसभा में "मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018" प्रस्तुत किया गया है।

संगठित अपराधों एवं आतंकवाद के मध्य संबंध

भारत में संगठित अपराध से प्राप्त धन, तीव्रता से वित्तीय आतंकवादी संक्रियाओं से जुड़ रहा है, जो देश को विश्व के आतंकवाद से सर्वाधिक ग्रसित राष्ट्रों में शामिल करता है। कुछ शक्तिशाली संगठित एवं अपराधी समूह स्वेच्छा से भारत (मुंबई) एवं पाकिस्तान (कराची) के मुख्य बंदरगाहों में आतंकवादियों के साथ कार्य करते हैं। इन बंदरगाहों पर लोगों, हथियारों तथा विस्फोटकों के अवैध स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले आपराधिक संगठनों का रूप से प्रभुत्व होता है।

आतंकवादियों और संगठित अपराधियों की गतिविधियां प्रायः एक–दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। आतंकवादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संगठित अपराध गतिविधियों, जैसे– मानव तस्करी, स्मगलिंग, बलपूर्वक वसूली में संलग्न होते हैं जो राज्य सुरक्षा, स्थिरता एवं सामाजिक तथा आर्थिक विकास को कमजोर करने का कार्य करती हैं, इसके परिणामस्वरूप संगठित आपराधिक समूहों के विकास के लिए सहायक परिस्थितियों का निर्माण होता है।

काले धन के प्रसार एवं आतंकवादी घटनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में हवाला नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, संगठित अपराध समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हिंसा के रणनीतिक प्रयोग सहित अन्य आतंकवादी युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

गंभीर एवं संगठित अपराध तथा आतंकवाद के मध्य संबंधों के दोहरे खतरे हैं:

प्रथम, संगठित अपराध (ब्) के नेटवर्क का इस्तेमाल आग्नेयास्त्र या जाली दस्तावेज हासिल करने, वस्तुओं एवं लोगों के स्थानांतरण तथा आतंकवादी समूहों को हमलों के प्रयुक्त किए जाने वाले घातक हथियारों की डिलीवरी के द्य लिए किया जा सकता है। द्वितीय, गंभीर एवं संगठित अपराध में आतंकवादियों की संलग्नता उन्हें आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकती है।

संगठित अपराध का सामना करने में विद्यमान समस्याएं

अपर्याप्त विधिक संरचनाः भारत में संगठित अपराध को नियंत्रित करने या रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। । विद्यमान कानून इसके लिए अपर्याप्त हैं, क्योंकि ये कानून व्यक्तियों को लक्षित करते हैं न कि आपराधिक समूह या आपराधिक उद्यमों को।

साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयां : जैसा कि संगठित आपराधिक समूह पदानुक्रमित रूप से संरचित होते है, उच्च सोपानिक नेतृत्व कानून प्रवर्तन से बचा रहता है। साथ ही, हिंसा के अपराधों में शायद ही कोई दस्तावेज संबंधी साक्ष्य उपलब्ध हो पाता मुकदमों की धीमी गति एवं दोषसिद्धि की निम्न दरः इस प्रकार, आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता में लोगों का विश्वास कम हो रहा है तथा अपराध नियंत्रण के प्रयासों के प्रति लोगों का रुख रूखा, उदासीन और असहयोगी हो गया है। संसाधन तथा प्रशिक्षण की कमीः पुलिस व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अधिकांश राज्य संसाधनों की कमी का सामना कर द्य रहे हैं तथा आपराधिक न्याय प्रणाली एजेंसियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराध की जांच के लिए शायद ही कोई प्रशिक्षण सुविधाएं विद्यमान हैं।

समन्वय का अभावः राज्य पुलिस बल, राज्य के भीतर संगठित आपराधिक गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित द्य करते हैं एवं सामान्य तौर पर इसे अन्य राज्यों या केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा नहीं करते हैं।

दोहरी आपराधिकता (Dual Criminality) कुछ अपराधों, विशेष रूप से ड्रग तस्करी, के मामले में विश्व के किसी एक भाग में इसकी योजना बनाई जाती है एवं दूसरे भाग में कार्यान्वित की जाती है। भिन्न भिन्न देशों में अलग–अलग कानूनी संरचनाएं होती हैं और एक देश से दूसरे देश में अपराधियों का प्रत्यर्पण केवल तभी संभव होता है जब दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत लागू हो।

आपराधियों, राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के मध्य गठजोड़ः इसके कारण, जांच तथा अभियोग चलाने वाली एजेंसियों को इनसे प्रभावी ढंग से निपटने में काफी समस्याएं आती हैं।

आगे की राह

आपराधिक कानूनों का सुदृढीकरणः चूँकि वर्तमान में भारत में संगठित अपराध को नियंत्रित करने या रोकने के लिए एक । विशेष अधिनियम नहीं है, अतः तत्काल विधायी हस्तक्षेप की

आवश्यकता है। समन्वय में सुधार तथा विशिष्ट इकाइयों की स्थापना करनाः विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के मध्य समन्वय के लिए वर्तमान प्रवर्तन एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से बाहर एक राष्ट्रीय स्तर के समन्वय निकाय की स्थापना की आवश्यकता है।

भगोड़े आपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण या निर्वासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धिय अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की प्रभावी जांच तथा अभियोजन के लिए पारस्परिक विधिक सहायता हेतु समझौता किया जाए।

राजनीतिक प्रतिबद्धताः विधायी कार्यवाहियों, आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा संगठित अपराध के विरुद्ध मजबूत जनमत के निर्माण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता।

सार्वजनिक जागरूकताः सामान्य लोगों को इसकी रोकथाम एवं जांच में शामिल करना तथा मीडिया के माध्यम से और संगठित अपराध में सम्मिलित लोगों का सामाजिक बहिष्कार करके इसके विरुद्ध जनमत तैयार करना।

मास मीडिया की भूमिकाः मास मीडिया (जिसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों सम्मिलित हैं) संगठित अपराध को उजागर करने तथा इसके विरुद्ध जनमत निर्माण में सहायता कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

माड्यूल बी

आसूचनाओं का संग्रहण, सुरक्षा एवं विदेशियो पर निगरानी

1. निगरानी– उद्देश्य एवं लक्ष्य

निगरानी– उद्देश्य एवं लक्ष्य

बल्कि केवल उस पर निगाह रखना है। निगरानी (अभिरक्षण) भी अपराध की रोकथाम करने का महत्वपूर्ण एवं स्वयंसिद्ध तरीका है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.5, 4.6, 4.7 के अन्तर्गत बताया गया है। प्रारूप 4.4 (1) में प्रत्येक निगरानी योग्य व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है।

निगरानी के प्रकार

(अ) व्यक्ति की

इसमें किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी की जाती है, जो अपराध में लिप्त रहे हैं, जिनसे स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती हैं या जिन व्यक्तियों की गतिविधियां कानून की दृष्टि में उचित नहीं रही हो।

(ब) स्थान की

कई बार किसी स्थान विशेष की निगरानी की जाती है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करता है।

निगरानी का महत्त्व

निगरानी अपराध की रोकथाम करने का एक स्वयंसिद्ध तरीका है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की सन्निकट निगरानी या देखरेख की जाती हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से निगरानी एक औषधि है। निगरानी निम्न प्रकार से कारगर सिद्ध होती है –

- निगरानी से दुष्चरित्र व्यक्तियों की पहचान हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों पर उचित ढंग से प्रभावी कार्यवाही करके उनकी आपराधिक गतिविधयों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- विशेष आपात स्थितियों यथा – कर्फ्यू, दंगें आदि में निगरानी वाले व्यक्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है।
- अभिरक्षण के माध्यम से इस बात की जानकारी हो जाती है कि थाना इलाके में कितने अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा82 के तहत भगौड़े या फरार घोषित हैं।अतः इससे फरार अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त होती हैं।
- हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार तैयार होता है ।

निगरानी क्यों व किसकी की जाती है ?

(1) व्यक्ति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए।
(2) व्यक्ति स्थान छोड़कर भाग तो नहीं रहा है, जानने के लिए।
(3) व्यक्ति की आय के क्या स्रोत है, जानने के लिए।
(4) व्यक्ति का दुश्चरित्र व्यक्तियों के साथ क्या संबंध है ? पता लगाने के लिए।

(5) व्यक्ति के चरित्र का पता लगाने के लिए।

(6) अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए।

निगरानी किसकी

पुलिस निगरानी के योग्य व्यक्तियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

(1) अपने दण्डादेशों के समाप्त होने के पूर्व, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अन्तर्गत

शासन द्वारा सशर्त छोडे गये सिद्धदोष ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अन्तर्गत पारित आदेश के अन्तर्गत सिद्धदोष।

(3) पूर्व सिद्ध दोष एवं संदिग्ध बुरे आचरण वाले व्यक्ति, जो पुलिस अधीक्षक के आदेश से

निगरानी रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं।

निगरानी करते समय क्या सावधानियां रखी जाये –

(1) व्यक्ति की निगरानी करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को अलग–अलग अवसरों

पर लगाया जाये।

(2) निगरानी सादा वर्दीधारी से करवाई जाये।

(3) निगरानी करने वाला व्यक्ति ऐसा हो, जो वहाँ की भाषा, बोल–चाल, पहनावा आदि का

अभ्यस्त हो।

(4) संदिग्ध व्यक्ति को ओझल नहीं होने देना चाहिये, परन्तु उसे इस बात का आभास नहीं

होनेदेना चाहिये कि उसकी निगरानी की जा रही है।

(5) निगरानीकर्ता को स्वयं की सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना चाहिये।

(6) उच्च अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए निगरानीकर्ता के पास वॉयरलेस सेट,

ट्रांसमीटर आदि होने चाहिये।

(7) निगरानीकर्ता के पास उचित वाहन भी होना चाहिये, जिससे आवश्यकता पड़ने पर

पीछा भीकिया जा सके।

(8) निगरानीकर्ता ईमानदार व अनुभवी होना चाहिये क्योंकि अपराधी काफी चालाक होते हैं।

(9) निगरानी का कार्य पूर्ण सावधानी से किया जाना चाहिये।

निगरानी किस प्रकार की जाती है–

(अ)प्रतिष्ठा, आदत, आमदनी, खर्च और धन्धे (व्यवसाय) के बारे में जांच अधिकारी के द्वारा

सामयिक जांच के माध्यम से।

(ब) बुरे आचरण (चरित्र) वाले व्यक्तियों की गतिविधियों व अनुपस्थिति का सत्यापन करके।

(स)मकान गुप्त रूप से घेरकर और किसी ऐसे समय पर पहुंचना, जब व्यक्ति गैरहाजिर

पाया जाये

(द) सदैव, किन्तु अनियमित अन्तराल पर, दिन और रात दोनों समय पर निवास का निरीक्षण करके।

(य) उसकी अनुपस्थिति की सूचना पटेल, पंच, सरपंच, ग्राम रक्षक आदि से लेकर।

(र) इतिहास–वृत का संकलन करके।

किसी भी व्यक्ति को निगरानी में लाने के पहले उसकी इतिहास –वृत (हिस्ट्रीशीट) खोली है, जिसमें उसके अपराध का पूर्ण इतिहास लिखा जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि हिस्ट्रीशीटर को निगरानी में लिया ही जाये।

आसूचना संग्रहण

BASIC PRINCIPLES आसूचना संकलन के मूल सिद्वांत

1- Sponsor
2- Targets/objectives
3- Sources – Human Source-Support source- Action source/informant
4- Covert or undercover operations

आसूचना संकलन का वर्गीकरण

आसूचना संकलन करने के तरीकों के आधार पर उसका वर्गीकरण मुख्य रूप से इस प्रकार किया जाता हैः–

A. हार्ड इंटेलीजेन्सः– वे सूचनाएं जो प्रतिबंधित क्षेत्रों से प्राप्त की जाती हैं, हार्ड इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

B. सॉफ्ट इंटेलीजेन्सः– बिना किसी विशेष प्रयास के विभिन्न वार्तालाप के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, सॉफ्ट इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

C. ब्लेक इंटेलीजेन्सः– ऐसी सूचना सामान्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित नहीं की जाकर केवल विशेष कार्य में दक्ष व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, ब्लेक इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

D. व्हाईट इंटेलीजेन्सः–तकनीकी सहायता से सूचनाएं प्राप्त करना जैसे– टेलीफोन टेपिंग, इन्टरसेप्शन द्वारा आदि व्हाईट इंटेलीजेन्स कहलाती हैं।

आसूचना दो प्रकार की होती है :–

1. ऑफेन्सिव (आक्रामक)
2. डिफेन्सिव (रक्षात्मक)

(अ) ऑफेन्सिव (आक्रामक) :–सीमा पार से जो भी सूचनाऍ प्राप्त होती है उसे ऑफेन्सिव सूचना कहते है।

ऑफेन्सिव सूचनाऍ 2 प्रकार की होती है :–

1. विशिष्टः– किसी कर्मचारी या अधिकारी को विशेष रूप से सूचना एकत्रित करने हेतु जो विषय दिया जाता है उसे विशिष्ट सूचना कहते है।

1. **जासूसी** :–जासूसी करके

2.सहवर्जन :–सीमा के पास रहने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा की सूचना निष्ठा परिर्वतन व विपदा बढाने की सूचना।

3.तोड़फोड:–1. साधारण सबोटाज– देखने में आसान लगे व करने वाले का . पता आसानी से न चल सके।

2– एक्टिव सबोटाज – बम फैंक कर तोड़फोड़ की सूचना जिसमें बडी योजना हो जैसे जयपुर बम ब्लास्ट।

3– पैसिव सबोटाज – मशीन, कल कारखानों में तोड़ने की सूचना।

4–तकनीकी सबोटाज–संचार के साधनों, जल संसाधन, बिजली की आपूर्ति में बाधा इन्टरनेट में बाधा।

2. सामरिक :– दुश्मन देश की सेना के बारे मे जो भी सूचना प्राप्त है, जैसे सेना में कितने आदमी है, कितने हथियार, गोला–बारूद, राशन, एयरपोर्ट, पैट्रोल पम्प है इत्यादि की जानकारी करना सामरिक सूचना कहते हैं।

3. टैक्टीकल :– यह महत्वपूर्ण सूचना है, इसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए, वरना इसका महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे सूचना मिली कि पाकिस्तान, भारत पर 4 पी. एम पर आक्रमण करने वाला है तो तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। आतंकवादी हमला होने वाला है तो तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए।

(ब) डिफेन्सिव (रक्षात्मक) :– कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो सूचनाएँ एकत्रित की जाती है उन्हे डिफेन्सिव सूचना कहते है।

1– निरोधात्मक :–कानून द्वारा व बल द्वारा

2– डिटेक्टिव :– सीमा पर चौकसी, तस्करी पर निगरानी तथा उनकी सूचनाएँ एकत्रित करना।

1. **जासूसी**– जासूसो की जासूसी करन
2. **सबवर्जन**– सीमा के पास रहने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा परिवर्तन कर जासूसी करना
3. **तोड़फोड़**– तोड़फोड़ करने वालों की सूचना पर खोजबीन कर कार्यवाही करना।

प्रतिवेदन लेखन (Report Writing)

प्रतिवेदन लेखन के तत्व :–

1. सटिकता :–समय, दिनांक, स्थान, गणना
2. संक्षिप्तता :–पढने वाले के लिए आवश्यक सार
3. स्पष्टता :–प्रतिवेदन लेखन में प्रत्येक प्श्न का एक सही उत्तर

प्रतिवेदनलेखन का महत्वः–आसूचना एकत्रिकरण के कार्य में रिपोर्ट राईटिंग का महत्वपूर्ण स्थान है।

1.एकत्रित सूचना रिपोर्ट में लिख कर आगे भेजी जाती है।

2.यह एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है, जिसके आधार पर आवश्यक निर्णय व कार्यवाही की जा सके।

3.यह पर्सनल नही है बल्कि इससे बहुत लेवल पर पढा जाता है।

4.यह तथ्यपूर्ण रिसर्चमय होती है और समयानुसार जनरलिस्ट की आरटी कल की भॉति होती है

5.रिपोर्ट समस्त घटनाक्रम का सार होती है।

6.रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए तथा समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं का समावेश उसमें होना चाहिए।

7.रिपोर्ट में महत्व पूर्ण बिन्दुओं को बोल्ड किया जाना चाहियें।

8.क्षेत्रीय शब्दों का सामान्य अर्थ किया जाना चाहियें।

वर्गीकरण–

1.सुरक्षा की दृष्टि से :– कॉनफिडेसियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट।

2.उद्देश्य दृष्टि से :– घटना, गतिविधी के बारें में तथ्यमय रिकार्ड।

3.फार्म की दृष्टि से :–छोटी या लम्बी रिपोर्ट, या फोरमैट या फोरमैट मुक्त रिपोर्ट।

4.समय की दृष्टि से :– दैनिक, मासिक, पिरिडियोकल या अरजेंट।

5.प्रश्नोत्तर की दृष्टि से :– व्हेयर, वहैन, व्हाट, हू और हाऊ।

6.एबीसीऑफ रिपोर्ट दृष्टि से :–Accurate, ब्रीफ, क्लीयर व कम्पलीट।

सोशल मीडिया का प्रभाव, प्रयोग –

Role of Social Media

सोशल मीडिया संचार या जानकारी के आदान–प्रदान का जरिया है जो कम्प्यूटर, टैबलेट, या मोबाइल द्वारा इंटरनेट से जुडा है यह मंच विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार इत्यादि को तेजी से एक दूसरे से साझा करने में सक्षम बनाता है वाक् एवं अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त है । इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर लागों को दिये है, इस मंच के जरिये समाज में बदलाव आया

1. सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाकर लोगों को भीड द्वारा मार देने की घटनाएं आम हो गई ।
2. सोशल मीडिया के दुरूपयोग से सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी गलत जानकारियां भी फैलाई जा रही है ।
3. भ्रामक अफवाहों से समाज में हिंसा बढ रही है ।
4. लेग धडल्ले से फेंक न्यूज बनाकर साझा कर रहे है ।
5. स्वतंत्रता आंदोलन से जुडे लोगो की छवि खराब की जा रही है ।

प्रत्येक बात के दो पहलू होते है, सकारात्मक और नकारात्मक

2016 से सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस एंटी सोशल और साम्प्रदायिक पोस्ट, चुनाव के समय पर राजनीतिक कमेंट्स आदि पर नजर रखी जाती है।

उदाहरण–सोशल मीडिया के कारण 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन को मजबूती मिली थी साथ ही सफलता भी । दिल्ली में निर्भया कांड के बाद एक सफल आंदोलन के कारण कानून में बदलाव संभव हुआ । रोहित वेमुला प्रकरण पर छात्रों कर लामबंदी के प्रयोग सफल हुए ।

सोशल मीडिया का स्वरूप–इन्टरनेट, फोरम, वेबलॉग,सामाजिक ब्लाग फेसबुक माइक्रोब्लागिंग, विकिज, सोशल नेटर्वक, पॉडकास्ट, फोटोग्राफ आदि ।

उदाहरण –

सहयोगी परियोजना –(विकीपीडिया)
ब्लाग और माइक्रोब्लागिंग –(ट्विटर)
सोशल खबर नेटवर्किग–(डिग और लेकनेट)
सामग्री समुदाय –(यूयूब और डेली मोशन)
समाजिक नेटवर्किग–(फेसबुक)
खेल दुनिया –(वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट)
आभासी समाजिक दुनिया –(सेकंड लाइफ)

सोशल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स

1. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत सेल बनाना होगा।
2. कोई भी पोस्ट हटाने से पहले कारण बताना होगा।
3. यदि कोई पोस्ट महिला की छवि को दूषित करने वाली है तो उसे 24 घटे में हटाना होगा।
4. 24 घटे में शिकायत दर्ज कर 15 दिन में निपटारा करना होगा।
5. समाचार पोर्टलस के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति निगरानी करेगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संबंध में सरकार के दिशा– निर्देश

1. आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना के प्रथम स्त्रोत की जानकारी हर हाल में देनी होगी।
2. भारत के बाहर से सूचना होने पर सबसे पहले किसने पोस्ट की यह बताना होगा।
3. मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना।
4. संपर्क अधिकारी नियुक्त करना।
5. कंपननियां हर माह अनुपालना रिर्पोट जारी करेगी।यह बताना होगा– 1 प्रतिमाह कितनी शिकायतें प्राप्त हुई 2 शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई।
6. यूजर्स के सत्यापन के लिए वेरिफिकेशन प्रणाली पॉलिसी क्या है।
7. स्वनियमन करना।
8. बच्चों के लिए पैरेटल लॉक मिलेगा।
9. विस्तृत डिस्क्लोजर दिखाना होगा कि सूचनाएं कहां से ला रहे है।
10. प्रत्येक कंटेंट को 5 श्रेणीयों में वर्गीकृत करना होगा

(a) U यूनिवर्सल
(b) U/A 7+
(c) U/A 13+
(d) U/A 16+
(e) A एडल्ड के लिए वेरिफिकेशन आवश्यक

सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है।

AASMA / TRISHUL Tools-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाह और गलत सूचनाएं प्रसारित होने से रोकने के लिये पुलिस द्वारा प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिये तकनीकी विशेषज्ञों ने एडवांस एप्लीकेशन सोशल मीडिया एनालीटिक्स (आस्मा) और त्रिशूल टूल्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी की जाती है। बल्कि आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के साथ पोस्ट डालने वाले की भी पहचान की जाती है तथा गलत पोस्ट डालने वालो को ब्लाक भी किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से फेसबुक, ट्विटर, वाटसएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गुगल प्लस पर नजर रखी जाती है।

1. असाजाजिक तत्वों की आसूचना
2. कानूनी बाधाएं (Legal Interception)

सैल फोन की तकनीक के कानूनी प्रावधान

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा–5 व भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 के नियम 419 (ए)(1) विशेष आपातकालीन स्थिति में जैसे– राज्य की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था बिगडने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशेष प्राधिकृत अधिकारी टेलीफोन का अन्तरण कर सकेगें। जिले के पुलिस अधीक्षक इन विषयो से संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर फ्रेन्जाईजी द्वारा अनुमति प्राप्त कर सात दिन तक टेलीफोन अन्तरण करेगें। साथ दिन से अधिक समय के लिए टेलीफोन टेप करने के लिए गृह सचिव राजस्थान सरकार से अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

राज्य में टेलीफोन टेपींग कौनसी ऐजेन्सियां कर सकेगी–

1. एसएसबी 2.एटीएस 3. रेंज आईजी,
4. एसओजी 5. पुलिस कमिश्नर

टेलीफोन अन्तरण में क्या लिया जाना आवश्यक हैः–

1. मोबाईल नम्बर 2.IMEI No- हैडसेट का सीरियल नम्बर
3. IMSI NO–सिम का सीरियल नम्बर 4. TSP -टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर

4. सुरक्षा और विदेशी (प्रासंगिक विधि)

विदेशी नागरिकों के पंजीयन संबंधी प्रावधान :–

(I) सभी विदेशियों को भारतीय मूल के विदेशियों सहित यदि वे भारत में स्टूडेन्ट वीजा, मेडीकल वीजा व रिसर्च वीजा एम्प्लायमेन्ट वीजा लेकर आये हैं तो, उन्हे अपने सम्बन्धित एफआरआरओ/एफआरओ ऑफिस जिसके भी क्षैत्राधिकार में वे आते है, 14 दिन के अन्दर अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। जबकि एक पाकिस्तानी नागरिक

को भारत में प्रवेश के 24 घण्टों के अन्दर व अफगानी नागरिक को 14 दिन में पंजीकरण आवश्यक है। उन अफगानियों को छोड़कर जो 30 दिन के वीजा पर भारत आते है। कुछ वीजा स्टीकरर्स पर Police Reporting exempted भी लिखा होता है।

(II) उन विदेशियों को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक नहीं है, यदि बताये गये वीजा धारक 180 से कम दिनों के लिये भारत आये है तथा उनके वीजा स्टीकरर्स पर Police Reporting exempted भी लिखा होता है।

(III) 16 साल से कम उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है।

(IV) रजिस्ट्रेशन तब ही जरूरी होता है, जबकि वीजा 180 दिन से कम का हो व उस पर Special endorsement for registration required 180 दिन से और बिजनस वीजा पर आने वाले विदेशी जिनसे वीजा पर stay not to exceed 180 days hence no registration is required.

(V) सारे भारतीय missionsको फारेनर वीजा पर यह Mention करना होगा कि ''Registration required with in 14 days from the date of arrival'' ''registration not required if each stay does not exceed 180 days''। 16 वर्ष से उपर के व्यक्ति को स्वंय उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

(VI) रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसी दिन पूरा किया जाना चाहिए, कुछ केसेज में देरी हो सकती है।

(VII) स्पेशल वीजा endorsement के अलावा ये सभी विदेशियों पर लागू होता है। सभी विदेशी यात्रियों पर (i) Passport entry in to India Act 1920 (ii) Foreigner Act 1946 (iii) registration Act 1939 लागू होते है।

पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत विदेशी यात्रियों को उनके Valid Documents/Passport के साथ भारत में प्रवेश की इजाजत देता है। इस एक्ट के तहत आने वाले विदेशियों को भारतीय मिशन से वीजा प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

2–फोरेनर एक्ट 1946 भारत में विदेशी यात्री के प्रवेश उनकी उपस्थिति, उसकी यात्रा के दौरान समस्त Destination पर, उसके आगमन और प्रस्थान व Finaly भारत से प्रस्थान को Regulateकरता है।

3–रजिस्ट्रेशन ऑफ फोरेनर एक्ट 1939 व फोरेनर रूल्स 1942में विदेशियों की कुछ केटेगरीज को Regulate करता है। जैसे ऐसे विदेशी जिनका Intended stay visa में दिये गये समय से ज्यादा हो, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पडता है। रजिस्ट्रेशन के संबंध में सभी एफआरआरओ कोलकता, मुम्बई, नई

दिल्ली, चेन्नई, अमृतसर, बैगलोर, हैदराबाद व सभी जिला पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार है।

- सभी विदेशी जो Air, land और Sea से भारत में प्रवेश कर रहे है अपना Embarkation/Arrival Formalities व DisEmbarkation/Departure Formalities पूरी करेंगे।
- रजिस्ट्रेशन के समय विदेशी नागरिक को एक आरपी (Residence Permit) जारी की जाती है जिसके एक्सटेंशन के लिये वह वीजा में दिये गये समय के मुताबिक वीजा खत्म होने के 2 महीने या 15 दिन पहले आवेदन करेगा।
- यदि विदेशी अपने रजिस्टर्ड पते से लगातार 8 सप्ताह के लिये या इससे ज्यादा के लिये गायब रहता है या अपना पता बदलता है या फाइनली भारत से बाहर जाता है, तो उसे संबंधित एफआरओ, एफआरआरओ को अपनी टेम्परेरी, परमानेन्ट एड्रेस या आने या जाने के विषय में सूचना देनी होगी।
- (डिपार्चर फारमोलिटिस) :–
- हर रजिस्टर्ड फोरेनर जो फाईनली भारत से जा रहा है। अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आरपी (रेसिडेन्शियल परमिट) या तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में या चैक पोस्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर चैक पोस्ट के पास सरेन्डर करके जायेगा।
- यदि सरेण्डर किसी भी ऑथोरिथी के पास किया गया है तो उसकी रिसिप्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखायेगा। ये नियम सिर्फ पाकिस्तानी व अफगानिस्तान नागरिकों पर ही लागू है।
- अन्य विदेशी नागरिक बिना एफ.आर.ओ. कार्यालय से रवानगी लिये सीधे ही इमिग्रेशन चैक पाइन्ट से डिपार्चर ले सकते है।
- अफगान नागरिक जो 30 दिन के वीजा पर भारत आते है या जो एक्जिट परमीशन की रिक्वायरमेट से एग्जेम्प्ट है। एफआरओ/एफआरआरओ या भारतीय मिशन को अपना लोकल एड्रेस देगे।
- अफगानी नागरिक जो पुलिस रिपोर्टिंग से मुक्त है व एक्जिट परमिशन से भी मुक्त है, वे सभी अपनी स्वीकृत वीजा अवधि में वापस स्वदेश चले जाये यह एफ.आर.ओ. कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
- फोरेन डिप्लोमेट व कोन्सयूलर ऑफिसर :- जो अधिकारी भारत सरकार से सम्बन्धित है व और उनके स्पाउस (spouse)व बच्चे (children) रजिस्ट्रेशन से (reciprocal basis) पर एग्जेम्प्ट होते है।
- यूनाइटेड नेशनस (UN) से उसकी संबंधित एजेन्सियों, एक्सपर्टस, स्पेशलाइज्ड एजेन्सी जिनके पास लेजेस पासर Laisez passer या उनके स्टेटस को दिखाने वाला अन्य डाक्यूमेन्ट जो (UN) से संबंध हो रजिस्ट्रेशन से मुक्त होते है।

- समस्त विदेशियों जो होटल, गेस्ट हाउस व अन्य ऐसे स्थानों पर कम समय के लिये रूकते है। अपनी particular डिटेल पासपोर्ट वीजा की कॉपी सी फार्म (Cform)के साथ देनी होगी। अब सी फार्म धीरे–धीरे ऑन लाईन हो गया है। जिसको ऑन लाईन भरने पर ऑन लाईन सी फार्म शुरू होने से हमे विदेशियों की ट्रैकिंग में सहायता मिलेगी, जहां भी विदेशी की फर्स्ट एन्ट्री होगी। वहां उसका एक एप्लीकेशन ID System Generated होगा, होटल में विदेशी के आने पर उसका एप्लीकेशन ID डालकरएफ.आर.ओ UCF System (यूनिक केस फाइल) से विदेशी यात्री की सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते है।
- ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट 1923 के तहत कोई भी विदेशी यात्री किसी भी प्रतिबन्धित **(prohibited)**स्थान पर बिना ज्यूरिसडिक्शनल **(jurisdictional authority)** की परमिशन के यात्रा या रहवास नहीं कर सकता। किसी प्रोटेक्टेड/रेसिट्रिक्टेड/केन्टोन्मेंट एरिया की यात्रा हेतु पहले से ही कम्पीटेन्ट आथोरिटी से परमिशन प्राप्त करना जरूरी है।
- भारतीय होस्ट या स्पोन्सर की यह जिम्मेदारी है कि वह फोरेनर के सम्बन्ध में अपनी समस्त जिम्मेवारी/अन्डरटेकिग देंगे। Late Registration हेतु 30 यूएस डालर की पेनल्टी ली जाती है।
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने का दायित्व :– हर रजिस्टर्ड विदेशी का दायित्व है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस ऑफिसर/कार्मिक जो उप निरीक्षक व हैड कानि0 से नीचे की रेंक का न हो को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करने पर दिखायेगा। जो कि कोई उचित कारण बताने पर Extend किया जा सकता है।यदि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक से नीचे की रेंक का न हो ये मत दे कि विदेशी द्वारा दिखाये गये पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटपर उसका फोटो, फिंगर प्रिंट उसकी पहचान के सही प्रमाण नहीं है तो विदेशी यात्री को उसी समय चार पासपोर्ट साईज फोटो चार सेट फिंगर इम्प्रेशन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर है व हस्ताक्षर जो उनके सामने किये जायेगे, देने के लिये कहां जा सकता है जिसको सेल्फ अटैस्ट करके देगा।
- हर विदेशी अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भारत से जाने से पहले इमिग्रेशन चैक पोस्ट या रजिस्ट्रेशन ऑफिस को सरेण्डर करके जायेगा। यदि किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सरेण्डर किया है तो उसकी रिसिप्ट इमिग्रेशन चैक पोस्ट पर दिखायेगा। यदि कोई विदेशी एक जगह से दूसरी जगह अपना पता बदलता है जिसका भारत में कोई आवास नहीं है। वह अपना पिछला पता यह जानते हुये छोड़ता है कि अगले छः महीने तक वह यहां नहीं आयेगा। उसे अपने आपको नये स्थान पर ही रजिस्टर कराना चाहिये।

- यदि उपरोक्त रूल्स के तहत जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो विदेशी जिसे यह जारी किया गया है। उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ले जाना चाहिये। साथ डाक्यूमेन्ट के खोने व नष्ट होने की सूचना संबंधित थाने में करवाकर उसकी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करवाई जायेगी जिसमे उन परिस्थितयों का उल्लेख होगा जिससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गुम हुआ या खराब हुआ। इसके पश्चात एफ.आर.ओ. कार्यालय में एक लिखित प्रार्थना पत्र मय एफ.आई.आर. की प्रति के प्रस्तुत कर डुप्लीकेट कॉपी जारी करने हेतु निवेदन किया जाएगा । जिसके पश्चात एफ.आर.ओ. कार्यलय द्वारा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

विदेशी व्यक्तियों के सम्बन्ध में आसूचना एकत्रिकरण का महत्व :–

एक आसूचना अधिकारी होने के नाते आपका दायित्व है कि थानों पर समय–समय पर आपके क्षैत्र में आने वाले विदेशी व पाक नागरिकों की सूचना दी जाती, निगरानी हेतु कहा जाता है, तो आप विदेशी नागरिकों पाकिस्तानियों के पासपोर्ट व वीजा की वैधता को जांचे कि वे जाली तो नहीं, गलत तो नहीं आने वाला नागरिक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त तो नही। उसके ठहरने वाले स्थान पर संबंधित होटल, घर के मालिक से उसकी गतिविधियों के विषय में जाने, कुछ भी गैरकानूनी लगने पर संबंधित एफ0आर0ओ0 व अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें। उनके रजिस्ट्रेशन परमिट चैक करे।

टूरिस्ट वीजा पर आये फोरेनर की सी फार्म की एन्ट्री होटल में चैक करे। कहीं विदेशियों को आपके क्षेत्राधिकार में रहते असुविधाओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है या वे आपसे कोई सहायता चाहते है तो उनकी मदद कीजिये ताकि विदेशों में भारतीय पुलिस और आम नागरिक की छवि सुधरे। उन्हे सुरक्षात्मक माहौल का एहसास हो। हमारे देश के पर्यटन का विकास हो।

द रजिस्ट्रेशन ऑफ फोरेनर 1992 नियम– 14 के तहत सी फार्म का प्रावधान, रूल्स 7 के तहत रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, रूल्स 9 में प्रूफ ऑफ आईडेन्टी पेश करने का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट व अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस में हैड कानि0 से नीचे की रेंक का ना हो। विदेशी व्यक्ति के दस्तावेज चैक कर सकता है। जो विदेशी कानून के विरूद्व कोई कार्य करेगा, उसकों 3 माह के लिये जेल हो सकती है।

पासपोर्ट एक्ट 1920 के नियम– 4 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से नीचे की रेंक का न हो या कस्टम डिपार्टमेन्ट का कोई अधिकारी जो केन्द्र सरकार से अधिकृत हो, बिना वारन्ट के किसी भी व्यक्ति या विदेशी नागरिक की संदिग्ध गतिविधियों, गलत दस्तावेज होने के उचित कारण के साथ गिरफ्तार कर सकता है।

जो भी व्यक्ति इन सेक्शन के तहत गिरफ्तार करेगा, वो तुरन्त बिना किसी देरी के, उस व्यक्ति को उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरन्त पेश करेगा, या पास के पुलिस स्टेशन में ले जायेगा। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को सजा के अन्तर्गत 3 माह के लिये जेल भेजा जा सकता है।

मोड्यूल सी

सडक सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन

सड़क दुर्घटनाएं

किसी मार्ग पर दो या दो से अधिक वाहनों के बीच होने वाली टक्कर को दुर्घटना कहते हैं। इसके साथ एक पर एक छोटी–छोटी कई घटनाएं शामिल होती हैं। जिनमें मूल घटना और उसके बाद रुकने के स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दो परिवहन इकाइयों का प्रथम बार संपर्क में आना ही ''मूल घटना'' कहलाती है तथा ''रुकने का स्थान'' वह स्थान या समय होता है जहां दो परिवहन इकाइयां आपस में टकराने के बाद अंततः रुक जाती है।

1. **कारण–** दुर्घटना की जांच–पड़ताल करने के लिए टक्कर होने के कारणों तथा टक्कर के पहले, दरमियानी और बाद की घटनाओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। ये कारण तीन प्रकार के होते हैं– प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रारंभिक। परिवहन इकाई के अनुचित या गैर कानूनी आचरण से खतरा पैदा हो जाए तथा मूल घटना अर्थात् टक्कर हो जाने की संभावना हो जाए तो उसे ''प्रत्यक्ष'' कारण कहते हैं। ऊबड़–खाबड़ सड़क, खराब मौसम, गति सीमित करने में लापरवाही और गलत तरीके से बचने की कार्यवाही गति ''अप्रत्यक्ष'' कारण कहलाते हैं। रास्ते की ठीक–ठीक जानकारी न होना और परिवहन नियमों का ठीक–ठीक पालन न करना किसी दुर्घटना के प्रारंभिक कारण होते हैं।

2. दुर्घटनाओं में सम्मिलित तत्व – एक ही स्थान और समय पर दो या दो से अधिक परिवहन इकाइयों के पहुंचने पर टक्कर हो जाती है। यह टक्कर किसी भी एक की गलती या किसी एक में किसी तरह की खराबी होने अथवा आगे बताए गए अन्य तत्वों की वजह से होती है.

1. व्यक्ति (चालक और यात्री)
2. वाहन और
3. सड़क

इस प्रकार टक्कर परिचालन और संबंधित तत्वों की स्थिति के संयोग स्वरूप के कारण ही होती हैं। परिचालन में यात्रा की योजना अथवा तैयारी चालन की रीति तथा गलत कार्यवाही शामिल होती है। इन परिचालन तत्वों को पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए और उनका ठीक–ठीक परिपालन होना चाहिए। इसके बाद भी कार्य दक्षता अन्य आवश्यक तत्वों की स्थिति पर निर्भर होती है जिनमें सड़क मौसम वाहन चालक और पदयात्री मुख्य हैं। इन हालाती तत्वों की स्थिति में जरूरत के मुताबिक कदम उठाकर इनमें सुधार लाया जा सकता है। ड्राइविंग की कुशलता का संबंध ड्राइवर से होता है तथा मद्यपान से इस पर बुरा असर पड़ता है।

3. कानूनी कार्रवाई– दुर्घटना की जांच–पड़ताल में पुलिस के अधिकतर क्षेत्र का वास्ता ''प्रत्यक्ष'' कारणों तक होता है। इससे संबंधित सभी कानूनी पहलू भा.दंड संहिता

और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत आ जाते हैं। टक्कर की घटना से संबंधित मामले भा.दं.सं. की धारा 279, 336, 337, 338 और 304ए के अधीन विचारणीय होते हैं। भा.दं.सं. की 279 आदि सभी धाराओं में विस्तार करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक मार्ग पर वाहन को लापरवाही या जल्दबाजी से चलाने की घटना को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बातें निश्चित कर ली जानी चाहिए

(1) अपराधी गाड़ी चला रहा था या पर उस सवार था।

(2) वह गाड़ी सार्वजनिक मार्ग पर चला रहा था या उसमें सवार था।

(3) वह अत्याधिक जल्दबाजी या लापरवाही बरत रहा था।

(4) इससे मानव–जीवन को खतरा पैदा हो गया था या किसी भी अन्य व्यक्ति को क्षति या चोट पहुंचाने की संभावना थी।

इस धारा के अंतर्गत विचाराधीन मामले में जल्दबाजी या लापरवाही को आपराधिक जल्दबाजी या आपराधिक लापरवाही साबित करने के लिए स्पष्ट सबूत होने चाहिए। इसी तरह गलत निर्णय या लापरवाही से बचने के लिए समुचित कारण या सबूत होने चाहिए।

जल्दबाजी – का सम्बन्ध प्रमुखतः एक उतावलेपन की क्रिया है जिसके कारण निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है जो बिना किसी विवेक या सावधानी से विवेकपूर्ण मानी जाती हैं। तो जाती हैं फिर भी

लापरवाही – का संबंध ऐसे कार्य से है जिसे कोई व्यक्ति करता है किन्तु जिसे करने के लिए वह बाध्य नहीं होता। ऐसा करके वह अपने वास्तविक कर्तव्य की अवहेलना करता है। यह एक प्रकार से कर्त्तव्य का उल्लंघन है जिसके अंतर्गत उस बात की अवहेलना कर दी जाती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का क्रिया कलाप नियंत्रित होता है जिसकी वजह से भले ही कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हों। किन्तु कोई भी समझदार विवेकशील ऐसा कभी नहीं करेगा। इस तरह लापरवाही स्वीकारात्मक न होकर नकारात्मक शब्द है। मोटर वाहन अधिनियम विभिन्न धाराओं कार्यवाही जावे।

जांच–पड़ताल– दुर्घटना की वजह जन और धन दोनों प्रकार की हानि हो सकती है। इस नुकसान में प्रमुख हाथ वाहन का होना है अतः जांच पड़ताल की समस्त कार्रवाई मशीन मशीन के साथ संबंधित व्यक्ति के चारों ओर घूमती रहती है। टक्कर मारकर भाग जाने से संबंधित मामले विशेष महत्व बात वाहन और ड्राइवर दोनो की पहचान की होती है। इसके अलावा दुर्घटना के सभी मामलों में जांच पड़ताल लिए नीचे प्रक्रिया अपनाई जाती है–

1. पुलिस स्टेशन में– सूचना प्राप्त होते ही प्रभारह अधिकारी को नीचे लिखी बातें मालूम कर लेनी चाहिए–

(क) दुर्घटना कब हुई।

(ख) घटना–घटित होने का सही स्थान।

(ग) कितनी क्षति हुई।

(घ) क्या इसका कोई मौके

उपर्युक्त सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन द्वारा नीचे लिखी कार्रवाही की जानी चाहिए–

(क) अपराध तुरंत दर्ज किया जाए।

(ख) यातायात रुक जाने नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जाए।

(ग) घायलों लिए एम्बुलेंस प्रबंध किया जाए।

(घ) आग लगने पर फायर बिग्रेड को सूचित किया जाए।

(ङ) गंभीर दुर्घटना होने के मामले में, उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए।

(च) क्राइम–बाक्स दृश्य लिया जाए।

(छ) यदि घटना रात में हुई है तो कुछ टार्च साथ ले जाई जाएं।

(ज) कुछ सहायक एकत्र किए जाए।

(झ) घटना स्थल पर जैसे भी संभव हो जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए।

(2) रास्ते के संबंध में घटना स्थल पर पहुंचने पर निम्नलिखित बातें नोट की

(क) मौसम की दशा ।

(ख) सड़क पर रोशनी की हालत, गतिसीमा, बिना रोशनी के स्थल, मोड़, सड़क की चौड़ाई तथा यातायात के चिन्ह आि

(ग) रास्ते में स्थित खतरे और रुकावटें ।

(घ) क्षतिग्रस्त हालत में असाधारण अवस्था में आ रहे परिवहन की पंजीकरण संख्या नोट करना ।

(3) अपराध स्थल पर पहुंचने पर पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए –

(क) दुर्घटना शुरू होने की जगह से लेकर परिवहन के अंत तक पुलिस बन्दोबस्त लगाया जाए।

(ख) घायलों की तुरंत देख–भाल की जाए और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाये। पुलिस कार्यवाही बाद में हो सकती है।

(ग) कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को हटाया जाए।

(घ) आग की विभीषिका पर काबू पाया जाए।

(ङ) रुके हुए यातायात की निकासी के लिए यातयात को कुछ समय के लिए रोकें या दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दें।

(च) पेट्रोल के बहाव की निगरानी करें।

(छ) भौतिक सुरागों का पता लगाकर उनके परीक्षण और एकत्र करने तक पूरे स्थल पर पहरा लगा दिया जाए।

(ज) ड्राइवरों को दोषी ठहराने के लिए संभावित गवाहों तथा अन्य संभव साक्ष्यों की तलाश की जाए। खतरे पर काबू पा लेने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए असली जांच शुरू की जाए। जांच के अंतर्गत आने वाली बातों पर ध्यान रखने के लिए नीचे एक तालिका दी जा रही हैरू

जांच–पड़ताल

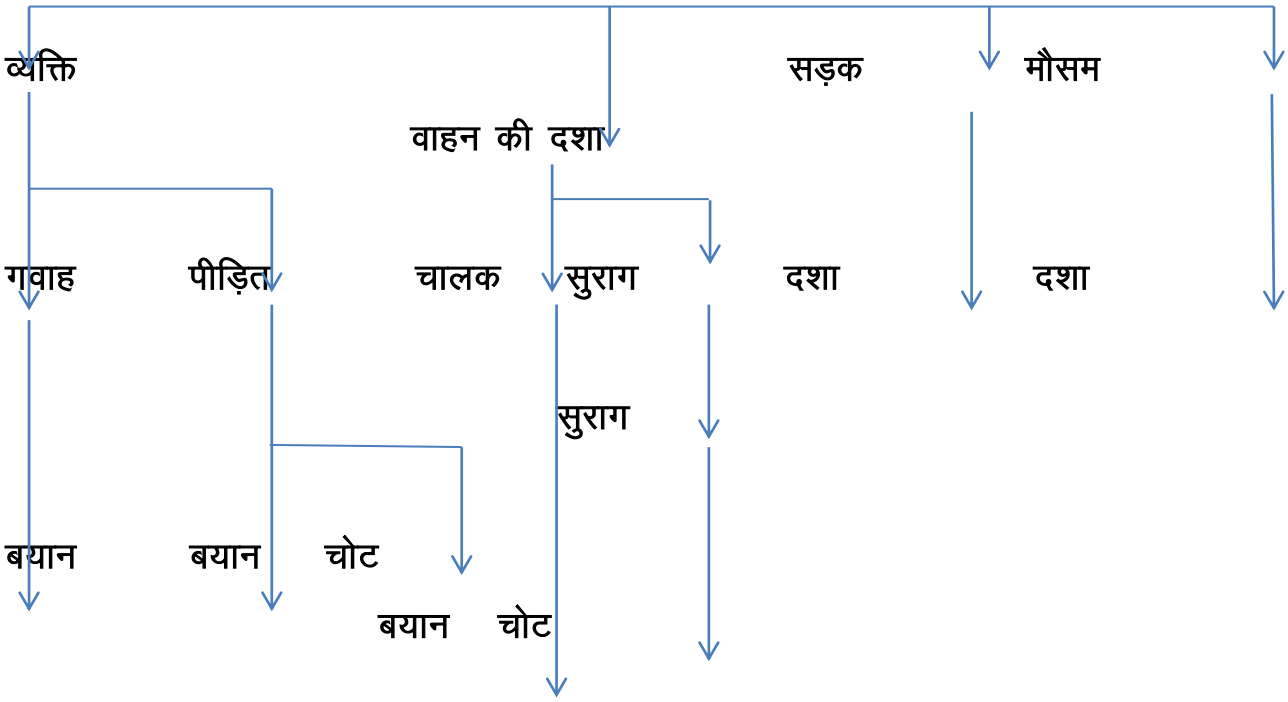

1. संपूर्ण घटना का जायजा लेने तथा तथ्यों की जांच और पुष्टि के लिए दर्शकों और गवाहों से सरसरी तौर पर पूछ–ताछ शुरू की जाए।

2. सरसरी तौर पर जायजा लेने के बाद विस्तृत जांच–पड़ताल के लिए गवाहों और चालक से पूछताछ की जावे। उन्हें बिना वजह नहीं रोका जाये और न ही उन्हें किसी प्रकार से परेशान किया जावे। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये उनके साथ उचित व्यवहार किया जावे।

3. रेखाचित्र और नाप आदि किसी स्थायी मुकाम चिन्ह से लिया जाए।

5. निम्नलिखित के फोटोग्राफ लिए जाएं–

(क) दुर्घटना से संबंधित सड़क के छोटे–मोटे भाग

(ख) यदि कोई अवरोध हो तो उसे दिखाते हुए रास्ते का चित्र

(ग) सड़क पर पाए गए सुराग और चिन्ह

(घ) दुर्घटना का मुख्य स्थल

(ङ) फिसलन के चिन्ह

(च) दुर्घटना के बाद वाहन की दिशा

(छ) रुकने के स्थान

(ज) वाहन उसका क्षतिग्रस्त हिस्सा, रंग, पंजीकरण संख्या और अन्य कोई अस्वाभाविक बात ।

(झ) आस–पास के क्षेत्र और सुरागों से संबंध जोड़ते हुए चोट के निशानों सहित मृत शरीर का चित्र ।

6. वाहन सड़क पर नीचे लिखी वस्तुएं या साक्ष्य छोड़ सकते हैं–

(क) टायर के निशान – वाहन में पाई गई तथा घटना स्थल पर पाई गई समान प्रकार की सामग्री के साथ मिलान करने के लिए इनकी जरूरत हो सकती है। टायर के निशानों के कोण भी नोट किए जाने चाहिए।

(ख) फिसलन के चिन्ह– जब गाड़ी को पूरा ब्रेक लगाया जाता है तो टायरों के सरकने से ये चिन्ह बनते हैं। ये निशान साक्ष्यों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। शुरू होने के स्थान से समाप्त होने के स्थान तक इनकी स्थिति, लम्बाई, दिशा तथा फिसलन आदि सभी विवरण नोट किए जाएं। इन निशानों द्वारा इस बात का भी जायजा लिया. जा सकता है कि टक्कर से पूर्व वाहन कितनी गति से चल रहा था। इस भांति की गणना निम्नलिखित दो प्रकार से की जा सकती है –

(1) प्रथम सूत्र है.....वी–30..... ..एस. यहां वी. प्रति घंटा प्रति मील वाहन की गति को प्रदर्शित करता है जो सड़क की सतह पर बनी सरकन का गुणांक है। तथा एस. फुट में प्रदर्शित की गई फिसलन के निशानों की औसत लंबाई है। यह एक अस्थिर पहलू हैं क्योंकि यह सड़क की ढलान, सतह की स्थिति और मौसम आदि बातों पर निर्भर करता है। इन्हें विशेषज्ञ की सहायता से निश्चित किया जाना चाहिए। यह सामान्यतः 8 मान लिया जाता है बशर्ते कि सड़क पक्की, सूखी तथा सतह हमवार हो।

(II) नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन की गति मालूम करने का दूसरा तरीका अर्थात् दूसरा सूत्र निम्नलिखित है

बी = ...

जांच की गई फिसलन की औसतन लम्बाई X गति परीक्षा

फिसलन के निशानों का ब्रेकिंग– फासला से संबंध होता है।

बेकिंग फासला वह दूरी है, जिसे रोकने के लिए ब्रेकों के इस्तेमाल के बाद रुकने के पहले वाहन तय करता है। फिसलन के समय में प्रतिगामी समय शामिल नहीं होता। यह वह समय होता है जिसके दौरान संकट का क्षण ध्यान में आते ही ड्राइवर उससे बचने के लिए तरह तरह की कोशिश शुरू कर देता है जैसे एक्सीलेटर से पैर हटाकर ब्रेक पर रखता है, ब्रेक पैडल पर दबाव डालता है आदि। इन शारीरिक क्रियाओं और ब्रेक की क्रिया शुरू होने तक का समय इसमें शामिल होता है। यद्यपि यह समय सेकंड से भी कम होता है, फिर भी इस बीच तय होने वाली दूरी नगण्य नहीं होती बल्कि वाहन की गति के अनुसार वह बढ़ती जाती है

(ग) **मलवा –** घटनास्थल पर वाहन द्वारा छोड़े गए कचरे की ढेरी ।

(घ) **वाहन के पुर्जे–** वाहन से टूट कर गिरे हुए पुर्जे।

(ङ) **पेंटिंग–** वाहनों की रगड़ से चिपके या टूट कर गिरे पेंटिंग के टुकड़े या नमुने।

(च) **तेल और पानी –** क्षतिग्रस्त वाहन से क्षति की मात्रा प्रमाणित करना।

(छ) **शीशे के टुकड़े**– सजावट बत्ती तथा आइने के लिए वाहन में लगाए – गए शीशों के टूटे हुए टुकड़े।

(ज) **माल –** घटनास्थल पर बिखरे हुए माल से वाहन को पहचानने में मदद मिलती है ।

(झ) **वाहन में लगी हुई वस्तुओं की क्षति–** इससे घटना कैसे हुई, इस बात को प्रमाणित करने में मदद मिलती है। इससे वाहन की टक्कर की स्थिति का ठीक–ठाक पता चल जाता है। इससे निम्नलिखित बातों को मालूम करने में भी मदद मिलती है

(क) टक्कर का वास्तविक स्थान ।

(ख) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन या वाहनों की पहचान ।

(ग) सफर कर रहे वाहन की दिशा ।

(घ) टक्कर लगने के बाद वाहन की दिशा और कोण ।

सड़क पर पीड़ित व्यक्ति की निम्नलिखित चीजें छूट जाती हैं जिनसे सुराग मिल सकता है–

(क) चप्पल, थैला, ऐनक और छोटी–छोटी कट कर पड़ी हुई वस्तुएं । ये वस्तुएं छोटी से छोटी टक्कर होते ही शरीर से गिर जाती हैं ।

(ख) खून– इससे पीड़ित व्यक्ति के घायल होने का पता चलता है।

(ग) बाल और शरीर में रोएं – इनसे टक्कर तथा चोट की किस्म का पता चल जाता है।

(घ) रेशे – टक्कर के दौरान उलझकर कपड़े तो फटते ही हैं कभी–कभी उन पर टायर के निशान भी रह जाते हैं।

उपर्युक्त सभी वस्तुएं वाहन में पाई गई सामग्री के साथ मिलान करने के लिए बड़े काम की होती है।

कम समय तक बने रहने वाले साक्ष्यों को कब्जे में कर लेने के बाद, टक्कर तथा पाये गए सामानों आदि के बारे में गवाहों और ड्राइवर से विस्तृत रूप से पूछ–ताछ की जाए।

इसके बाद अन्वेषण अधिकारी को जिस जिस रास्ते से ये गाड़ियां आई थीं उस उस मार्ग से घटना स्थल पर पहुंचना चाहिए। उसे मार्ग की रुकावटों, परिवहन के नियंत्रण और स्पष्ट रूप से ध्यान में आने वाली बातों तथा सड़क की दशा आदि का ठीक ठीक अवलोकन करना चाहिए।

टक्कर मारने वाली गाड़ी घटना–स्थल पर हो भी सकती है और नहीं भी। वाहन की स्थिति से सामान्यतः उसके रुकने के स्थान का पता चल जाता है और स्थिति का जांच के काम में बहुत ही महत्व होता है। अतः स्थिति को सावधानी पूर्वक दर्ज करना चाहिए और साथ ही चित्र भी ले लेना चाहिए। चित्र लेने के बाद, निम्नलिखित बातों के लिए वाहन की तलाशी की जानी चाहिए–

(क) अंगुलि–छापें– यदि ड्राइवर अनजान है तो इनसे उसको ढूंढ़ निकालने में काफी मदद मिल सकती है। पीड़ित व्यक्ति की अंगुलि छापों से संपर्क को प्रमाणित किया जा सकेगा।

(ख) कुचला हुआ भाग और खरोंचे– ये टक्कर के कारण होती हैं तथा इनका बहुत ही महत्व होता है। दबे हुए भाग की धरातल से ऊंचाई नोट की जानी चाहिए । उनकी किस्म, उनका विस्तार और आकार आदि दर्ज किया जाए।

(ग) रोगन की परतें – टक्कर के कारण रोगन छूट कर गिर सकता है। कुछ अन्य किस्म के कचड़े या रोगन वहां मिल सकते हैं। इसलिए मिलाने के लिए वाहन के नमूने लिए जाएं।

(घ) शीशे के टुकड़े – वाहन पर लगाये गए शीशे टूटे हों तो शेष टुकड़े निकाल दिए जाएं और यदि संभव हो तो टुकड़े जोड़कर पूरा आकार दोबारा बनाया जाए और उसे विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेजे जाएं।

(ङ) टूटे हुए उपकरण – धातु से बना हुआ वाहन का कोई भी भाग टूट गया हो तो संगत भाग घटनास्थल या जिस रास्ते से वाहन ने सफर किया है उस रास्ते के किनारे ढूंढ़ा जाए।

(च) पेडल के नीचे लगा हुआ कचड़ा – इनकी जांच की जाएं तथा नमूना लिया जाए। टायर और मड़गार्ड पर भी घटनास्थल की मिट्टी और वहां की घासफूस लगी हो सकती है। उसका भी निरीक्षण किया जाए।

(छ) टायर– वाहन के टायरों की जांच की जाए। यदि आवश्यकता हो तो उसके नमूने लिए जाएं। गाड़ी की क्षमता से अधिक माल के वजन को भी ध्यान में रखा जाए। (ज) टायर वाहन के टायरों की जांच की जाए। उनके फोटो लिए जाएं तथा से टायरों की छापों के आकार प्रकार को भी दर्ज किया जाए।

(झ) गाड़ी की दिशा– विशेषज्ञों की सहायता से यह पता करना कि गाड़ी चलाने के योग्य थी या नहीं बड़ा जरूरी होता है।

उपर्युक्त वस्तुओं की घटनास्थल पर पाये गये सुरागों के साथ मिलान करके ही दुर्घटना के दौरान एक गाड़ी का दूसरे से टकराने, रगड़ खाने आदि बातों के साथ–साथ उसमें हाथ होने को प्रमाणित किया जा सकता है और टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों में संबंधित गाड़ी की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

7. **पीड़ित के निशान** – पीड़ित के निशान गाड़ी पर हो सकते हैं। अतः से निम्नलिखित निशानों को गाड़ी पर ढूंढ़ा जाए।

(क) खून– इससे पीड़ित व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिलती है। खून के निशानों की स्थिति और मोटाई दर्ज की जाए। खून के नमूने एकत्र किए जाएं।

(ख) कोशिकाओं के कण– इनसे टक्कर की किस्म का पता लगाया जाए।

(ग) बाल – इसे प्राप्त करके गाड़ी द्वारा सिर को चोट पहुंचाने अथवा शरीर को कुचल डालने का पता लगाया जा सकता है।

(घ) रेशे – पीड़ित व्यक्ति के वस्त्रों के टुकड़े आदि गाड़ी में ढूंढे जाएं।

(ङ) कपड़ों के निशान– पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों की किस्म का पैटर्न तथा चिन्ह टक्कर के स्थान पर पाए जा सकते हैं।

8. पीड़ित की डाक्टरी जांच– पीड़ित व्यक्ति की जांच फिजीशियन अर्थात् डाक्टर द्वारा कराई जाए। नीचे लिखी बातें अन्वेषण अधिकारी के लिए अपनी जांच के लिए बहुत ही महत्व की होती हैं –

(अ) पीड़ित व्यक्ति का शरीर–

(क) चोटों की किस्म, स्थिति और मात्रा का विस्तृत ब्यौरा

1. क्या टक्कर सीधी थी या बगल से हुई थी ?

2. क्या चोटें गाड़ी के कुचलने के कारण थी ?

3. क्या शरीर साथ–साथ घसीटा गया था ?

4. क्या दुर्घटना के समय पीडित व्यक्ति सड़क या रास्ते पर लेटा पड़ा था

5. क्या चोटे गाड़ी के या अन्य किसी पुर्जे के टक्कर के कारण आई है।

(ख) घावो में मिले किसी भी बाहरी पदार्थ को भी विशेषज्ञ की जांच के लिए रखा जाना चाहिए।

कभी कभी पीड़ित व्यक्ति की त्वचाा पर टायर, गर्म छड़ो या रेडियटर के विशिष्ट निशान बन जाते है। ये निशान संदिग्ध वाहन को पहनाने के लिए बहुत ही महत्वपुर्ण सुराग होते हैं इन निशानों का चित्र लिया जाना चाहिए।

(ग) यदि संभव हो तो जांच करने वाले डॉक्टर से खून और यदि घायल व्यक्ति व्यस्क है तो मुत्र का नमूना लेने के लिए अनुरोध करना चाहिए। क्योकि यह प्रमाणित करने के लिए किसने शराब पी थी या नहीं, मूत्र के नमूनों की आवश्यकता होती है। हर हालत में घायल या मृत व्यक्ति के सिर के बालों का नमूना भी मिलान करने के लिए लिया जाना चाहिए ।

सुरागों को एकत्र करने की सुविधा के लिए एक चार्ट का नमूना परिशिष्ट ''क'' में दिखाया गया है।

(ब) पीड़ित व्यक्ति के वस्त्रों को संभाल कर रखना चाहिए ताकि निम्नलिखित बातों की जांच के लिए उन्हें प्रयोगशाला भेजा जा सकें।

(क) रोगन (पेंट)

(ख) शीशे और धातु के टुकड़े

(ग) संभावित खरोंचे

(घ) राजमार्ग या गाड़ी से लगा हुआ कीचड़

(ङ) राजमार्ग या गाड़ी से लगे तेल या ग्रीस।

9. **गाड़ियों और ड्राइवरों की पहचान**– यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना तमाम अन्वेषण का कोई फायदा नहीं होगा विशेषकर ऐसे मामलों में जिसमें ड्राइवर टक्कर मारकर भाग निकला हो और घटना स्थल पर पकड़ा नहीं जा सका हो ।

(क) बाहर की पहचान –

(1) टूट फूड से शिनाख्त– जब्त करने के बाद इसके लिए यंत्रों सहित वाहन की जांच पडताल की जाए।

(2) जहां तक संभव हो मौखिक गवाहियां लेकर वाहन के विवरण दर्ज किए जाए। वाहन को खास खास खूबियां पहचान के लिए बहुत उपयोगी होती है।

(3) फोरेन्सिक परीक्षणों द्वारा पहचान करना ।

(4) गवाहो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पहचान करना ।

(5) प्रलेखों के आधार पर पहचान करना।

(6) टायरों की छापों के आधार पर पहचान करना।

(ख) ड्राइवरों की पहचान–

(1) गवाहों के विवरण से पहचान करना ।

(2) टक्कर के परिणामस्वरूप चोटों के आधार पर पहचान करना।

(3) शराब–खोरी आदि अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पहचान करना ।

(4) अंगुलि – छापों के आधार पर पहचान करना।

(5) गैरेज रजिस्टर, लाइसेस, नौकरी का कार्ड, रोजनामचा आदि कागजातों के आधार पर पहचान करना।

(6) शिनाख्त परेड के आधार पर पहचान करना।

10. ड्राईवर से पूछताछ– ड्राइवर को बंदी बना लिए जाने पर उससे निम्नलिखित बाते पूछी जानी चाहिए –

(क) दुर्घटना से सम्बंधित तथ्यों के बारे मे प्रश्न पूछे जाएं।

(ख) दुर्घटना के तुरंत बाद पूर्व की गतिविधियों के बारे में पूछा जाना चाहिए।

(ग) यदि नशे में होने या तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की बात सामने आए तो साईबर द्वारा लिए गए मादक पदार्थ की जांच की जाए।

11. दुर्घटनाओं का वर्गीकरण – आंकड़े रखने के उद्देश्य से सड़क दुर्घटनाओं को निम्नलिखित चार भागों में बांटा जाता है.

(1) **प्राण घातक**– जिस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है

(2) **गंभीर**– जिस दुर्घटना में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आई हो।

(3) समान्य– जिस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मामूली चोट आई हो।

(4) मामूली– जिस दुर्घटना में सम्पत्ति की क्षति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को कोई चोट न आई हो।

परिशिष्ट ''क''

सड़क दुर्घटना

घायल व्यक्ति	घटना स्थल	सम्बद्ध वाहन
वाहन से हस्तांतरि हुई सामग्री जैसे–रोगन ग्रीस खिड़की आदि के टूटे हुए शीशे शीशों के टुकड़े दर्पण आदि चिकनाई, रेशे, कीचड़ या कपड़े की छापें टुकड़े आदि कपड़ों पर टायर की छापें कपड़ों की क्षति आदि।	ब्रेक लगाने और घिसटने के निशान वाहन के टूटे हिस्से जैसे बत्ती के टूटे शीशे के टुकड़े आदि हवा कैप, नाजुक हैण्डिल कचड़ा, लकड़ी के घिसटने के सबूत धातु , लकडी के काम आदि पीड़ित व्यक्ति और वाहन की हालत।	पीड़ित व्यक्ति और अन्य वाहनो से ली गयी सामग्री जैसे रेशे, खून के धब्बे, के कण, मनुष्य की बाल, पेण्ट की वर्तमान क्षति वनस्पति, मिट्टी

ब. यातायात नियमन

यातायात नियमन का परिचय

भारत में मोटरयानों से संबन्धित पहला अधिनियम भारतीय मोटर यान अधिनियम 1914 था, जिसे बाद में मोटर यान अधिनियम 1939 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। सन् 1939 के अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया। विभिन्न संशोधनों के बावजूद देश में सड़क नेटवर्क के विकास, भाड़े और यात्रियों के तरीके, परिवहन तकनीक में परिवर्तनों को और विशेषकर मोटरयान प्रबन्ध में सुधारी गई तकनीकों आदि को ध्यान में रखते हुए एक बोधशील एवं व्यावहारिक कानून की आवश्यकता को महसूस किया गया। विभिन्न समितियों के साथ–साथ विधि आयोग ने भी सड़क परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। संसद के कई सदस्यों ने भी मोटरयान अधिनियम 1939 के बोधशील पुनर्विलोकन के लिये कहा। कार्य समुह को 1939 के अधिनियम के सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन

करने के लिये जनवरी 1984 में गठित किया गया। मोटरयान बिल को संसद में प्रस्तावित किया गया।

संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये मोटरयान अधिनियम के बिल को राष्ट्रपति की सहमति दिनाक 14 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हुई। यह विधान, मोटर यान अधिनियम 1980 नाम से पहचाना जा रहा है।

मोटरयान अधिनियम में निम्न प्रकार संशोधन हुए हैं –

1. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 1994 (1994 का सं० 54)
2. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2000 (2000 का सं० 27)
3. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2001 (2001 का स० 39)
4. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2019 (2019 का स० 32)

मोटर यान अधिनियम की आवश्यकताएं

(क) देश में व्यावसायिक और निजी यानों की संख्या में तेजी से वृद्धि

(ख) स्वचालित क्षेत्र में उच्च तकनीक को अपनाने के लिये आवश्यकता।

(ग) न्यूनतम बाधाओं के साथ यात्री और भाड़े का अधिक प्रवाह

(घ) सड़क सुरक्षा मानको, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, खतरनाक और विस्फोटक सामग्रियों के परिवहन के लिये मानकों के लिये संबद्ध

(ड़) सड़क परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्रवर्तनों के लिये प्रक्रिया और नीति उदारीकरण का सरलीकरण

(च) अवैध व्यापार में अपराधियों को पकड़ने के प्रभावी तरीकों के लिये आवश्यकता

यातयात नियंत्रण के उपाय :–

यातायात पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के साथ–साथ सरकार द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए कई उपाय की विधियों को उपयोग में लिया जाता है जो निम्न प्रकार है –

1. सड़क चिन्ह –

आम नागरिकों तथा मोटर चालकों की सुविधा के लिए सड़कों का वर्गीकरण करने के साथ–साथ निर्धारित स्थानों पर सड़क चिन्ह लगाये गये हैं। इन चिन्हों को ध्यान में रखकर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में कमी आती है एवं सुगम यातायात रहता है।

सड़क पर लगाये जाने वाले चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं –

(क) आदेशात्मक :– आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालकों को एक विशेष निर्देश देते हैं, जैसे पार्किंग हॉर्न नहीं बजाना आदि। ऐसे चिन्ह प्रायः गोलाकार चिन्हों के रूप में होते हैं।

(ख) **चेतावानी देने वाले** :– यह वे चिन्ह होते हैं, जो कोई न कोई चेतावनी देते हैं। जैसे धीरे चले, आगे स्कूल है, आगे मोड है आदि। यह चिन्ह तिकोने रूप में दर्शाये जाते है।

(ग) **सूचना देने वाले** :– वे चिन्ह, जो विभिन्न सड़कों, मार्गों और शहरों की दिशा दूरी के बारे में बताते है, जैसे दिल्ली 10 किमी. है, जयपुर इधर है आदि। यह चिन्ह आयताकार रूप में दर्शाये जाते है।

2. सड़क रेखांकन –

वाहन चालकों की सुविधा के लिए सड़कों पर सफेद व पीले रंग की रेखाएं लगायी जाती है, ताकि दुर्घटना और ट्रॉफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। यातायात को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहन चालकों पर कुछ सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाता है। इसके लिए विभिन्न सड़कों पर रेखाएं लगाकर उन्हें सुरक्षात्मक तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया गया है।

सड़क रेखांकन निम्न प्रकार का होता है –

1. **पीली रेखा** :– जिन सड़को पर विभाजन (Divider) नहीं बने हो, उनको आधा–आधा विभाजन करने के लिए एक पीली रेखा लगा दी जाती है। किसी भी चालक को पीली रेखा को पार करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा करने से दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को बाधा पहुंचनी है और दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। यदि कोई चालक इसका उल्लंघन करता है, तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 119/177 के अधीन उसका चालान किया जाता है।

2. **ठहराव रेखा (Stop line)** – प्रत्येक चौराहे पर जहाँ लाल बतियां लगी होती है, कुछ दूरी पर एक सफेद या पीली रेखा सड़क पर लगाई जाती है, जिसे ठहराव रेखा कहा जाता है। चौराहे पर रुकने वाले वाहनों को लाल बती के दौरान पार करने की अनुमति नहीं होती है। लाल बती होने पर इस रेखा से पहले रुकना जरूरी है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसका चालान मोटर गाड़ी अधिनियम के नियम 113(1)/177 के अनुसार किया जाता है।

3. **पीला बॉक्स (Yellow Box)** – पीला बाक्स उस सड़क पर चौराहे के पास बनाया जाता है, जहां बस रुकने की अनुमति नहीं होती है और बस या वाहन को बायें मुड़ने की अनुमति हो। इस बाक्स के द्वारा वाहनों को बायीं तरफ मुड़ने में सहायता मिलती है।

4. **जेब्रा क्रॉसिगं (Zebra crossing)** – लाल बती वाले चौराहे से थोड़ा पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने की अनुमति देने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है।

5. **बस बाक्स (Bus Box)** – सड़क पर जहाँ बस को रोकने के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है, वहाँ पर एक बड़ा बाक्स सफेद रेखाओं से बना दिया जाता है। प्रत्येक बस इसी बाक्स में आकर रुकेगी ताकि यात्री अनावश्यक दुर्घटनाओं से बच सके और बस में सुरक्षित चढ–उतर सके।

6. **गति अवरोधक (Speed Breaker)** – जिन सड़कों व स्थानों से अधिक संख्या में वाहन तीव्र गति से गुजरते हैं, उन वाहनों की गति सीमा को कम करने और निर्धारित गति में वाहन चलाने के लिए गतिरोधक द्वारा वाहन की गति को नियंत्रित किया जाता है ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकें। गति अवरोधक प्रायः स्कूलों, मंदिरों, सरकारी संस्थानो व घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों पर बनाए जाते हैं और गति अवरोधक से कुछ दूरी पर अवरोधक चिन्ह वाला बोर्ड लगाकर चेतावनी दी जाती है। गति अवरोधक पर सफेद रेखाएं भी लगाई जाती हैं, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

यातायात नियंत्रण के तरीके

A. यातायात संकेत द्वारा –

यातायात संकेतक मुख्यतः दो प्रकार से दिये जाते हैं

1. **मैनुअल यातायात संकेत** – ये संकेत यातायात पुलिस कर्मचारियों द्वारा हाथ से दिये जाते हैं।
2. इलेक्ट्रिक ट्राफिक यातायात संकेत – ये संकेत प्रायः इलेक्ट्रिक उपकरणों की सहायता से दिये जाते हैं।

B. यातायात नियंत्रण के साधनों द्वारा –

यातायात पुलिस द्वारा जिन साधनों (उपकरणों) का उपयोग किया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैं –

1. **गति मापन उपकरण** :– प्रायः वाहनों की गति मापने के लिए गतिमापक यंत्र को उपयोग में लाया जाता है, जिसे इन्टरसेप्टर (Intercepter) वाहन में रखकर प्रयोग में लिया जाता है। तथा यातायात पुलिसकर्मी इस यंत्र का प्रयोग तेज गति से आ रहे वाहन पर केन्द्रित करके करते हैं। प्रायः इस यंत्र का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में किया जाता है। गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान एम.वी. एक्ट 1988 की धारा 112/183 के अधीन किया जाता है।

2. **भार मापी यंत्र** :– इस यंत्र का उपयोग उन वाहनों का भार मापने के लिए किया जाता है, जो अधिकृत भार से अधिक भार का परिवहन कर रहा है। इस यंत्र में अगले व पिछले भार के लिए दो छोटे प्लेटफार्म होते हैं। अगली तरफ व पिछली तरफ से एक्सल के पास इस यंत्र के दोनों प्लेटफार्मों को रखा जाता है। इसके बाद कुल एक्सल भार में से पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज खाली वाहन का भार घटा दिया जाता है। यह घटाए गए वजन के बाद शेष भार निर्धारित वजन से अधिक हो तो उसके विरुद्ध एम.वी. एक्ट की धारा 113/194 (1) के अधीन कार्यवाही की जाती है।

3. धुआँ मापी यंत्र (आटोमैटिक स्मोक एनालाइजर) :– इस यंत्र का उपयोग उन वाहनों के विरुद्ध किया जाता है, जो वायु प्रदुषण फैलाते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता हैं। यदि वाहन में कार्बन कणों का घनत्व निर्धारित मात्रा से अधिक पाया जाता है, तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध धारा 190 (3) एम.वी.

एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। कार्बन कणों का घनत्व चार पहियों वाले वाहनों में 4.5-5.0% से कम व तिपहिया वाहनों में 5.5% से कम होना चाहिए।

यातायात संकेत

यातायातकर्मी द्वारा दिये जाने वाले संकेतों/ऑटोमेटिक लाईट व मेनुअल की जानकारी

यातायात को सुचारू रूप से चलाने में यातायातकर्मी द्वारा दिये जाने वाले हाथ के इशारे, इलेक्ट्रिक सिग्नल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

इलेक्ट्रिक एवं ऑटोमेटिक लाईट सिग्नल :– मुख्य सड़कों, बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था के लिये ऑटोमेटिक सिग्नल सबसे ज्यादा कारगर है, तीन प्रकार की लाईट होती है जिनका अपना अलग–अलग उद्देश्य है।

1. **लाल लाईट** :–स्टॉप लाईन से पहले रुकिये।

2. **पीली लाईट** :– चौकस होकर चलने की तैयारी करें ।

3. **हरी लाईट** :– जिधर जाने का सिग्नल है, यदि उधर जाना है, चलिये।

ऑटोमैटिक लाईट का समय चौराहे पर यातायात के दबाव के अनुसार होता है।

ट्रेफिक कानिस्टेबल द्वारा दिए जाने वाले हाथ के इशारे :– जहां ऑटोमेटिक सिग्नल लाईट की व्यवस्था नहीं है, वहां सड़क या चौराहे पर यातायात पुलिस कानिस्टेबल ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए हाथ से कुछ विशेष प्रकार के इशारे करता है।

1. **पीछे से आते हुए वाहन को रोकना** :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी बांयी भुजा कन्धों के बराबर भूमि के समानान्तर इस प्रकार बढ़ाता है कि हथेली सामने की ओर हो एवं हथेली के पीछे से आते हुए वाहनों को सामने की ओर से दिखलाई पड़े।

2. **सामने से आती हुई गाडी को रोकना** :– इसके लिए सिपाही अपनी दायी भुजा को सिर के ऊपर इस प्रकार उठाता है कि सामने से आने वाले वाहनों को साफ दिखाई पड़े। जब सामने से भी अलग – अलग मार्गों से वाहन आ रहे हों और पुलिस कर्मचारी उनमें से एक मार्ग से आने वाले वाहन को रोकना चाहता है तो वह अपना मुख उस आने वाले वाहनों की दिशा में करता है।

3. **सामने–पीछे से आने वाले वाहनों को रोकना** :– इसके लिए सिपाही बताए गए दोनों ऊपर वाले संकेत देता है, यानि पीछे से आने वाले वाहन के लिए अपने बायें हाथ को कधों के बराबर भूमि के समानान्तर इस प्रकार बढ़ाता है कि हथेली सामने की ओर हो और हथेली के पीछे का भाग पीछे से आने वाले वाहनों को सामने से दिखाई पड़े। सामने से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए पुलिस कर्मचारी अपनी दाहिनी भुजा सिर के ऊपर से इस प्रकार उठाता है कि सामने से आने वाले वाहनों को उसकी हथेली दिखाई पड़े।

4. **बांयी ओर से आते वाहनों को दायीं ओर जाने से मना करना** :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने बायें हाथ को कंधे के बराबर भूमि के समानान्तर बढ़ाता है और दायां हाथ आगे की ओर थोड़ा सा इस प्रकार उठाता है कि हथेली नीचे की ओर रहे।

5. **दांयी ओर से आते हुए वाहनों को रोकने व दायीं ओर से जाते हुए वाहनों को, जो दायीं ओर मोड़ना चाहते है, जाने देना** :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी दायीं भुजा कंधों के ऊपर 135 डिग्री का कोण बनाते हुए उठाता है। उसकी हथेली का रुख दायी ओर होता है व बायें हाथ को कंधों के बराबर भूमि के समानान्तर लाता है।

6. **दायीं ओर से आने वाले वाहनों को, जो दायीं ओर मुड़ना चाहते है, जाने देना** – इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी बायीं भुजा को कंधे के ऊपर 135 डिग्री कोण बनाते हुए उठाता है और हथेली का रुख बायीं ओर रखता है और वह दाहिने हाथ को सिर के ऊपर लेने के साथ हथेली को सामने रखता है।

7. यातायात को बंद करने की चेतावनी :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने दाहिने व बांये हाथों को कंधे के बराबर व सिर के ऊपर के बीच की स्थिति में इस प्रकार रखता है कि दाहिने हाथ की हथेली दाहिनी दिशा में व बायें हाथ की हथेली बायी दिशा की ओर हो।

8. बायीं ओर से आ रहे वाहन को आगे बढ़ने देना :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी दाहिने हाथ को सिर के ऊपर इस प्रकार रखता है कि हथेली सामने की ओर हो, बायें हाथ को कंधे के बराबर रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोड़ता है व हथेली का रुख दाहिनी ओर करता है। उस समय उसका मुख बायीं दिशा में होता है।

9. बायीं ओर से आ रहे वाहनों को बढ़ने देना :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने बायें हाथ को कंधे की सीध में इस प्रकार रखता है कि हथेली की ओर रहे और दाहिने हाथ को कोहनी की सीध में रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोड़ता है।

10. सामने से आ रहे वाहनों को बढ़ने देना :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी दाहिने हाथ को कंधे की सीध में रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोडता है, हथेली का रुख वाहन के पीछे की ओर रखता है एवं ऐसा वह प्रायः बार–बार करता है।

4. सुगम एवं सुरक्षित यातायात : एक चुनौती

आजकल ट्रेफिक को नियंत्रित करना एवं ट्रेफिक सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रित करना गंभीर चुनौती है।

ट्रेफिक यातायात

सुरक्षित एवं नियमित यातायात संचालन हेतु जनता का सहयोग आवश्यक है। बिना जन सहयोग के सुगम एवं सुरक्षित यातायात का लक्ष्य असंभव है।

- जो भी यातायात के कानून, नियम बने है, उसकी जानकरी स्कूलों में बच्चों को दी जाती है। उनको अध्ययन में भी नियमित रूप से यातायात नियमों की शिक्षा देनी चाहिए।
- चालक का कर्तव्य है कि वह वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
- गाँवों में जुगाड़ नहीं चलने चाहिए। जनता को चाहिए कि उसको बन्द करे। इससे गम्भीर दुर्घटनाएं होती है।
- भारत में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं से लाखों व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते हैं एवं इनकी मृत्यु हो जाती है। जनता को चाहिए कि वो यातायात के कानून/नियम बने हुए हैं, इसकी पालना करें।
- यातायात नियमों की पालना करने से न केवल स्वय का जीवन सुरक्षित रहता है, अपितु जनता भी सुरक्षित रहती है।

इस प्रकार ट्रैफिक नियमों का अक्षरशः पालन करके ही घटित होने वाले अपराधों पर नियंत्रण रखकर इस गम्भीर चुनौती से निपटा जा सकता है।

5. यातायात ड्यूटी के आचरण

ड्यूटी के दौरान यातायात पुलिसकर्मी को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए –

- यातायात पुलिसकर्मी संयमित एवं मर्यादित होना चाहिए।
- यातायात पुलिसकर्मी को सदैव सहनशील रहना चाहिये।
- यातायात पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान उत्तेजित नहीं होना चाहिये।
- पुलिस आमजन की शान्तिपूर्वक बात सुने एवं तुरन्त निस्तारण करें।
- पुलिसकर्मी को चाहिये कि आम नागरिकों एवं वाहन चालक को 'श्रीमान' आदि शब्दों से सम्बोधित कर बात करें।
- यातायात पुलिसकर्मी द्वारा वाहन चौकिंग के दौरान जो कमियाँ पायी जाये, उन पर उत्तेजित न होकर शान्तिपूर्वक निराकरण करें।
- यातायात पुलिस को चाहिये कि हर मोड़ पर एवं महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर मार्गदर्शन के बोर्ड लगायें ।
- वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाने की जानकारी तथा इसके गुण भी बतायें एवं रिफ्लेक्टर लगाने के लिए वाहन चालक को प्रेरित करें।
- यातायात पुलिसकर्मी को वाहन मालिक एवं वाहन चालक को नम्बर प्लेट नियमानुसार लगाने के बारे में समझाना चाहिए।

राज्य में पुलिस अपना कर्तव्य पालन नियमपूर्वक एवं जिम्मेदारी से करे। प्रत्येक पुलिस अफसर को अपने कर्तव्य अधिकारों शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ट्रेफिक ड्यूटी में निम्न आचरण नियमों का पालन करना चाहिए –

1. पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन शान्तिपूर्वक करना चाहिए। जहां कही बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो कम से कम बल प्रयोग कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
2. कड़े अनुशासन का पालन करना पुलिस की पहली शिक्षा है, जिससे कर्तव्य पालन में निरन्तर समयबद्धता और निष्ठा में वृद्धि होती है। अनुशासन के द्वारा ही पुलिस विभाग में आज्ञापालन के उच्च स्तर को कायम रखा जा सकता है। अतः प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अनुशासन में रहकर कर्तव्य पालन करना चाहिए ।
3. सभी यातायात को सुगमता से चलाए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो।
4. यदि कोई भी चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे नियमानुसार वाहन चलाने की हिदायत दे। बार–बार अवहेलना करने पर उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करें।
5. ट्रेफिक पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन साहस, ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए।
6. किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक बहस न करें।
7. प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें।
8. सामाजिक प्रतिष्ठा का खयाल किए बिना ट्रैफिक पुलिस को अपना काम करना चाहिए।
9. कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस को विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए व किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
10. पुलिस बल का प्रत्येक सदस्य ईमानदार एवं निष्ठावान होना चाहिए। उसे उदाहरण के रूप में जनता के सामने आना चाहिए क्योंकि कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं व्याहारिक ईमानदारी पुलिस प्रतिष्ठा का आधार होता है।

चौराहों पर यातायात का नियमन

यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में रोड डिवाइडर, रोड कट आदि का विशेष महत्व है। यातायात के सुचारू संचालन में रोड कट अवरोध पैदा करते है। अतः इन रोड़ कट पर जाब्ता तैनात किया जावे, जो हाथ के इशारों से यातायात को नियंत्रित करेंगे। इन रोड कट्स पर, जहाँ 'U' टर्न प्रतिबंधित हो, वहाँ पर आवश्यक रूप से साइन बोर्ड लगाया जावें और इन रोड़ कट्स पर आवश्यकतानुसार लाल व पीली ब्लिंकर बत्ती की व्यवस्था की जावे।

7. INTERCEPTOR VEHICLE

इन्टरसेप्टर का शाब्दिक अर्थ है – बीच में रोकना।

इन्टरसेप्टर वाहन में निम्न उपकरण होते हैं –

1. वाहन :– यह एक लाईट वाहन होता है, जैसे – जिप्सी इनोवा आदि।

2. एक इनवर्टर 3. दो कैमरे 4. एक प्रिन्टर

5. एक डीवीडी राईटर 6. दो एलसीडी मोनिटर 7. एक ब्रीथ एनालाइजर

इन्टरसेप्टर में दो कैमरे लगे होते हैं। जो सामने से आने वाले वाहन की गति सीमा को व साईड पिक्चर को नापते व दिखाते है।

(क) **पहला कैमरा** :–

(i) यह यंत्र सड़क के ऊपर चलते हुए वाहन की गति को देखने के काम आता है।

(ii) यह यंत्र 100 मीटर की दूरी से ही वाहन की गति को नाप लेता है।

(iii) यह एक हेण्डी मूवी कैमरे की तरह होता है और इसके साथ लेजर लाईट लगी होती हैं, जो चलते हुए वाहन से 100 मीटर दूर वाहन पर लग कर वापिस उसकी रफ्तारी सूचना प्रदान करता है।

(iv) इन्टरसेप्टर कैमरे द्वारा मिली हुई सूचना एक तार के जरिए गाड़ी में लगे हुए एलसीडी मॉनिटर में दिखाती है और गाड़ी में लगे हुऐ डीवीडी राईटर में लॉड कर लेती है।

(ख) **दूसरा कैमरा** :–

(i) यह केमरा वाहन की छत पर एक फ्रेम में लगा होता है जो 180 डिग्री तक घूमता है।

(ii) इस कैमरे का मुख्य काम 100 मीटर दूरी तक होने वाली हर एक घटना को गाड़ी में

लगे दूसरे एलसीडी मॉनिटर में दिखाता है।

(iii) इस कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों को गाड़ी में लगे हुऐ डीवीडी राईटर में लॉड कर लिया जाता है।

(iv) इस कैमरे के द्वारा 100 मीटर दूरी से ली गई तस्वीरों को जूम करके भी देखा जा सकता है।

(ग) **प्रिन्टर** :–

(i) यह यंत्र गाड़ी में लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को डीवीडी राईटर के माध्यम से प्रिन्ट कर देता है।

(ii) इसके द्वारा निकाले गये प्रिन्ट को वाहन की गति व चालक की स्थिति की खींची गई तस्वीर को जूम कर प्रिन्ट निकालता है, जो कि कोर्ट में साक्ष्य के लिए काम में ली जाती है।

(घ) **डीवीडी राईटर** :–

(i) यह वाहन के ऊपर लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को अपने अन्दर लगे मेमोरी में लॉड कर लेता है और नम्बर एक एलसीडी मॉनिटर पर भी दिखाता है।

(ii) यह वाहन के अन्दर माउन्टेन पर लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई चलते वाहन की गति की सुचना को अपनी मेमोरी में लॉड कर लेते है और नम्बर दो मॉनिटर पर दिखाता है।

(ड़) **एलसीडी** :–

इस वाहन के अन्दर दो एलसीडी मॉनिटर लगे हुए होते हैं।

(क) एक एलसीडी मॉनिटर वाहन के ऊपर लगे हुऐ कैमरे के द्वारा भेजी हुई तस्वीरों को दिखाता है।

(ख) दूसरा एलसीडी मॉनिटर वाहन के अन्दर माउन्टेन पर लगे हुऐ कैमरे के द्वारा भेजी हुई तस्वीर, जिसमें चलते वाहन की गति को दिखाता है।

ब्रीथ एनलाईजर (BREATH ANALYSER)

यह भी एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण है। इसका मुख्य कार्य चालक द्वारा पी हुई एल्कोहॉल को उसकी सांसों के द्वारा चैक करना है और मात्रा को अपने ऊपर लगे डिजीटल स्क्रीन पर दिखाना है। यह दो प्रकार के होते है।

(i) सूटकेसनुमा :– यह यंत्र एक मोबाईल की तरह का होता है। इसमें एक डिजीटल स्क्रीन, चार बटन, एक प्रोसेसर बार होती है। इसके ऊपर एक पाइप लगा होता है।

इस यंत्र पर लगे हुऐ पाईप को चालक के मुंह में लगाकर हवा छोड़ने को कहा जाता है और प्रिन्ट बंटन से यंत्र की स्क्रीन पर आई एल्कोहॉल मात्रा को प्रिन्ट कर लिया जाता है।

(ii) बैगनुमा :– यह यंत्र बैग की तरह होता है। इसका कार्य चालक के द्वारा ली गई एल्कोहॉल की मात्रा चौक करना होता है।

सजा का प्रावधान :

1. अगर कोई चालक अधिक गति से वाहन को चलाता है तो एम. वी. एक्ट की धारा 184 के तहत चालान कर न्यायालय में पेश कर दिया जाता है और वाहन को जब्त कर लिया जाता है।

2. अगर कोई वाहन चालक 30mg से अधिक मात्रा में एल्कोहॉल का सेवन कर वाहन चलाता है तो उसे एम. वा एक्ट की धारा 185 के तहत वाहन को जब्त कर चालान कर न्यायालय में पेश किया जाता है।

<u>दुर्घटना स्थल की सुरक्षा</u> – जब कोई वाहन दुर्घटना होती है तो घटना स्थल पर निम्न कार्य किये जाते हैं –

1. साक्ष्य की सुरक्षा

2. स्किड मार्क्स उठाना

3. यातायात का डायवर्जन

दुर्घटना स्थल को घेर कर उसको सुरक्षित करना आवश्यक है।

दुर्घटना स्थल पर वाहनों के पहियों के निशान मिलते हैं। उनको भी सुरक्षित कर घटनास्थल पर FSL की टीम बुलाकर पहियों के निशान की फोटो लेनी चाहिए एवं अन्य वैज्ञानिक ढंग से पहियों एवं अन्य निशान उठाने चाहिए। मौके पर खून इत्यादि मिलाते है, उनको सुरक्षित उठाने चाहिए।

घटनास्थल पर साक्ष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात को समुचित रूप से विभाजित भी किया जाना चाहिए।

दुर्घटना स्थल पर निम्न साक्ष्य एकत्र किये जा सकते हैं –

1. पीड़ित व्यक्ति की गाड़ी के पेंट की परत (टुकड़े) मिलना

2. घटनास्थल पर अपराधी की गाड़ी के पेंट की परत (टुकड़े) मिलना

3. वाहन के टायरों में स्टैंडर्ड चिन्हों का पाया जाना

4. घटनास्थल पर टूटी हुई हैडलाइट के शीशे के टुकड़े का पाया जाना

5. संदिग्ध व्यक्ति की गाड़ी पर पेंट की परत का पाया जाना

6. पीड़ित व्यक्ति की गाड़ी के पेंट की परत का घटनास्थल पर पाया जाना

7. मौके पर संदिग्ध वाहन के टायर चिन्हों का पाया जाना

2. ट्रेफिक डाईवर्जन :– दुर्घटना होने की सबसे बड़ी समस्या यातायात जाम होने की स्थिति है। अतः पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए एवं यातायात को सुचारू रूप से नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को जल्दी से जल्दी घटनास्थल से हटा कर यातायात शुरू करवाना चाहिए। यदि वाहन क्षतिग्रस्त होकर इस प्रकार फंस गये हो कि वाहन नहीं निकल सकते तो तुरंत ही वैकल्पिक रास्ते से यातायात को डायवर्ट करना चाहिए। ट्रैफिक डाईवर्जन के लिए सड़क पर दोनों बिन्दुओं पर जहां डायवर्जन किया है, उपयुक्त जाब्ता तैनात किया जाये। यातायात के उस मार्ग पर सुचारू रूप से शुरू होने के बाद डायवर्जन समाप्त कर देना चाहिए।

दुर्घटना में पीड़ित को सहायता, दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा और वाहन से अस्पताल पहुंचाना

घायलों के प्राथमिक उपचार के सिद्धान्त

प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति को तत्काल व अल्पकालीन रक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता को कहते हैं। प्रायः जानकारी के अभाव में हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही कर बैठते है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति की सहायता करने के स्थान पर उसका अहित कर देते है और इस कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है।

प्राथमिक चिकित्सा का महत्व

घायल व्यक्ति के लिए दुर्घटना का प्रथम एक घण्टा, गोल्डन ऑवर माना जाता है। यदि इस अवधि में उसे उचित सहायता मिल जाती है तो घायल व्यक्ति की जान बच सकती है। डॉक्टर तक पहुंचने के पहले उस व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो सकती है कि डॉक्टर किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने में सफल न हो पाए। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य यह है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित सहायता पहुँचायी जाए और जब तक डॉक्टर की सहायता उपलब्ध नहीं हो, तब तक उसकी स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके।

प्रायः दुर्घटना होने पर लोग घबरा जाते है और अपना धैर्य खो बैठते है। एक पुलिसकर्मी को, जिसे प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया है, यह बताया जाता है कि उनके अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम

1. परिस्थिति व कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को स्वच्छता, शीघ्रता व शान्ति से किया जाना चाहिए।
2. यदि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक वस्तुए उपलब्ध न हो तो उन वस्तुओं को तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए।
3. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की उचित रूप से जाँच करके यदि आवश्यक हो तो उसे लिटा देना चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा प्रारम्भ करने के साथ ही साथ डॉक्टर को बुलाने का प्रबन्ध भी करना चाहिए।
4. घायल व्यक्ति को दुर्घटनास्थल से शीघ्र ले जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए।
5. दुर्घटना के प्रभाव को तुरन्त दूर करना चाहिए, उदाहरणार्थ यदि किसी अंग से रक्त बह रहा हो तो तुरन्त रक्त बहने से रोकने का प्रबन्ध करना चाहिए।
6. यदि व्यक्ति मुर्छित हो तो मूर्छा का कारण ज्ञात करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

7. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गयी है तो हड्डी को स्थिर किए बिना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहां से नहीं हटाना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सांस में रुकावट है तो कृत्रिम सांस देने का प्रबन्ध करना चाहिए।

8. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गहरा घाव हो गया है तो उस पर साफ कपड़े की पट्टी बांध देने से घाव में जहरीले कीटाणुओं का प्रवेश रोका जा सकता है।

9. दुर्घटना के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बुरी तरह घबरा जाता है और डर से कांपने लगता है। ऐसी दशा में उसे हिम्मत बंधानी चाहिए और यदि ठंड का मौसम हो तो उसके शरीर को गर्म कपड़े से ढक देना चाहिए।

10. प्रायः अज्ञानता के कारण लोग बेहोश हुए व्यक्ति को गरम चाय, दूध आदि पिलाने की कोशिश करते है, किन्तु ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में तरल पदार्थ उसकी श्वास नली में जा सकता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो सकती है।

11. प्राथमिक चिकित्सा देते समय चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए।

12. यदि चिकित्सा के अलावा आसपास अन्य व्यक्ति भी खड़े हों तो उनकी सहायता भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए मांगना काम को आसान बनाने में सहायक हो सकता है।

13. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में आराम मिलता है। इस बात को ध्यान में रखा जाकर उसे करवट में लिटाना लाभदायक हो सकता है।

प्राथमिक उपचार (First Aid)

1. यदि चोट लगा व्यक्ति किसी कमरे या स्थान पर हो तो सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए। यदि वह खुले स्थान पर हो तो आस–पास एकत्रित भीड़ को तत्काल हटा देना चाहिए। ऐसा करने से चोट लगे व्यक्ति को शुद्ध व ताजी हवा मिलेगी। हानिकारक गैसों, अशुद्ध वायुमण्डल आदि से चोट लगे व्यक्ति को बचाना चाहिए।

2. कमर, गर्दन, छाती आदि स्थान के कसे हुऐ कपड़े को ढीला कर देना चाहिए।

3. यदि श्वास नहीं चल रहा हो तो कृत्रिम श्वास दिया जाना चाहिए।

4. आवश्यकतानुसार जल्दी ही चोटग्रस्त व्यक्ति को आराम की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए।

5. जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो, तब तक रोगी को बिना किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को सुपुर्द किए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए।

6. जब तक व्यक्ति अचेत रहे, कोई भी भोजन (ठोस या तरल) उसे मुँह के द्वारा नहीं देना

चाहिए।

7. होश आने पर पीने के लिए पानी दिया जा सकता है। नाड़ी के कमजोर होने की स्थिति में गर्म चाय व कहवा पीने को दिया जा सकता है।

8. चोटग्रस्त व्यक्ति को पीठ के बल ऐसे लिटाना चाहिए कि जिससे उसका सिर एक तरफ को झुका रहे। यदि मुँह पीला पड़ गया हो तो सिर को नीचा और पैरों को ऊँचा उठा देना चाहिए। यदि मुंह लाल पड़ गया हो तो कंधो और सिर को ऊँचा उठा देना चाहिए।

वाहन से अस्पताल पहुँचाना –

दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जहां तक हो सके, शीघ्रातिशीघ्र गाड़ी द्वारा अस्पताल पहुंचाना चाहिए तथा गाड़ी में बैठाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के फ्रैक्चर या टूट–फूट हुई है, तो शारीरिक नुकसान अधिक नहीं हो इसीलिए उनको स्ट्रेचर पर लेटा कर एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पंहुचाना चाहिए, जिससे घायल व्यक्ति को तुरन्त इलाज मिल सके।

दुर्घटना के होने पर व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी एवं प्राथमिक सहायता –

1. यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना होने पर 108 दुर्घटना वाहिनी एम्बुलेंस को तुरन्त सूचना करें।

2. घायल को तुरन्त हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था करें।

3. अगर 108 दुर्घटना वाहिनी एम्बुलेंस किसी कारण से नहीं पहुंचती है तो दूसरे वाहन के माध्यम से घायलों को प्राथमिक उपचार कर हॉस्पीटल भिजवायें।

4. घायलों के परिजनों को तुरन्त सूचना करने की व्यवस्था करें।

5. दुर्घटना स्थल पर तुरन्त यातायात व्यवस्था शुरू करे।

6. यातायात पुलिसकर्मी यह भी ध्यान रखे कि दुर्घटना के दौरान कोई असामाजिक तत्व दुर्घटना स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान ना डाले सकें।

7. दुर्घटना स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए।

8. दुर्घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को तुरन्त देनी चाहिए।

9. दुर्घटना घटित होने पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।

10. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करते समय विशेष तौर पर चोट का ध्यान रखना चाहिए। यदि चोट ज्यादा लगी हुई है व खून ज्यादा बह रहा है तो पहले कपड़े से चोट लगी हुई जगह को बांधना चाहिए, ताकि खून रुक सके।

11. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में टूट–फूट हुई है तो जहाँ तक हो सके, शरीर को सीधा रखना चाहिए।

12. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उस वाहन को कब्जे में लेना चाहिए, जिससे दुर्घटना घटित हुई है।

यातायात जाम के समय ड्यूटी में ध्यान रखने वाली बातें –

जाम के दौरान ट्रेफिक मैनेजमेन्ट के लिये निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये –

1. यातायात जाम अगर किसी एक्सीडेन्ट के कारण है तो एक्सीडेन्ट हुए वाहन व व्यक्तियों को तुरन्त घटनास्थल से हटा देना चाहिये।

2. अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दें।

3. यातायात जाम के दौरान पर्याप्त पुलिस जाप्ते की व्यवस्था होनी चाहिये।

4. वी. आई. पी. के आगमन के कुछ समय पूर्व ही ट्रैफिक रोकना चाहिये, न कि कई घंटो पहले क्योंकि इससे यातायात जाम की विकट स्थिति पैदा हो सकती है।

5. वी. आई. पी. के आगमन के दौरान एक वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकालना चाहिये।

6. बड़े शहरों में आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, इसके लिये शहरों में निम्न व्यवस्था होनी चाहिए –

(i) ओवरब्रिज –

बड़े शहरों में रेलवे क्रोसिंग या भीड़–भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेलवे लाईन या रोड़ के ऊपर पुल बना दिया जाता है, जिससे ट्रेफिक बिना रुके आसानी से निकल जाता है और जाम की स्थिति पैदा नहीं होती तथा ट्रैफिक कंट्रोल रहता है तथा इस प्रकार के पुल को ओवर ब्रिज कहते हैं।

(ii) फ्लाई ओवर –

जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, महानगरों में अत्यधिक ट्रेफिक होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है इसलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिये व जाम की स्थिति से बचने के लिये चौराहों या अत्यधिक ट्रेफिक दबाव वाली जगह पर ओवर ब्रिज के ऊपर एक और पुल बना दिया जाता है जिसे फ्लाई ओवर ब्रिज कहते हैं।

<u>हाईवे यातायात प्रबन्ध –</u>

हाईवे – मोटर वाहन कानून में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब है कि सभी ऐसी सड़कें, जो एक शहर से दूसरे शहर या राज्यों को एक दूसरे से मिलाती हो।

फुटपाथ – सड़क के दोनों तरफ का वह हिस्सा, जिसका इस्तेमाल पैदल चलने वाले करते है। यह हिस्सा सड़क के बराबर या थोड़ा ऊँचा हो सकता है।

शोल्डर – सड़क के दोनों तरफ का कच्चा हिस्सा।

क्षेत्र – क्षेत्र से इस अधिनियम के किसी प्रावधान (उपबन्ध) के सम्बन्ध में ऐसा क्षेत्र तात्पर्यित (अभिप्रेत) है, जिसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर उस प्रावधान की आवश्यकताओं के लिए विनिर्दिष्ट करे।

सर्किल्स (गोल चक्कर) –

सड़क पर रोटरी (गोल चक्कर) पार करते हुए दूसरी गाड़ियों की ओर खास ध्यान दें। अपनी दाहिनी तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए । जहाँ सड़क पर लेन हो, वहां अपनी ही लेन में रहें और स्पीड कम रखें।

- सीधा आगे जाना हो तो –
  बांयी लेन में रहें, बायी लेन में रहते हुए रोटरी पार करें। रोटरी पार कर लेने के बाद अपनी गाड़ी बांयी और रखते हुए सीधे निकल जायें।

- बांये मुड़ना हो तो –

  सड़क की एकदम बायी वाली लेन में रहे। धीरे–धीरे बायें मुड़कर अपनी दिशा में निकल जाएं।

- दांयी ओर मुड़ना हो तो –
  दांयी तरफ की लेन में गाड़ी चलाएं, गोल चक्कर के ट्रेफिक में मिल जायें। अपना मोड़ आने से थोड़ा पहले बायें मुड़ने का संकेत देते हुए अपनी सड़क की तरफ निकल जायें।

हाइवे तथा सड़क न्यायालय

बढ़ती हुई सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा यातायात के साधनों में असीमित विस्तार के कारण देश में हाइवे की संख्या में दिन–प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। हाईवे के रख–रखाव के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसे एन. एच. ए. आई. के नाम से जाना जाता है। हाईवे पर यातायात कानून लागू करने के लिए पृथक् रूप से पुलिस व सड़क न्यायालयों का गठन किया गया है। ऐसे न्यायालय मौके पर ही जुर्माना करके मामले का निपटारा कर देते हैं, जबकि अन्य सड़कों पर किए गए चालान का निपटारा सम्बन्धित

अधिकारी/न्यायालय द्वारा चालान में दी गई तारीख व समय पर किया जाता है। राज्य सरकारें समय–समय पर सड़क यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें यातायात का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना करने की शक्तियां व अधिकार सौंप सकती है। वर्तमान में हाइवे सड़क न्यायालय पर्याप्त संख्या में स्थापित किए जा चुके हैं।

हाईवे मोबाईल

जिले से गुजरने वाले हाईवे पर सम्बन्धित जिले की मोबाइल पार्टी मय गाड़ी के 24 घन्टे ड्यूटी पर तैनात रहती है, जो हाईवे पर घटने वाली दुर्घटना की सूचना सम्बन्धित जिले के कन्ट्रोलरूम व उच्चाधिकारियों को देते है तथा हाईवे पर जाम लगने पर जाम को खुलवाना व यातायात को नियमित रूप से संचालित करती है।

सड़क सुरक्षा शिक्षा

राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें उक्त विभागों द्वारा स्कूलों, चौराहों, सड़कों एवं महाविद्यालयों में दुर्घटनाओं को रोकने व कम करने के लिए जनता को अधिक से अधिक यातायात नियमों की पालना करने व जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है।

सड़क सुरक्षा सप्ताह में निम्न बिन्दुओं के संबंध में जानकारी दी जाती है –

1. चौराहों व सड़क पर स्थित यातायात संकेतों पर विशेष ध्यान दें व उनकी पालना करें।
2. बिना लाईसेन्स वाहन न चलायें।
3. यातायात पुलिस के निर्देशों की पालना करें।
4. सड़कों पर चिन्हित प्रतीकों, यातायात संकेतों को अपनाने की आदत डालें। यह न सोचें कि आपको पुलिसकर्मी नहीं देख रहा है।
5. गन्तव्य तक पहुंचने में जल्दबाजी से बचने के लिए समय से पूर्व ही प्रस्थान करने की आदत डालें।
6. सार्वजनिक वाहनों में ज्वलनशील सामग्री न ले जायें, धूम्रपान न करें खाने–पीने की चीजों का प्रयोग न करें।
7. चलते वाहन से अपना कोई अंग बाहर न निकाले।
8. रेलवे क्रोसिंग पर जल्दी न करें, बंद रेल फाटक को पार न करें।
9. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।
10. जहाँ निमार्ण कार्य हो रहा हो, वहाँ वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें।

11. घर के गन्दे पानी को सड़क पर न छोड़े, इससे सड़क टूटती है।

12. सड़क पार कर रहे पैदल चालक का सम्मान करें।

पैदल चालक के लिए :–

1. फुटपाथ पर ही चलें। जहाँ फुटपाथ न हो, वहां आने वाले यातायात की दिशा में चलें।

2. सड़क पार करते समय पहले आधी सड़क दाहिने और देखते हुए शेष आधी सड़क बांयी ओर देखते हुए चलें।

3. चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग से हरी बत्ती होने पर ही सड़क पार करें। यदि भूमिगत मार्ग बने हों तो उनका प्रयोग करें। दौड़कर रास्ता पार न करें।

4. यातायात में फंसने पर घबराये नहीं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें।

दुपहिया वाहन चालकों के लिए :–

1. हैलमेट आपका जीवन रक्षक है, अतः दुपहिया वाहन चलाते समय सदैव इसका उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो, दुपहिया वाहन पर सवारी को भी हेलमेट पहनायें।

2. साईकिल चालकों को सड़क के बाये किनारे पर ही चलना चाहिये और स्वचालित दुपहिया वाहनों को उनके दाहिनी बगल में चलना चाहिये।

3. वाहन घुमाते समय वाहन के दिशा संकेतों का प्रयोग करें। यदि वाहन में दिशा संकेत न हो तो पीछे देखकर, जिस दिशा में जाना हो, उस दिशा की ओर हाथ से संकेत दिया जाना उचित है।

4. मोड़, चौराहों, बस स्टेन्ड्स व छविगृह के सामने गति धीमी करना अच्छे चालक की पहचान है।

5. वर्षा के समय तथा उबड़–खाबड़ सड़कों पर वाहन की गति धीमी रखें क्योंकि सन्तुलन बिगड़ने की सम्भावना रहती है।

6. रात्रि में वाहन चलाते समय डिपर का प्रयोग करें ।

चौपहिया वाहन चालकों के लिए :–

1. आपसे तीव्र गति से आने वाले वाहन को आगे निकलने का रास्ता देने पर न केवल आप ही उसकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे अपितु उसे भी आपसे ऐसा करने की प्रेरणा मिलेगी।

2. जब आप अपना वाहन रोकें, सड़क के किनारे बायीं ओर रोकें।

3. निर्धारित सीमा से अधिक सवारियाँ न बिठायें।

4. महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व अपाहिजों को प्राथमिकता दें एवं उन्हें बिठाने में सहयोग करें।

5. आगे चलने वाले वाहन से निश्चित दूरी बनाये रखें।

यातायात पुलिस का संगठन और कार्य

यातायात पुलिस का संगठन :–

- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात)
- उप महानिरीक्षक पुलिस (यातायात)
- पुलिस अधिक्षक (यातायात)
- अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (यातायात)
- उप पुलिस अधिक्षक (यातायात)
- **जिला–स्तर**

राजस्थान पुलिस में यातायात पुलिस का गठन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसमें यातायात प्रमुख के पद पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात) होते है तथा इनकी सहायतार्थ उपमहानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकरी होते हैं।

जयपुर में पुलिस अधीक्षक व जोधपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा, उदयपुर अजमेर, अलवर, बीकानेर में उप पुलिस अधीक्षक व राजस्थान के अन्य जिलों में निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी यातायात पुलिस के शाखा प्रभारी अधिकारी होते हैं।

राजस्थान के प्रायः सभी जिलो में यातायात थाने है, जिनके प्रभारी अधिकारी निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकरी होते है, जिनका प्रमुख कार्य यातायात को नियंत्रण करना व यातायात सम्बंधित अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना है।

कार्य :–

1. वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना यातायात पुलिस का मुख्य कार्य है। इसके साथ ही यातायात पुलिस का कार्य मोटर गाड़ी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चालक एवं वाहन को निर्धारित सड़क, स्थान एवं गति से चलने के लिए निर्देश देना व उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना है।
2. संदिग्ध अवस्थाओं में वाहनों की चैकिंग करना तथा आपत्तिजनक वस्तुएँ मिलने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना
3. निर्धारित स्थान के अतिरिक्त वाहनों को ठहरने के पश्चात् सड़क से हटाना व सड़क यातायात में उत्पन्न अवरोध को दूर करना

4. मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन जारी नियमों का उल्लंघन करने, जैसे बिना रोशनी के गाड़ी ले जाना, सिग्नल देने में लापरवाही बरतना, नशे में गाड़ी चलाना, गतिसीमा का उल्लंघन करना या गलत ढ़ंग से ओवरटेकिंग करना इत्यादि पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना

5. पुलिस एक्ट की धारा के अनुसार बताये गये नियमों का पालन करना, जिसमें सड़कों व चौराहों पर यातायात का पालन करना एवं यातायात के नियमों का सतर्कता से पालन करवाना

यातायात नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण –

1. कॉनिस्टेबल सबसे पहले पहुँच कर चौराहे के चारों तरफ 50–50 मीटर तक राउण्ड लेगा।

2. यह देखेगा कि सिग्नल लाइट सही कार्य कर रही है या नहीं। यदि सही कार्य नहीं कर रही तो कंट्रोलरूम को सूचना करेगा।

3. सड़क पर रखे कोन डिवाडर को सही तरीके से रखवायेगा/बाँधेगा।

4. चौराहे के आस–पास संकेतक चैक करेगा कि रात्रि में इस पर किसी ने पोस्टर तो नहीं चिपका दिया है।

5. चौराहे पर खड़े रह कर स्लीप लाइन पर वाहन खड़े रहने की कार्यवाही करे एवं जेब्रा क्रॉसिंग की पैदल चलने वालों से पालना कराएँ।

6. कॉनिस्टेबल चौराहे पर ऐसे स्थान पर खड़ा रहेगा, जहाँ से पूरे चौराहे पर नजर रहे एवं सड़क पर वाहन चालकों को भी कॉनिस्टेबल नजर आये।

7. नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालक को रोके एवं कार्यवाही के लिए वहाँ मौजूद अधिकारी के पास लेकर जाएँ।

8. कानिस्टेबल आवश्यक रूप से लोगों से शालीनता का बर्ताव करेंगे एवं वाहन चालकों को पूर्ण इज्जत देते हुए बात करेंगे।

9. जो कॉनिस्टेबल बाजार में तैनात है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन निर्धारित स्थान पर पार्क हो।

10. कॉनिस्टेबल यह ध्यान रखेंगे कि बाजारों में लोडिंग वाहन निश्चित समय पर ही प्रवेश करे।

11. कॉनिस्टेबल यह ध्यान रखेगा कि सड़क पर कोई ठेले वाला यातायात तो अवरुद्ध नहीं कर रहा है।

12. सड़क पर अतिक्रमण न होने दें।

13. वाहन चालक अपने वाहन अपने निर्धारित स्थान पर ही रोक कर सवारियों को चढ़ाएगा एवं उतारेगा।

14. बसें निर्धारित बॉक्स में ही रुके। बसें सड़क पर अन्य वाहनों के लिए रुकावट न करें।

15. कॉनिस्टेबल यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क पर किसी भी प्रकार की रुकावट न आये व वाहन अपनी गति से चलते रहें।

16. यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो सर्वप्रथम घायलों को उपचार के लिए उपलब्ध साधन से अस्पताल रवाना करेगा।

17. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटवा कर यातायात सुचारू कराएँ।

18. दुर्घटना की सूचना कंट्रोलरूम को देंगे।

19. मुख्य बाजार में सड़क के मध्य मिडियन में कट पर वाहन क्रॉस करते समय सड़क पर जाम की स्थिति न होने दें।

20. सड़क पर कोई खड्डा हो गया है तो कट्रोल रूम को सूचना करेंगे तथा खड्डे पर क्रोस डिवाईडर रखें ताकि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए।

————————————————

मोड्यूल डी आन्तरिक सुरक्षा

1. आन्तरिक सुरक्षा का परिचय, आन्तरिक सुरक्षा की खतरे–गैर परम्परागत आन्तरिक सुरक्षा सरोकार, वर्तमान परिदृश्य

महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में "किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है"। प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा हित ही राजा हित होता है। प्रजा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव करने मे दो वाहकों की प्रमुख भूमिका है –

(1) पड़ौसी

(2)राज्य के भीतर अपराधी प्रकृति के लोग।

चाणक्य के अनुसार राज्य को निम्नलिखित चार खतरों का सामना करना पडता हैः–

(1)आंतरिक

(2)बाह्य

(3) बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक

(4) आंतरिक रूप से सहायताप्राप्त बाह्य

आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटक

- राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
- आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना
- कानून व्यवस्था बनाए रखना
- शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं साम्प्रदायिक शांति बनाए रखना

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां–

नक्सलवाद, धार्मिक कट्टरता, जातीय संघर्ष , भ्रष्टाचार , मादक द्रव्य व्यापार , मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, संगठित अपराध आदि।

आंतरिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी/राष्ट्रीय महामारी/ राष्ट्रीय आपदा के समय समुचित सुरक्षा उपाय कर के व्यवस्था बनाये रखना है। आंतरिक सुरक्षा योजना परिस्थिति के अनुसार पूरी या आं लागू की जा सकती है।

आंतरिक सुरक्षा योजना के लिए निर्देश राज्य स्तर पर जारी होते हैं, परन्तु इसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर होता हैं। हर जिले की भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां अलग–अलग होती हैं। उन्हीं के अनुसार हर जिले की सुरक्षा योजना भी अलग होती हैं। योजना दो प्रकार से क्रियान्वित की जा सकती हैं। सुरक्षात्मक व युद्ध के

समय। जब भी सरकार से आदेश प्राप्त हो या जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से सलाह करके पूरी या आंशिक योजना लागू कर सकता है। किसी भी जिले में निम्न में से कोई परिस्थिति होने पर राज्य सरकार के आदेश से उस जिले में आांतरिक सुरक्षा योजना लागू की जा सकती है।

आंतरिक सुरक्षा योजना कब लागू की जाती है :–

1. बाह्य हमला।
2. पाकिस्तान एवं चीन द्वारा तोड़–फोड़ या निष्ठा परिवर्तन।
3. वृहद स्तर पर छात्र आंदोलन, साम्प्रदायिक या भाषाई झगड़े।
4. राजनीतिक पार्टियों द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध हिंसक आंदोलन।
5. वृहद स्तर पर श्रमिक आंदोलन, जो हिंसक हो जाये।
6. प्राकृतिक आपदा।
7. आतंकवादी घटनाएं।
8. जनता में विद्रोह होने पर।
9. राष्ट्रीय महामारी।

आंतरिक सुरक्षा योजना की तैयारीः–

आंतरिक सुरक्षा योजना के तहतराज्य विशेष शाखा द्वारा प्रदत्त मॉडल स्कीम में प्रत्येक जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक एवं जी.आर.पी. व क्षेत्र में तैनात आर्मी मिलकर इस योजना को तैयार करते हैं। ज्यों ही आंतरिक सुरक्षा योजना लागू होती है जिला एस. पी. एवं जिला कलेक्टर, स्टॉफ व पुलिस एकत्रित करेंगे।

सामान्य हालातों मेंः–

पिछले हालात व वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन किया जायेगा। जिले व प्रदेश की जनता को प्रशिक्षित किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपाय किये जाएंगे। संदिग्ध विदेशी व्यक्तियों एवं मददगारों की सूची बनायी जाएगी। सीमा पर रहने वाले नागरिकों को जो कि विश्वसनीय हो, उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशासनिक प्रक्रिया – सर्वप्रथम Notification order द्वारा :–

1. DIR (Defence of India Rule) या अन्य कानून लागू करते समय अधिकारों का हस्तान्तरण किया जाएगा।
2. आंतरिक सुरक्षा योजना का रिहर्सल (मॉक ड्रिल) किया जाएगा।
3. डी.एम., एस.पी. और क्षेत्र में तैनात आर्मी कमांडर्स की मीटिंग की जाएगी।

4. प्रतिबंधित/सुरक्षित व संरक्षित स्थानों की सूची जारी करेंगे। उस क्षेत्र में फोटोग्राफी की मनाही होगी।
5. उन व्यक्तियों की सूची बनायी जाएगी, जिन्हें गोपनीय दस्तावेज दिये जाने हैं।
6. जिला मुख्यालय व उपखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी।
7. डी.एस.पी., एस.आई.वी., स्टाफ को एकत्रित किया जाएगा व आसूचनाओं का संग्रहण किया जाएगा।
8. विश्वसनीय सोर्स/एजेन्ट तैयार किये जायेंगे।
9. डाक, अन्तावरोध व टेलीफोन टेप किये जायेंगे।
10. इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट प्राप्त कर, उस पर कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों को तुरन्त संदिग्ध घटना व व्यक्तियों की सूचना दी जाएगी।
11. जिले के नक्शे जिनमें महत्वपूर्ण स्थान, पुलिस थाने, पेट्रोल पम्प, गैस–तेल विक्रेता नहरों/नदियों, विदेशियों, मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, अस्पतालों, एनजीओ, प्रतिष्ठित उद्योग/उपक्रम, एम्युनेशन डिपो आदि की सूची बनायी जाएगी।

विदेशी आक्रमण के समय आई.एस.एस. के तहत कार्यवाही :–

1. बॉर्डर क्षेत्र की जनता में देश भक्ति की भावना जाग्रत की जाये
2. सीमा पर विश्वास पात्र व वफादार अधिकारियों की नियुक्ति
3. शत्रु देश के ऐजेन्टों को पहचानने व पकड़ने की व्यवस्था
4. संचार व यातायात की पर्याप्त व्यवस्था
5. सीमा पर रह रहे अल्पसंख्यकों व कमजोर लोगों को संरक्षण ताकि उनकी निष्ठा परिवर्तित न की जा सके।

Evacuation - किन किन स्थितियों में किसी स्थान विशेष को खाली कराया जाता है–

1. जब दुश्मन देश का हमला हो या हमले की संभावना हो।
2. जब क्षेत्र में सेना द्वारा युद्धाभ्यास किया जाये।
3. शरणार्थियों को ठहराने के लिए।
4. प्राकृतिक विपदा के समय।
5. खाली कराने का कार्य योजनानुसार नियंत्रित तरीके से किया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता की जान एवं माल की सुरक्षा, जो भी स्थान खाली कराना हो उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।

Evacuationकरते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाये –

1. व्यक्तियों की सुरक्षा, यातायात की सुरक्षा, भोजन, पानी व चिकित्सा व्यवस्था– नये स्थान पर पानी के टैंक, Mobile Dispansary ।
2. खाली करते समय यह ध्यान रखा जाये की सेना के आवागमन व सप्लाई की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो।
3. स्थानीय मजिस्ट्रेट को Evacuation Magistrateनियुक्त किया जाये। एक ऐसी कमेटी का गठन हो जिसमें DM, SP, CMHO, Ex.En.- PWD, Electricity board, Co- operative Asstt.Registrar, RTO, DTO, DSOशामिल हों।
4. घायल, बीमार, व अपाहिज लोगों का पहले पलायन कराया जाये।
5. खाली कराने की प्रक्रिया में रोड़, रेल्वे व एयरपोर्ट की मदद ली जा सकती है। आवश्यकता हो तो स्पेशल रेल व निजी वाहनों की व्यवस्था।
6. शरण स्थल का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाये। अलार्म सिस्टम हो ताकि लोग चाहे गये स्थान व समय पर एकत्रित हो सकें।
7. बीमारों का अस्पताल में अलग से Evacuation हों व बीमार और घायल सैनिकों के लिये बिस्तरों की व्यवस्था हो।
8. कैदियों व अपराधियों के लिये जेल अधीक्षक से राय लेकर पृथक व्यवस्था हो। अनुमानित जेल की स्थिति व पुलिस बल की व्यवस्था की जाये।
9. DM, SP की मदद व राय से खर्च निर्धारित करेगा, खर्च निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।
10. आवागमन के मार्गों का निर्धारण किया जाये।

आई.एस.एस. लागू करते समय पुलिस की योजना :– जिला पुलिस अधीक्षक, आई.एस.एस. के समय निम्न

तैयारी करेंगे –

1. गाँवों में गृह रक्षा दलों की सूची मय होम गार्ड्स के तैयार करेंगे ।
2. क्षेत्र के बी व सी श्रेणी के संवेदनशील संस्थानों पर सुरक्षा गार्ड लगायेंगे ।
3. जिला व उपखण्ड स्तर पर रिर्जव फोर्स लगायेंगे ।
4. special police officer जिन्हे नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है उनकी सूची तैयार करेंगे ।
5. महत्त्वपूर्ण संस्थानो के लिये विशेष योजना तैयार करना ।

6. आवागमन के रास्तों को साफ करना ।
7. अग्निशमन उपकरण व प्राथमिक उपचारकी तैयारी करना।
8. वायरलैस सेट को अद्यतन रखनाताकि संदेशों के आदान प्रदान में सुगमता हो।
9. पुलिस, रेल्वे टेलीग्राफ नेटवर्कमें समन्वय स्थापित करना ।
10. क्षेत्र के अवांछित तत्वों की सूची बनाना ।
11. पर्याप्त मात्रा में जिला एवं उपखण्ड स्तर पर वाहन, पैट्रोल व डीजल की व्यवस्था करना।
12. जिला मुख्यालय पर आर्म्स और एम्युनेशन की गणना करना और यदि आवश्यकता हो तो उसकी मांग करना।
13. खतरे वाले स्थानों की सूची तैयार करना।
14. क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों की सूची तैयार करना।

2. वामपंथ, अतिवाद, आतंकवाद, विद्रोह/बलवा, आंतकवादी गतिविधियों एवं धार्मिक चरमपंथ जैसे उग्रवाद

महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में "किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है" ।प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा हित ही राजा हित होता है ।प्रजा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव करने मे दो वाहकों की प्रमुख भूमिका है –

(1) पड़ौसी

(2)राज्य के भीतर अपराधी प्रकृति के लोग।

चाणक्य के अनुसार राज्य को निम्नलिखित चार खतरों का सामना करना पडता हैः–

(1)आंतरिक

(2)बाह्य

(3) बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक

(4) आंतरिक रूप से सहायताप्राप्त बाह्य

आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख घटक

- राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
- आंतरिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना
- कानून व्यवस्था बनाए रखना
- शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं साम्प्रदायिक शांति बनाए रखना

आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां–

नक्सलवाद, धार्मिक कट्टरता, जातीय संघर्ष , भ्रष्टाचार , मादक द्रव्य व्यापार , मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, संगठित अपराध आदि।

आंतरिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी/राष्ट्रीय महामारी/ राष्ट्रीय आपदा के समय समुचित सुरक्षा उपाय कर के व्यवस्था बनाये रखना है। आंतरिक सुरक्षा योजना परिस्थिति के अनुसार पूरी या आंशिक लागू की जा सकती है।

आंतरिक सुरक्षा योजना के लिए निर्देश राज्य स्तर पर जारी होते हैं, परन्तु इसका क्रियान्वयन जिला स्तर पर होता हैं। हर जिले की भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां अलग–अलग होती हैं। उन्हीं के अनुसार हर जिले की सुरक्षा योजना भी अलग होती हैं। योजना दो प्रकार से क्रियान्वित की जा सकती हैं। सुरक्षात्मक व युद्ध के समय। जब भी सरकार से आदेश प्राप्त हो या जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार से सलाह करके पूरी या आंशिक योजना लागू कर सकता है। किसी भी जिले में निम्न में से कोई परिस्थिति होने पर राज्य सरकार के आदेश से उस जिले में आांतरिक सुरक्षा योजना लागू की जा सकती है।

ISS कब लागू की जाती है :–

1. बाह्य हमला।
2. पाकिस्तान एवं चीन द्वारा तोड़–फोड़ या निष्ठा परिवर्तन।
3. वृहद स्तर पर छात्र आंदोलन, साम्प्रदायिक या भाषाई झगड़े।
4. राजनीतिक पार्टियों द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध हिंसक आंदोलन।
5. वृहद स्तर पर श्रमिक आंदोलन, जो हिंसक हो जाये।
6. प्राकृतिक आपदा।
7. आतंकवादी घटनाएं।
8. जनता में विद्रोह होने पर।
9. राष्ट्रीय महामारी।

ISS की तैयारीः–

ISS के तहतराज्य विशेष शाखा द्वारा प्रदत्त मॉडल स्कीम में प्रत्येक जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक एवं जी.आर.पी. व क्षेत्र में तैनात आर्मी मिलकर इस योजना को तैयार करते हैं। ज्यों ही ISS लागू होती है जिला एस.पी. एवं जिला कलेक्टर, स्टॉफ व पुलिस एकत्रित करेंगे।

सामान्य हालातों में:–

पिछले हालात व वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन किया जायेगा। जिले व प्रदेश की जनता को प्रशिक्षित किया जाएगा। कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपाय किये जाएंगे। संदिग्ध विदेशी व्यक्तियों एवं मददगारों की सूची बनायी जाएगी। सीमा पर रहने वाले नागरिकों को जो कि विश्वसनीय हो, उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशासनिक प्रक्रिया – सर्वप्रथम Notification order द्वारा :–

12. DIR (Defence of India Rule) या अन्य कानून लागू करते समय अधिकारों का हस्तान्तरण किया जाएगा।
13. ISS का रिहर्सल (मॉक ड्रिल) किया जाएगा।
14. डी.एम., एस.पी. और क्षेत्र में तैनात आर्मी कमांडर्स की मीटिंग की जाएगी।
15. प्रतिबंधित/सुरक्षित व संरक्षित स्थानों की सूची जारी करेंगे। उस क्षेत्र में फोटोग्राफी की मनाही होगी।
16. उन व्यक्तियों की सूची बनायी जाएगी, जिन्हें गोपनीय दस्तावेज दिये जाने हैं।
17. जिला मुख्यालय व उपखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी।
18. डी.एस.पी., एस.आई.वी., स्टाफ को एकत्रित किया जाएगा व आसूचनाओं का संग्रहण किया जाएगा।
19. विश्वसनीय सोर्स/एजेन्ट तैयार किये जायेंगे।
20. डाक, अन्तावरोध व टेलीफोन टेप किये जायेंगे।
21. इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट प्राप्त कर, उस पर कार्यवाही की जाएगी। अधिकारियों को तुरन्त संदिग्ध घटना व व्यक्तियों की सूचना दी जाएगी।
22. जिले के नक्शे जिनमें महत्वपूर्ण स्थान, पुलिस थाने, पेट्रोल पम्प, गैस–तेल विक्रेता नहरों/नदियों, विदेशियों, मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, अस्पतालों, एनजीओ, प्रतिष्ठित उद्योग/उपक्रम, एम्युनेशन डिपो आदि की सूची बनायी जाएगी।

विदेशी आक्रमण के समय आई.एस.एस. के तहत कार्यवाही :–

6. बॉर्डर क्षेत्र की जनता में देश भक्ति की भावना जाग्रत की जाये
7. सीमा पर विश्वास पात्र व वफादार अधिकारियों की नियुक्ति
8. शत्रु देश के ऐजेन्टों को पहचानने व पकड़ने की व्यवस्था
9. संचार व यातायात की पर्याप्त व्यवस्था
10. सीमा पर रह रहे अल्पसंख्यकों व कमजोर लोगों को संरक्षण ताकि उनकी निष्ठा परिवर्तित न की जा सके।

Evacuation - किन किन स्थितियों में किसी स्थान विशेष को खाली कराया जाता है–

6. जब दुश्मन देश का हमला हो या हमले की संभावना हो।
7. जब क्षेत्र में सेना द्वारा युद्धाभ्यास किया जाये।
8. शरणार्थियों को ठहराने के लिए।
9. प्राकृतिक विपदा के समय।
10. खाली कराने का कार्य योजनानुसार नियंत्रित तरीके से किया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता की जान एवं माल की सुरक्षा, जो भी स्थान खाली कराना हो उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।

Evacuationकरते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाये –

11. व्यक्तियों की सुरक्षा, यातायात की सुरक्षा, भोजन, पानी व चिकित्सा व्यवस्था– नये स्थान पर पानी के टैंक, Mobile Dispansary ।

12. खाली करते समय यह ध्यान रखा जाये की सेना के आवागमन व सप्लाई की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो।
13. स्थानीय मजिस्ट्रेट को Evacuation Magistrateनियुक्त किया जाये। एक ऐसी कमेटी का गठन हो जिसमें DM, SP, CMHO, Ex.En.- PWD, Electricity board, Co- operative Asstt.Registrar, RTO, DTO, DSOशामिल हों।
14. घायल, बीमार, व अपाहिज लोगों का पहले पलायन कराया जाये।
15. खाली कराने की प्रक्रिया में रोड़, रेल्वे व एयरपोर्ट की मदद ली जा सकती है। आवश्यकता हो तो स्पेशल रेल व निजी वाहनों की व्यवस्था।
16. शरण स्थल का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाये। अलार्म सिस्टम हो ताकि लोग चाहे गये स्थान व समय पर एकत्रित हो सकें।
17. बीमारों का अस्पताल में अलग से Evacuation हों व बीमार और घायल सैनिकों के लिये बिस्तरों की व्यवस्था हो।
18. कैदियों व अपराधियों के लिये जेल अधीक्षक से राय लेकर पृथक व्यवस्था हो। अनुमानित जेल की स्थिति व पुलिस बल की व्यवस्था की जाये।
19. DM, SP की मदद व राय से खर्च निर्धारित करेगा, खर्च निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।
20. आवागमन के मार्गों का निर्धारण किया जाये।

आई.एस.एस. लागू करते समय पुलिस की योजना :– जिला पुलिस अधीक्षक, आई.एस.एस. के समय निम्न
तैयारी करेंगे –

1. गाँवों में गृह रक्षा दलों की सूची मय होम गार्ड्स के तैयार करेंगे ।
2. क्षेत्र के बी व सी श्रेणी के संवेदनशील संस्थानों पर सुरक्षा गार्ड लगायेंगे ।
3. जिला व उपखण्ड स्तर पर रिर्जव फोर्स लगायेंगे ।
4. special police officer जिन्हे नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है उनकी सूची तैयार करेंगे ।
5. महत्त्वपूर्ण संस्थानो के लिये विशेष योजना तैयार करना ।
6. आवागमन के रास्तों को साफ करना ।
7. अग्निशमन उपकरण व प्राथमिक उपचारकी तैयारी करना।
8. वायरलैस सेट को अद्यतन रखनाताकि संदेशों के आदान प्रदान में सुगमता हो।
9. पुलिस, रेल्वे टेलीग्राफ नेटवर्कमें समन्वय स्थापित करना ।
10. क्षेत्र के अवांछित तत्वों की सूची बनाना ।
11. पर्याप्त मात्रा में जिला एवं उपखण्ड स्तर पर वाहन, पैट्रोल व डीजल की व्यवस्था करना।

12. जिला मुख्यालय पर आर्म्स और एम्युनेशन की गणना करना और यदि आवश्यकता हो तो उसकी मांग करना।
13. खतरे वाले स्थानों की सूची तैयार करना।
14. क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों की सूची तैयार करना।

3. विविध आंतकवादी/चरमपंथी–स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी संचालन रणनीतियां

उग्रवादी/आतंकवादी संगठन– आतंकवाद का अर्थ एक समूह या संगठन द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा, लूटपाट, आगजनी, विस्फोटक आदि का प्रयोग करके जनता में भय पैदा करना तथा सरकार के प्रति अविश्वास व घृणा पैदा करने का होता है। यह कार्रवाई निश्चित व योजनाबद्ध तरीके से की जाती है। यह कार्रवाई वर्गीकृत अपराधों से भिन्न कार्रवाई होती है।

आतंकवाद के तीन चरण हैं, (i) उग्रवाद; (ii) आतंकवाद; एवं (iii) सशस्त्र विद्रोह

(i) उग्रवाद वह राजनीतिक सोच है, जिससे कोई समूह या संगठन किसी धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय मांगों को लेकर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहता है जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संभव नहीं है;

(ii) आतंकवाद–जब उग्रवाद में हिंसा का प्रयोग सम्मिलित हो जाता है तो उसे आतंकवाद करते हैं;

(iii) सशस्त्र विद्रोह–जब इस हिंसा का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है व अस्त्र. शस्त्र के साथ क्रांति हो जाती है और आतंकवादी अपने मंसूबे में व्यापक स्तर पर सफल होने लगते हैं तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। यह आतंकवाद का अंतिम चरण है।
आतंकवादी संगठन,– **आतंकवादी/सांप्रदायिक संगठनों के नाम–**
मुस्लिम संगठन–हिज्बुल मुजाहिद्दीन, हुजी, सिमी, जेकेएलएफ,जमात–उद–दावा, लश्कर–ए–तैयबा, अल कायदा, जमात–ए–इस्लामी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम फोरम, मुस्लिम लीग, हरकत उल अंसार, अल जिहाद फोर्स, अल्बर्क मुजाहिद्दीन, अलका वार निजाम, जमाते हुरियंत कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैसूर स्टेट मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, अंजुमन ए खुदान ए मिल्क (आगरा), मुस्लिम यूथ एसोसिएशन (अरुणकुल्लम, केरल) मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, तब्लीगी जमात, सिमी पार्टी, आले अदीन संगठन, जमाते उल इलेमा इत्यादि ।
सिख संगठन–केएलएफ, के एल ए, बब्बर खालसा।
नक्सलवाद–पीपुल्स वार ग्रुप।
हिंदू संगठन–विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।

4. आतंकवाद, विद्रोह एवं वामपंथी उग्रवाद से निपटने के प्रतिरक्षा मानक, रणनीति एवं तरीके।

आतंकवाद दीर्घकालीन भय के उस भयानक स्वरूप का नाम है जिसके आक्रमण की हर समय अशंका बनी रहती है तथा उससे मुक्ति का कोई मार्ग समझ नही आता है।

Terrorism in the use a threat of violence to create fear and alarm यानि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आतंक का प्रयोग

आतंकवाद वह क्रिया है जिसमें कोई संगठित समूह, वर्ग अपने उद्देश्य के लिए हिंसा का प्रयोग करते है इस प्रकार के कार्यो में हिंसा का उपयोग लूट, आगजनी, अपहरण व विस्फोटक पदार्थो के माध्यम से धमाके करना आतंकवाद का सामाजिक मुद्दा बन चुका है इसका इस्तेमाल आम लोगो और सरकार को डराने–धमकाने के लिए किया जा रहा है। आम तौर पर आतंकवादी उन पर हमला करते है जो कूटनीतिज्ञ, बडे व्यापारी, राजनेतिक नेता, न्यायाधिश आदि होते है। आतंकवाद एक अल्पसंख्यक समूह होता है जो पूरे बहुसंख्यक समाज को नकारने का प्रयत्न करता है।

एक संगठित समूह या दल द्वारा भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना ओर इस प्रकार से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना आतंकवाद कहलाता है। जिसमें बम विस्फोट, हत्या, अपहरण, आगजनी, लूटपाट, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला हिसांत्मक कार्यवाहियां शामिल है।

आ – आडम्बर, आगजनी, अत्याचार
त – तोड़फोड करना
क – कुत्सित विचार पैदा करना
वा – विस्फोट करना
द – दहशत फैलाना

आतंकवाद आज वेश्विक स्तर पर अन्तराष्ट्रीय समस्या है, जिसका स्वरूप व्यापक है। भारत में आजादी के बाद 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान तथा 90 के दशक में जम्मु कश्मीर में जे0के0एल0एफ0 आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवाद का प्रारम्भ हुआ, जो धीरे–धीरे सम्पूर्ण देश में फेल गया, जिसमें पाकिस्तान व बाहरी देशों का विशेष सहयोग रहा। वर्तमान परिदृश्य में आज भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलगांववाद से जुझ रहे है तथा नेपाल से लेकर बिहार, झारखण्ड, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, उडीसा, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र नक्सली हिंसा की चपेट में है। इसके अतिरिक्त केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, जम्मु कश्मीर आदि सम्पूर्ण भारत जिहादी आतंककारियों से प्रभावित है।

कारण :–

1– **राजनैतिक**:–सत्ता प्राप्ति, अर्न्राष्ट्रीय दखल, अलगाव वाद, क्षैत्रीयवाद, पडौसी देशों की
भूमिका आदि

2– **आर्थिक** :– आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी आदि

3— **धार्मिक** :—धार्मिक कट्टरता

4— **सामाजिक**:—वर्गभेद

5— **विकसित राष्ट्रो की भूमिका** :— हथियारों की बिक्री हेतु बाजार तैयार करना

प्रमुख आतंकवादी संगठन :—

1— लश्कर ए तैयबा (एलईडी)
2— जेस ए मोहम्मद (जेईएम)
3— हिजबुल मुजाहिदीन (एचयूएम)
4— जमात उद दावा (जेयूडी)
5— इण्डियन मुजाहिदीन (आईएम)
6— सिम्मी
7— एल0टी0टी0ई0
8— उल्फा
9— नागा लिबरेशन फोर्स
10— हरकत उल अन्सार
11— नक्सलाईट

राजस्थान में प्रमुख आतंकवादी घटनाऐं :—

1— जयपुर बम ब्लास्ट मई 2008
2— अजमेर बम ब्लास्ट

आतंकवाद के प्रसार के कारण:—

1. धार्मिक कट्टरवाद
2. मादक पदार्थ
3. वामपंथी / नक्सलीसंगठन
4. अलगाववादीसंगठन

आतंकवाद का प्रभाव:—

1. लोगो के बीच घबराहट— भारत में आतंकवाद ने आम जनता के बीच आतंक बढाने का कार्य किया है इनकी गतिविधियों से लोगो में डर व तनाव के कारण कई लोगो असामयिक रूप से मारे जाते है या विकलांग के रूप में जीवन गुजारना पडता है।
2. पर्यटन उद्योग पर प्रभाव:—लोग आतंकवादी हमलो से ग्रस्त स्थानो पर जाने से डरते है जिससे पर्यटन उद्योग और शान्ति व्यवस्था पर बूरा प्रभाव पडता है।
3. अर्थव्यवस्था पर संकट:—आतंकवादी हमलो से सम्पत्ती, व्यवसाय पर बूरा प्रभाव पडता है। निवेश करने के लिए विदेशी निवेशको की कमी और अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडता है।
4. प्रतिभा पलायन:— प्रतिभाशाली युवा आतंकवादी हमलो के कारण विदेशो को ओर पलायन करने लगते है जिससे देश में प्रतिभाशाली लोगो की कमी हो जाती है।

आतंकवाद राकने में पुलिस की भूमिका

- जनभावना जनआवाज व जनविश्वास को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।
- तलाशी के समय आवश्यक बल प्रयोग न करें।
- पुलिस स्टाफ पूर्णतया प्रशिक्षित हो तथा आतंकवादियों का तरीका—ए—वारदात को समझने वाला हो।

- मानसिक व शारीरिक रुप से उनमें मुकाबला करने में सक्षम हो।
- आतंकवाद विरोधी आन्दोलन का दुरुपयोग न हो।
- सामान्य दिनों भी महत्वपूर्ण स्थानो, सार्वजनिक स्थानों में सावधानी व सतर्कता बरते।
- प्रभावित क्षेत्रो मे गश्त के समय सम्पूर्ण क्षेत्र की जानकारी हो।
- संदिग्ध व्यक्ति व अपराधियो की निरन्तर निगरानी हो।
- ऐसे स्थानो की अचानक जॉच हो जहा पर आतंकवादियों द्वारा शरण ली जाती है।
- आसूचना एकत्रीकरण के पश्चात रिपोर्ट पर कार्यवाही करते समय गोपनीयता बनाई रखे।
- अचानक गायब हुये व्यक्तियों सूचना प्राप्त करें।
- आतंकवादी लोगो की मद्द करने वालो की सूची बनाये।

आतंकवादियों द्वारा किये जाने वाले अपराध

1. अपहरण, हत्या और बन्धक बनाना।
2. हवाई जहाज व अन्य वाहनो का अपहरण।
3. अपने साथियों को छुडाने के लिए पुलिस, जेल, कोर्ट या वाहन पर हमला।
4. बैक, पेट्रोल पम्प आदि को लूटने।
5. सरकारी हथियार, गोला बारूद लूटना।
6. महत्वपूर्ण स्थानो पर तोड–फोड की कार्यवाही।
7. धार्मिक भावनाएं भडकाना।
8. विस्फोटको से भरे वाहन, भीड या सुरक्षा संस्थानो मे टकराकर विस्फोट करना।

धार्मिक कट्टरवाद

किसी सम्प्रदाय या धर्म के विचारो को ऑख मूँदकर मानना और उसके लिए अति उत्साह में आकर कार्य करना धार्मिक कट्टरवाद कहलाता है। अपने धर्म से विपरीत विचारो को जैसे किसी भी धर्म, जाति, वर्ण को अपने से हीन समझना और अपने द्वारा माने जाने वाले धर्म और विचारो को सर्वोपरी मानना।

धार्मिक कट्टरवाद का इतिहास– मौर्य साम्राज्य के समय भारत में श्रमण धर्म तथा वैदिक धर्म प्रचलित थे इस समय तक ज्यादा कट्टरवाद नही था लेकिन इस्लाम के भारत आते ही शरियत कानून को वरियता दी गई। मुस्लिम शासको का इस्लाम का विस्तार मुख्य उद्देश्य रहा, मुगलकाल में औरंगजेब के समय जबरन हिन्दू व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन किया गया। ब्रिटिश राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत में धर्म के आधार पर जनता को अलग किया। 1947 में भारत विभाजन के समय पर अनेक स्थानों पर दंगे भड़के और विभाजन हुआ।

हाल के दशको में धर्म आधारित अनेक ऐसी बाते हुई जिससे कट्टरता को बढावा मिला। भारत में कई स्थानो पर दंगे हुए और छोटी–छोटी बातो पर तनाव उत्पन्न होने लगे है। 2002 के गुजरात हिंसा के दौरान अहमदाबाद में कई जगहो पर आगजनी की। बाबरी मस्जिद के ढॉचे को गिराने पर हुए तनाव में 900 व्यक्तियों की जान गई।

धार्मिक कट्टरवाद क्या है–

1. **धर्म या धार्मिकता की उग्र भावना जो दूसरे धर्म के प्रति घृणा एवं विरोध का प्रदर्शन करे।**
2. **धार्मिक कट्टरवादी चरमवादी होते है।**
3. **धार्मिक कट्टरवाद का आधार भय है जो दूसरे को नष्ट करने पर तुला होता है।**
4. **धार्मिक कट्टरवाद ऐसी मानसिकता है जिसमें संतोष तब मिलता है जब दूसरे को दबाया जाये।**
5. **विचारों की उग्रता के साथ कट्टरवाद बढता है।**

5. आन्तरिक सुरक्षा योजना

6. **आंतरिक सुरक्षा योजना**– बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक व्यवस्था के अवसर पर देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई की जाए या की जानी है इसका विवरण आंतरिक सुरक्षा योजना में आता है। यह योजना शांति या युद्ध दोनों ही अवसरों पर पूर्ण या आंशिक रूप से लागू की जाती है।
7. **आंतरिक सुरक्षा योजना की तैयारी–**(1) बाहरी आक्रमण–प्रत्येक जिले में जीआरपी सहित, राज्य विशेष शाखा द्वारा प्रदत्त मॉडल स्कीम के तहत निम्नलिखित खतरों व समस्याओं के मुकाबले के लिए आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार की जाती है–
8. (1) पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3323 किलोमीटर है। यह जिन जिलों से जुड़ी हुई है, उन जिलों के जिलाधिकारी संदिग्ध दुश्मन व उसके मददगार की सूची तैयार करते हैं। इसके लिए सीमा पर वफादार शिक्षित लोगों को लगाया जाता है। इसके लिए संचार साधन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए।
9. पाक–चीन के एजेंटों द्वारा तोड़फोड़ एवं निष्ठा परिवर्तन, सांप्रदायिक दंगों को रोकने के पूरे प्रयास किए जाए। संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर रखी जाए। आवागमन के साधनों एवं रास्तों को सूची बनाकर रखी जाए। वैकल्पिक मार्गों का विवरण भी रखा जाए।
10. (2) **आंतरिक व्यवस्था**– (क) सांप्रदायिक दंगों के समय संदिग्ध लोगों की सूची बनाकर रखी जाए। उन पर निगरानी रखी जाए। सांप्रदायिक संगठनों पर निगरानी

रखी जाए। जहां अल्पसंख्यक हो उनकी सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया जाए। प्रचार पर नियंत्रण रखा जाए। अफवाहों को फैलने से रोकने का प्रयास पर पाबंदी हो। इस बात की व्यवस्था हो कि पुलिस बल कहां से और लगभग कितना प्राप्त हो सकेगा। उसके आने और ठहरने की व्यवस्था कहां होगी। प्रभावित क्षेत्रों में किस रास्ते से शीघ्रता से भिजवाया जा सकेगा।

11. (ख) राजनीतिक पार्टियों द्वारा आंदोलन के समय बड़े नेताओं और उनके सहयोगी सहयोगियों के नाम पते, उनके संपर्क के साधनों की सूची बनाकर रखना, उनके प्रभाव क्षेत्र और संभावित स्थल जाने, जहां पर उनके इकट्ठे होने का कार्यक्रम हो, की जानकारी और उस स्थान के अनुरूप पुलिस बल को तैयार किया जाना चाहिए।

12. (ग) **प्राकृतिक आपदाएं**–अकाल, बाढ़, भूकंप, महामारी इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय आंतरिक सुरक्षा योजना में जनता को समय पर पानी, भोजन, अस्थाई आवास व दवाइयां और कपड़ों की व्यवस्था करना। आवश्यक साधन कब व कहां से प्राप्त किए जाएंगे, इसका विवरण होना चाहिए।

13. **सुरक्षा उपकरण एवं उपयोग**

14. (क) **मेटल डिटेकटर**–यह सुरक्षा उपकरण है जो छुपा कर रखे गए हथियारों का पता लगाता है। किसी व्यक्ति के पास कोई हथियार या मेटल ऑब्जेक्ट होने पर इसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह तीन प्रकार का होता है–

15. 1. **एच.एच.एम.डी.** (हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर)– यह आकार में छोटा होता है और सामान्यतः शारीरिक तलाशी के काम में आता है। इसे कहीं पर भी ले जाना और काम में लेना आसान होता है।

16. 2. **डी.एफ.एम.डी.** (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर)– यह दरवाजे में लगाया जाता है, जहां से व्यक्तियों को प्रवेश करना होता है। यह अधिक व्यक्तियों की तलाशी के लिए होता है, जहां इसमें से गुजरने वाले व्यक्ति के पास कोई हथियार या मेटल होने पर यह आवाज करता है, जिससे उसकी पहचान हो जाती है। इसे चलाने के लिए बिजली या बैटरी की आवश्यकता होती है।

17. 3. **डी.एस.एम.डी**. (डीप सर्च मेटल डिटेक्टर)– यह जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का पता लगाने के काम आता है।

18. 4. **एन.एल.जे.डी.** (नॉन लाइनर जंक्शन डिटेक्टर) यह उपकरण सम के सर्किट का पता लगाता है। जमीन में किसी बम का सर्किट बन रहा है तो उसका पता लगाने के काम आता है।

19. 5. **प्रोडर** (Prodder)- यह लोहे की छड़नुमा वस्तु होती है, जो जमीन को कुरदने के काम आती है, जिससे यह पता चलता है कि जमीन में बम छिपा हुआ है अथवा नहीं।

20. 6. **एक्सटेंशन मिरर** (Extension Mirror)- यह उपकरण ऐसी जगह को देखने में मदद करता है, जिसको हम देखने में असमर्थ रहते हैं, जैसे गाड़ी के नीचे कोई संदिग्ध सामग्री देखने हेतु।

21. 7. **ईडीएम** (Explosive Detector Model-97)- यह उपकरण जमीन में छिपी विस्फोटक सामग्री का पता लगाता है।

22. 8. **एलबीडी** (Letter Bomb Detector)- यह पत्रों या किताबों में छिपे वर्मों के ढूंढने में सहयोग करता है।

23. **श्वान दल (डॉग स्क्वायड)–** श्वान दल (डॉग स्क्वायड) का उपयोग जघन्य अपराधों में अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहीं पर भी छिपाए गए, विस्फोटकों का पता लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

24. इस कार्य के लिए श्वान दल के पुलिसकर्मी कुत्तों को प्रशिक्षण देते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की खुशबू, गंध से परिचित कराया जाता है। श्वान को विस्फोटक पदार्थ, जैसे आरडीएक्स (Rearch Developed Explosive), टीएनटी (trinitrotoulene), पीईएनटी (pentaerythritol-tetranitrate), पीईके (Plastic Explosive Kirke), जीसी स्लेव (Gun Cotton Slab), जीई प्राईमर (Composition Explosive), जीसी प्राईमर (Gun Cotton Primer), गन पाउडर (Gun Powder), डेटोनेटर (OD-Ordinary Detonator, ED-Electric Detonator) आदि के साथ.साथ विभिन्न प्रकार की मानव गंध जैसे पसीना, खिरणी, पन्नी, जर्दा इत्यादि वस्तुओं को समझा कर श्वान को प्रशिक्षित किया जाता है।

25. श्वान दल का उपयोग अपराधियों का पता लगाने के लिए, वास्तविक घटनास्थल का पता लगाने के लिए, एएससी करने व वीआईपी ड्यूटी के दौरान अपराधियों के आने.जाने के मार्गों में किसी विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए या अन्य संदिग्ध वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है।

26. **लुक आउट सर्कुलर** (एल.ओ.सी.) लुक आउट सर्कुलर एक सर्कुलर लेटर है, जिसका उपयोग भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराधी विदेशों में बॉर्डर या एअरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। इसका कारण यही होता है कि उस देश के अधिकारियों के पास उस अपराधी के विरुद्ध लुक आउट नोटिस होता है। लुक आउट नोटिस का उपयोग अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या समुद्री क्षेत्र, बंदरगाहों) पर आव्रजन जांच में किया जा सकता है। लुक आउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी से अनुरोध मिलने पर आव्रजन अधिकारी आरोपी व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए निम्न 4 दिशानिर्देश जारी किये हैं

27. 1. किसी भारतीय व्यक्ति के विरुद्ध सभी आव्रजन चेकपोस्टों के लिए लुक आउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा तैयार प्रारूप में ही जारी किया जा सकता है।

28. 2. भारत में लुक आउट नोटिस को जारी करने का अधिकार भारत सरकार में उप सचिव, प्रदेश स्तर पर जॉइंट सेक्रेटरी और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक से नीचे के अधिकारी के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है।

29. 3. लुक आउट नोटिस जारी करने वाली एजेंसी के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी किया गया है, उसकी पूरी पहचान एक पहले से तय फॉर्मेट में देना जरूरी है। साथ ही उस व्यक्ति के नाम को छोड़कर कम से कम 3 अन्य पहचान चिन्ह भी बताने होंगे।

30. 4. लुक आउट नोटिस जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होता है। हालांकि यदि नोटिस जारी करने वाली एजेंसी इस नोटिस का समय बढ़ाना चाहती है तो वह एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ऐसा कर सकती है। यदि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर लुक आउट नोटिस की समय सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो संबंधित आव्रजन अधिकारी लुक आउट नोटिस को निलंबित करने के लिए अधिकृत है। जिन मामलों में लुक आउट नोटिस कोर्ट और इंटरपोल द्वारा जारी किये जाते हैं, उनके मामलों में लुक आउट नोटिस एक साल के भीतर ससपेंड नहीं होता है। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए निम्न बातें ध्यान में रखी जाएं,–

31.

32- (i) संस्थानों में प्रवेश करने वाले व्यक्ति व निकलने वाले वाहनों की तथा व्यक्तियों की चेकिंग करना व तलाशी लेनाय;

33. (ii) संस्थानों में अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाए;

34- (iii) अनाधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए एकल प्रवेश द्वार की व्यवस्था कर सुरक्षा व्यवस्था को की जाए;

35- (iv) संस्थाओं की सुरक्षा को कायम रखने के लिए गोपनीय सूचनाएं प्राप्त करना और उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना ताकि उस सूचना का विश्लेषण कर समयानुसार उचित उपाय किए जा सकें;

36. (v) अनाधिकृत प्रवेश की रोकथाम के लिए द्वारों की चेकिंग करना, गस्त करना, अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था करना, महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करना और सुरक्षा टावरों से निगरानी करना;

37. (vi) उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना जो संस्थान की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई कृत्य करते पाए जाते हैं।

माड्यूल ई वीआईपी सुरक्षा

1. वीआईपी की सुरक्षा

वर्तमान समय में विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को कदम–कदम पर खतरा हैं, जिसके कारण वी.आई.वी. और वी.वी.आई.पी. सुरक्षा का महत्व काफी बढजाता है, आये दिन होने वाली विशिष्ट राजनयिकों की हत्या, बम विस्फोटों, तोड.–फोड. की कार्यवाही आदि के कारण विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का महत्व और भी बढ गया है। सुरक्षा कार्य के लिए वर्तमान समय में एक अकेला व्यक्ति या संस्था कुछ नहीं कर सकते अपितु इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं।

विशिष्ट व्यक्ति एवं अति विशिष्ट व्यक्ति वे लोग होते हैं जिनके कार्य व निर्णय या घोषणाएं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखती हैं। हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि वी.वी.आई.पी., वी.आई.पी. एवं आई.पी. कौन–कौन व्यक्ति होते हैं तथा इन व्यक्तियों का सुरक्षा सम्बन्धी वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता हैं।

वीआईपी की परिभाषाः–

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित या घोषित पद के व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे व्यक्ति अति महत्वपूर्ण होते हैं, जो उच्च श्रेणी के सार्वजनिक एवं प्रशासनिक पद को धारण करते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, धार्मिक/सामाजिकरूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की नीतियां तथा निर्णय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता को प्रभावित करते हैं, इनको किसी भी प्रकार से हानि न पहुँचे, इनके जीवन की सुरक्षा के लिए खतरे के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है।

ब्लू बुक क्या है :–

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित या घोषित वी.वी.आई.पी. व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिशा निर्देशों का उल्लेख इस पुस्तक द्वारा किया जाता है, जिसे सुरक्षा की भाषा में **ब्लू बुक** कहा जाता है। यह एक ऐसी निर्देशिका है जिसमें वी.आई.पी. के सम्बन्ध में सुरक्षा के आवश्यक प्रबन्धों का उल्लेख किया गया है, इनका पालन करना केन्द्र व राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा। यह पुस्तिका सभी सुरक्षा से जुडे. हुए उच्चतम अधिकारियों के पास होती हैं। यह अति गोपनीय दस्तावेज होता है। इसे जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा जाता है। पद का चार्ज लेते व देते समय इस पुस्तक को आने वाले अधिकारी को सुपुर्द किया जाना अति आवश्यक हैं।

येलो बुक :–

राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित या घोषित अन्य वी.वी.आई.पी. या वी.आई.पी. व्यक्तियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लेख इस पुस्तक द्वारा किया जाता हैं, जिसे सुरक्षा की भाषा में **येलो बुक** कहा जाता हैं।

पिंक बुक :–

इस बुक में राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश अंकित हैं।

P.R.G. (Protection Review Group) – महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को किस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जानी है इसकी समीक्षा हेतु एक कमेटी का निर्धारण किया गया है। जिसमें निम्न सदस्य होते हैं :–

1. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
2. निदेशक, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो।
3. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव सुरक्षा।

चार सदस्यीय समिति– वीवीआईपी तथा वीआईपी एवं महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा करते हैं, और समय –समय पर आवश्यकतानुसार बदलाव भी करते हैं ।

समन्वय समिति :– किसी भी स्थान पर वी.वी.आई.पी. के आने की सूचना प्राप्त होने के बाद इस समिति की बैठक आयोजित की जाती हैं। इस बैठक में सभी विभागों के प्रमुख भाग लेते हैं, जो वी.वी.आई.पी. को प्राप्त सुरक्षा श्रेणी के आधार, कार्यक्रम, रात्रि विश्राम इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना निर्धारित करते हैं। इस कार्य योजना का निर्धारण वी.आई.पी. के मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम को ध्यान में रखकर किया जाता हैं। जिला विशेष शाखा, राज्य विशेष शाखा, रेंज व अन्य जिले के पुलिस अधिकारी, आई.बी. के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधीश, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड के अधिकारी आदि वी.वी.आई.पी. के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समन्वय समिति की रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस मीटिंग में निश्चित की गई सभी बातें लेखबद्ध करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। जिसमें सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल तक का पूरा ध्यान रखा जाता हैं। आगे की समस्त तैयारियाँ विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार की जाती हैं।

2. अत्यधिक एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की अवधारणा

वी.आई.पी. व्यक्ति की श्रेणियाँ :–

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित या घोषित पद के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के आधार, खतरे के आंकलनपर, संविधान द्वारा घोषित पद एवं नव सृजित पद तथा प्रशासनिक आधारों पर वीवीआईपी व्यक्तियों की श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं। इनके अलावा न्यायालय द्वारा घोषित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

1 **वी.वी.आई.पी. :–** भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा विदेशों से आने वाले इनके समकक्ष राष्ट्राध्यक्ष, विशेष अतिथि की श्रेणी में आते हैं।

2 **वी.आई.पी. :–**

(अ) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त इत्यादि।

(ब) राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इत्यादि।

3 **महत्वपूर्ण व्यक्ति :–** इस श्रेणी में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, जिनके कार्य एवं निर्णय देश एवं समाज के लिए हितकारी होते हैं। जैसे – प्रमुख वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, ख्यातिनाम पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, सेना एवं पुलिस के बड़े अधिकारी।

4 **विशिष्ट विदेशीः–**वे विदेशी व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के संबंध मे केन्द्र सरकार या आईबी से निर्देश प्राप्त हुए हैं।

वी.वी.आई.पी. सुरक्षा के सिद्धांत

1. वी.आई.पी. को खतरा (Threat Rerception)
2. एडवान्स सिक्योरिटी लाईजन (Advance security liaison)
3. Security Staff Deployment
4. एक्सेस कन्ट्रोल (Acess Control)
5. एन्टी सबोटाज चैक (Anti sabotage check)
6. कन्टीजेन्सी प्लान (Contingency Plan)

   (A) Operational (B) Medical

1. वी.आई.पी. को खतरे का निर्धारण (Threat Assessment) :–वी.वी.आई.पी. को किस प्रकार का खतरा हैं ? उसका परिणाम क्या हैं ? इत्यादि बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ वी.आई.पी. का कार्यक्रम हैं वहाँ किस प्रकार के आतंकवादी संगठन कार्यरत हैं। उनकी कार्य प्रणाली एवं उनके उद्देश्य क्या हैं ? इन सब बातों को ध्यान में रखकर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वह अन्य एजेन्सियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करें। सुरक्षा व्यवस्था का अधिकतर क्रियान्वयन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होता हैं जो कि इन्टैलीजेन्स एजेन्सी प्रदान करती हैं। अतः इन्टैलीजेन्स एजेन्सी का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए। स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आम सभा, सड़क यात्रा, हवाई यात्रा, निवास आदि के दौरान सम्भावित खतरों को ध्यान में रखकर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए।

2. ए.एस.एल. अथवा यात्रा पूर्व समन्वय (Advanced Security Liaison)**:–**

ए.एस.एल. का सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण स्थान हैं। यात्रापूर्व समन्वय की वह प्रक्रिया हैं जिसमें विभिन्न एजेन्सियों के उच्च अधिकारी मिल बैठकर वी.आई.पी. को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित योजना को मिनिट टू मिनिट लिखित रूप में तैयार करते है। उक्त एएसएलसुरक्षा स्टाफद्वारा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि स्टाफ

उसी अनुसार व्यवस्था करवा सके। इसके लिए अलग से एक सुरक्षा दस्ता पहले से उस स्थान पर जहां वी.आई.पी. को आना हैं, भिजवा देना चाहिए ताकि यह लोग ए.एस.एल. के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था करवा सकें।

3. Security Staff Deployment :–वी.वी.आई.पी. को क्या खतरा है ? के आधार पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा स्टाफ उस स्थान पर नियोजित किया जाता हैं।

4 . अनधिकृत प्रवेश निषेध (Access Control) :–

सुरक्षा के मौलिक सिद्धांतों में एक्सेस कन्ट्रोल का सिद्धांत प्रमुख स्थान रखता हैं। वी.आई. पी. की जहाँ उपस्थिति हैं या आने वाला है उस क्षेत्र में अनधिकृत व्यक्ति, वस्तुओं, वाहनो को नहीं पहुँचने देना ही एक्सेस कन्ट्रोल कहलाता हैं।

अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा के दौरान एक्सेस कन्ट्रोल लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था सुरक्षात्मक हो, चूँकि वी.वी.आई.पी. व्यक्ति को सुरक्षा में किस प्रकार की धमकियां या जनता का विरोध हैं, इसकी पूर्व में पूर्णरूप से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक सुरक्षा कदम सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

5. तोड़फोड़ निरोधक जाँच (Anti sabotage Check) :–

किसी भी प्रकार की सम्भावित तोड़–फोड़ की कार्यवाही को रोकने हेतु जो तलाशी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं वह ए.एस.सी. कहलाती हैं। ए.एस.सी. में हवाई जहाज, खाने व पीने का समान एवं समस्त सुरक्षित किए गए स्थानों आदि की चैकिंग गहनता से की जाती हैं। उपरोक्त ए.एस.सी. चैकिंग अत्याधुनिक उपकरणों एवं अनुभवी टीम द्वारा की जानी चाहिए। जिस स्थान की ए.एस.सी. की जानी हैं उसे सेक्टरों में ब्राँटें व उसकी क्लॉक वाईज व एन्टी क्लॉक वाईज चैकिंग करनी चाहिए। विस्फोटक, (स्नाइफर डॉग) श्वानसूँघने वाले डॉगसे ए.एस.सी. आवश्यक रूप से कराई जानी चाहिए।

तकनीकी सहायता :–

- डीप सर्च मेटल डिटेक्टर
- एन.एल. जे.डी.(Non-linear Junction Detector)
- एक्सप्लॉसिव डिटेक्टर
- एक्सटेंशन सर्च मिरर
- प्रोडर, सर्च लाईट
- प्लेटफार्म मिरर
- पॉकेट स्कैनर (एचएचएमडी)
- स्नाईफर डॉग

6 आपातकालीन योजना (कन्टींजेन्सी प्लान):–

वीवीआईपी सुरक्षा में दो प्रकार के कन्टींजेन्सी प्लान बनाये जाते हैं–

1. **ऑपरेशनल कन्टींजेन्सी**–वीवीआईपी, वीआईपी जिस स्थान पर निवास करते हैं या कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ऐसे स्थानों पर खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में किस मार्ग से, किस वाहन से सुरक्षित ले जाया जा सकता हैं, यह पहले से तय किया

जाता हैं और पहले से ही निर्धारित स्थान (सेफ हॉउस) बनाया जाता है इसकी रिहर्सल की जाती हैं।

2. **मेडिकल कन्टीजेन्सी–** वीवीआईपी, वीआईपी जिस स्थान पर निवास करते हैं या कार्यक्रम में भाग लेते हैं, पूर्व से ही एक एम्बूलेन्स सभी आवश्यक दवाई, डॉक्टर्स की टीम, वीआईपी के ब्लड ग्रुप के ब्लड आदि की व्यवस्था रखी जाती हैं।
   अचानक हमला या अन्य किसी प्रकार की चोट लगने पर वीवीआईपी, वीआईपी को अस्पताल में जल्द से जल्द पहुँचाकर मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा सकें, साथ ही अस्पताल में डॉक्टर्स और ऑपरेशन थिएटर तैयार रखा जाता हैं। यात्रा के समय या कार्यक्रम होने से पूर्व ही अस्पताल निर्धारित कर लिया जाता हैं।

सी.पी.टी. (Close protection Team)

किसी भी वीआईपी की सुरक्षा में रिंग राउण्ड या सीपीटी, सुरक्षा व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा एक्सेस कन्ट्रोल करने में भी इसकी भूमिका होती हैं। सीपीटी में लगे हुए स्टाफ का कार्य यही होता हैं कि कोई भी अंवाछित तत्व वीआईपी तक न पहुँच सके व वीआईपी को हानि नहीं पहुँचा सके, उनकी संख्या 4 से 7 तक होती हैं तथा घेरे का माप लगभग 6 फीट का होता हैं। उक्त घेरा भीड़ की माप के अनुसार छोटा या बड़ा रहता हैं। रिंग राउण्ड में लगे हुए जवान पूर्णतया प्रशिक्षित एवं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए तथा वीआईपी के प्रति पूर्ण समर्पित होने चाहिए। अपने कर्त्तव्य के प्रति पूर्णतया निष्ठावान होने चाहिए। रिंग राउण्ड में वीआईपी के पैदल यात्रा करते हुए गंतव्य स्थल की ओर चलते समय आगे दो सुरक्षा अधिकारी होने चाहिए व दो पीछे होने चाहिए। पीएसओ वीआईपी के साथ बॉडी कवर के रूप में रहेगा।

3. वीआईपी के लिए सुरक्षा व्यवस्था ठहराव वाले स्थान पर लोक रैली वाले स्थान पर सडक पर आवाजाही के दौरान आवागमन व्यवस्था हेलीपेड/हवाई अड्डे पर

निवास स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था (House protection cordon)

निवास स्थान पर वी.आई.पी. सुरक्षा को तीन स्तर में बांटा जा सकता हैं।

1. सुरक्षा का बाहरी आवरण (Outer Cordon)
2. सुरक्षा हेतु आंतरिक आवरण (Inner Cordon)
3. सुरक्षा हेतु एकांत आवरण (Isolation Cordon)

1. बाहरी आवरण(Outer cordon) :–

आउटर कॉर्डन के अन्तर्गत चारदीवारी एवं बाहर की ओर की सुरक्षा व्यवस्था, वर्दीधारी स्टाफ करता है। इस जाप्ते को राउण्ड द क्लॉक शिफ्टों में तैनातकिया जाता है। इनके पास शॉर्ट एवं लॉन्ग रेंज के हथियार होते हैं। इस जाप्ते का मुख्य कार्य बाहर की सुरक्षा एवं अनधिकृत व्यक्तियों को निवास स्थान के पास व अन्दर नहीं आने देना है।

2. आन्तरिक आवरण(Inner cordon) :–

बाहरी चार दीवारी एवं आईसोलेशन कॉर्डन के मध्य काक्षेत्र इनर कॉर्डन कहलाता है। इनर कॉर्डन की सुरक्षा व्यवस्था में सादा वस्त्रधारी जाप्ता मयशोर्ट रेंज हथियार के साथ तैनात किया जाता है। इनर कॉर्डन स्टॉफ का मुख्य कार्य निम्न प्रकार है :–

1. चार दीवारी के अन्दर के समस्त स्थान पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
2. वी.आई.पी. के पास सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही जाना चाहिए।
3. रात को इनर कॉर्डन में आवश्यकता हो तो वर्दीधारी स्टाफ लगाया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और भीमजबूत की जा सके।
4. स्टाफ चुस्त एवं होशियार होना चाहिए।
5. सभी प्रवेश द्वारों पर विशेषकर रात को कड़ी सुरक्षा व निगरानी रखनी चाहिए।
6. समस्त कमरों के रोशनदान, खिड़की, बाथरूम आदि की अच्छी तरह जाँच करनी चाहिए।
7. वहाँ पर तैनात पूरे स्टाफ (अन्य विभाग) की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए।
8. प्रत्येक अपेक्षित आगंतुकों की जाँच की जाए एवं स्वागत अधिकारी द्वारा उनकी पहचान करा ली जाए।
9. अपेक्षित आगंतुकों के शरीर एवं सामान की भी पूरी जाँच की जानी चाहिए तथा सिर्फ वी.आई.पी. के चाहने पर ही उन्हे अन्दर प्रवेश करने देना चाहिए।
10. अन्य विभाग के स्टाफ का चरित्र सत्यापन प्रति वर्ष हो तथा उन्हे अलग से प्रवेश हेतु पास जारी किया जाना चाहिए।

3. एकान्त अवस्था आवरण(Isolation cordon) :–

इसमें वी.आई.पी. के ठहरने का कमरा सम्मिलित है, इसमें सुरक्षा के लिए चुस्त एवं फुर्तीले सादा वस्त्रधारी पुलिसकर्मी लगाये जाएंगे, जो कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को वी.आई.पी.तक जाने नहीं देंगे। सुरक्षाकर्मियों को रबर सोल के जूते पहनने चाहिए, जिससे वी.आई.पी. के आराम करने में व्यवधान न हो। सुरक्षाकर्मियों के साथ वी.आई.पी. का पी.एस.ओ. भी सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात रहेगा। आईसोलेशन कॉर्डन में लगे सुरक्षा स्टाफ के पास स्टैनगन, कारबाईन आदि हथियार नही होंगे।

एच.पी.टी.(House protection Team) :– इस टीम द्वारा वी.आई.पी. के ठहरने के स्थान, निवास स्थान पर बाहरी क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसमें सुरक्षा के लिए चुस्त एवं फुर्तीले सादा वस्त्रधारी पुलिसकर्मी लगाये जाएंगे, जो कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को वी.आई.पी.तक जाने नहीं देते हैं।

वी.आई.पी. की आम–सभा (Public Metting)

वी.आई.पी. की आमसभा में सभास्थल का चुनाव, आयोजक से मिलकर तय किया जाना चाहिए, जिससे कि सभा में आने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर वह स्थान पर्याप्त हो, आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सभा स्थल से ज्यादा दूरी पर ना हो। सभा स्थल ऊँची ईमारतों, घने पेडों से घिरा हुआ न हो। सुरक्षा व भीड़ की संख्या को मध्यनजर रखते हुए स्थान का चयन किया जाए, ताकि सुरक्षा के साथ–साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़े।

मंच (Rostrum) :–

वी.आई.पी. की सार्वजनिक सभा के लिए मंच का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. के ए.ई.एन./जे.ई. एन. की देखरेख में किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण के दौरान उच्च क्वालिटी की निर्माण सामग्री प्रयोग में लाई जाए। मंच की साईज 12′x 12′x 8′ होगी। मंच पर सीढीयां पीछे की ओर से बनाई जाएगी। जिनकी ऊंचाई '6-9' से अधिक नहीं होगी। सीढीयों के दोनों ओर व मंच पर लोहे के पाईपों की रैलिंग लगाई जानी आवश्यक है। मंच के निर्माण के दौरान मंच के पीछे के हिस्से में डबल पक्की ईंट की दीवार बनाई जायेगी अन्यथा कपड़े का पर्दा लगाया जायेगा, जिससे वी.आई.पी. को पीछे से होने वाले संभावित खतरे से बचाया जा सके। मंच को धूप, वर्षा को मध्यनजर रखते हुए ऊपर से कवर किया जाना चाहिए।

सभा स्थल की सुरक्षा–

1. मंच के निर्माण के प्रारंभ से ही उस पर पुलिस गार्ड लगायी जाकर निगरानी व सुरक्षा की जानी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि ना हो।

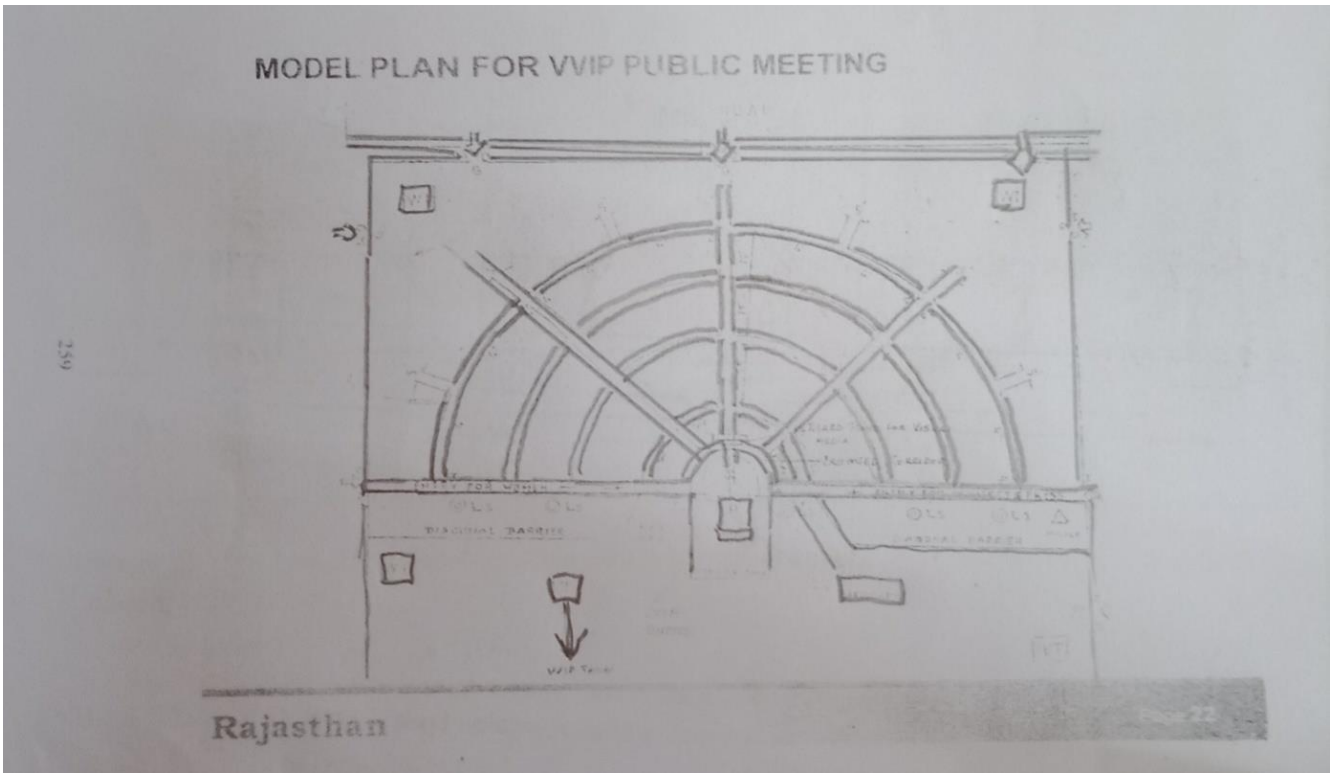

2. मंच का निर्माण सशस्त्र पुलिस गार्ड की मौजूदगी में किया जाए, ताकि मंच निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक/संदिग्ध वस्तु न छुपाई जा सके।

3. वी.आई.पी. के आगमन से पूर्व मंच की ए.एस.सी. करवाई जानी चाहिए।
4. सायंकाल/रात्रि के समय आयोजित की जाने वाली आमसभा में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। जनरेटर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. मंच पर प्रकाश हेतु ज्यादा फोकस लाइटें न लगाई जाकर साधारण ट्यूब का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे की मंच पर बैठे वी.आई.पी. व अन्य व्यक्तियों को असुविधा न हो।
6. मंच पर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसके क्षेत्रफल व उसकी मजबूती आदि सभी ए.एस.एल. प्लान के अनुसार रखी जाती हैं। मंच पर बैठने वालों की संख्या ज्यादातर विषम में होती हैं। मंच की सुरक्षा का कार्य सी.पी.टी. (Close Protection Team) द्वारा किया जाता हैं। एक्सेस कन्ट्रोल का सम्पूर्ण ध्यान रखा जाता हैं।

डी एरिया (D-Area) :–

मंच के सामने का वह क्षेत्र जो, चन्द्राकार रूप से बनाया जाता हैं, 'डी' एरिया कहलाता हैं इनकी दूरी मंच से 45 फिट से लेकर 60 फिट तक (क्षेत्रानुसार) रखी जायेगी। डी एरिया में डबल बैरीकेडिंग की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि किसी भी सेक्टर में अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सकें। बैरीकेडिंग हेतु बल्लियां बाहर की तरफ बांधी जानी चाहिए। डी एरिया जो कि नोमेन्सलैण्ड (No men's land) कहलाता है, परन्तु कई बार वी.आई.पी. भीड़ से मिलने हेतु इस क्षेत्र मे प्रवेश कर जाते हैं।

इसमें ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. सुरक्षा के लिहाज से डी–एरिया में लोहे की पतली जाली लगाई जाये, ताकि कोई व्यक्ति बल्लियों के नीचे से डी एरिया मे प्रवेश ना कर सके या कोई भी वस्तु नीचे से नही फेंक सके।
2. सुरक्षा के लिहाज से डी–एरिया क्षेत्र में 24 सादा वस्त्रधारी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को नियोजित किया जायेगा, जिनमें से 12 हथियारों के साथ तथा 12 बिना हथियार के होंगे। डी एरिया में तैनात समस्त सुरक्षा अधिकारी भीड़ की तरफ मुँह करके खड़े रहेंगे।
3. वीआईपी की सभा के समय डी एरिया में तैनात सुरक्षाकर्मियों का दायित्व हैं कि जब कभी वी.आई.पी. (डी एरिया) मेंआकर भीड़ से मिलते हैं तो उस परिस्थिति में खडे होकर वी.आई.पी. व भीड़ के मध्य मानवीय दीवार बनायेंगें तथा भीड़ द्वारा फेंके जाने वाले पत्र, पत्थर, मालाएं या अन्य वस्तुओं को रोकने का कार्य करेंगे एवं भीड़ व वी.आई.पी. के मध्य पर्याप्त दूरी कायम रखेंगे।

सभा स्थल काक्षेत्र विभाजनः–

डी–एरिया के पश्चात् का क्षेत्र सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा। सेक्टरों को चार भागों में विभाजित किया जायेगा। प्रत्येक सेक्टर में प्रवेश के लिए गेट बनाये जाएंगे, जिनकी चौड़ाई 5 फिट रखी जायेगी, भीड़ की संख्या के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5 सेक्टर बनाये

जाएंगे। प्रथम सेक्टर की लम्बाई 50 फिट रखी जायेगी और बाद वाले सेक्टर की लम्बाई 75 फिट रखी जायेगी।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. प्रथम सेक्टर में महिलाओं, बच्चों, विशेष आमंत्रित सदस्यों एवं प्रेस (मीडिया) के लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए।
2. प्रथम सेक्टर में प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. लगाई जाएगी व उनके संचालन के लिए सादा वस्त्रों में सुरक्षा अधिकारी लगाये जाएंगे।
3. सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक सेक्टर में सादा वस्त्रधारी पुलिस अधिकारी तैनात किये जाएंगे जो भीड़ में अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे।
4. मीडिया कवरेज के लिए तख्ते इत्यादि 'वाई' सेप में लगाये जाएंगे।
5. सेक्टरों के आखिरी छोर पर सभास्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक गेटों पर पर्याप्त मात्रा में डी.एफ.एम.डी. लगाई जायेगी। आमजन को इनसे गुजारा जायेगा और आवश्यकता अनुसार एच.एच.एम.डी. का इस्तेमाल एवं फ्रिस्किंग की जायेगी।

रियर डी–एरिया :–

जिस प्रकार से मंच के सामने का फ्रन्ट डी–एरिया कहलाता हैं, उसी प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से मंच के पीछे वाला क्षेत्र रियर डी–एरिया कहलाता हैं, जिसे बेरीकेडिंग करके सुरक्षित किया जायेगा। रियर डी–एरिया में वी.आई.पी. के लिए टेन्ट लगाया जाएगा, जिसमें बैठने की व्यवस्था, जलपान एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जायेगी। जलपान के सभी आइटमों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य (फूड) सेम्पलिंग लिया जायेगा, टेलिफोन (लोकल, एस.टी.डी.) एवं हॉट लाईन की व्यवस्था की जाएगी।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. रियर डी–एरिया में वी.आई.पी. का स्वागत करने वाले व्यक्तियों को सूची के अनुसार डी.एफ.एम.डी. के जरिए चैकिंग कर प्रवेश दिया जायेगा। माला, उपहार इत्यादि, एच.एच.एम.डी. की मदद से चैक किये जाएंगे।
2. एलाईटिंग पोईन्ट पर सादा वस्त्र में सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए।
3. सुरक्षा के लिहाज से वी.आई.पी. टेन्ट पर एक सुरक्षा अधिकारी एवं वी.आई.पी. गेट पर भी एक सुरक्षा अधिकारी तैनात किया जाना चाहिए।
4. रियर डी–एरिया में वी.आई.पी. वाहन, एस्कोर्ट – 1 तथा एम्बुलेंस को प्रवेश दिया जायेगा। शेष कारकेड के अन्य वाहनों को बेरीकेडिंग से बाहर पार्क करने की व्यवस्था की जाएगी।

सभा स्थल पर माईक व्यवस्था :–

आम सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए माईक व्यवस्था की जायेगी। मंच के दोनों और पर्याप्त उँचाई एवं दूरी पर बल्लियों पर स्पीकर लगाये जाएंगें, ताकि सभा के अंतिम छोर तक वीआईपी की आवाज सुनाई दे सके।

ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. मंच पर माईक का सम्पूर्ण कार्य सुरक्षा अधिकारी की मौजूदगी में किया जायेगा।

2. स्पीकर्स की पूर्णरूप से एएससी की जाएगी।
3. सभा स्थल के पीछे की ओर कोने में पुलिस कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. सभा स्थल पर पेयजल,एम्बूलेन्स,फायर ब्रिगेड,चिकित्सक टीम की पूर्ण व्यवस्था की जाए।
5. आमसभा में सामान्य जाप्ते के अलावा रिजर्व जाप्ते की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. आमसभा स्थल के पास सेफ हाउस की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, इसकी एएससी अवश्य हो एवं वायरलेस सेट लगाना चाहिए।
7. सम्पूर्ण आमसभा क्षेत्र विशेषकर मंच, फ्रंट डी–एरिया, रियर डी–एरिया, प्रथम सेक्टर, सभास्थल के वी.आई.पी. भाग की ए.एस.सी. टीम द्वारा गहनता से उपकरणों का उपयोग करते हुए, एएससी की जाए।
8. सम्पूर्ण आम सभा क्षेत्र में लोहे के डोम, एलईडी, मंच व माईक के लिए अर्थिंग का कनेक्शन होना अनिवार्य है।
9. सभास्थल पर बिजली की व्यवस्था हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले तार (वायर) उपयोग में लिये जाने चाहिए।
10. मंच के नजदीक Mini Jammer होगा या Carcade का Jammer on Candation में होगा।

हेलीपेड सुरक्षा

यदि वी.वी.आई.पी. आमसभा के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करने के स्थान पर हेलिकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो हेलिकॉप्टर से यात्रा के दौरान हेलीपेड हेतु 100 मी. x 100 मी.का क्षेत्र होना चाहिए। हैलीपेड पर तीन हेलीकॉप्टर खड़े रखने के लिए स्थान पर्याप्त हो। हेलीपेड का निर्माण,बेरीकेडिंग भी पी.डब्ल्यू.डी. के ए.ई.एन./ जे.ई.एन. की देखरेख में किया जायेगा। हेलिकॉप्टर उतरने वाले स्थान को मिट्टी नर्म होने की स्थिति में ईंटों से सोलिंग किया जाना आवश्यक है। हेलीपेड को सशस्त्र गार्ड की निगरानी में तैयार किया जायेगा, जो कि यात्रा समाप्ति तक सशस्त्र गार्ड की निगरानी में रहेगा। प्रत्येक हेलिकॉप्टर के मध्य की दूरी 30 मीटर होनी चाहिए, जहाँ कि उन्हे लैण्ड करना है।

हेलीपेड पर ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. हेलीपेड की एएससी की जाएगी।
2. यदि हेलीपेड व आमसभा स्थान पास–पास है तो सभास्थल के मंच की ऊपरी छत प्लाई की लगाई जानी चाहिए।
3. हेलीपेड पर कारकेड के पार्किंग की व्यवस्था बैरिकेडिंग के पास की जानी चाहिए।
4. वी.आई.पी. वाहन एवं एस्कोर्ट के अलावा कारकेड के अन्य वाहनों को हेलीकाप्टर के नजदीक नही जाने दिया जाना चाहिए।
5. हेलीपेड एवं सभास्थल के मध्य रास्ते की एएससी की जानी चाहिए।
6. हेलीपेड पर अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस, इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
7. यदि हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा जाना है, तो इस हेतु एक राजपत्रित अधिकारी को पृथक से तैनात किया जायेगा।
8. हेलीपेड पर वी.आई.पी. के स्वागत के लिए आने वाले व्यक्तियों की सूची लेकर चैक करके प्रवेश दिया जाना चाहिए।
9. हेलीपेड वाले क्षेत्र में ऊँचे भवन होने की स्थिति में भवनों की छतों पर सुरक्षा अधिकारी तैनात किये जाने चाहिए।
10. हेलीपेड पर ड्यूटी हेतु तैनात समस्त स्टाफ को ड्यूटी पास जारी किये जाने चाहिए।
11. आमसभा व हेलिपेड एक ही परिसर में होने की स्थिति में वी.आई.पी. एस्कोर्ट–1, एस्कोर्ट–2, डी.आर./पी.एस. वाहन ही लगाए जाने चाहिए।
12. हेलीपेड के प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. लगाकर संचालन हेतु सुरक्षा सटाफ तैनात किया जाना चाहिए।
13. हेलीकॉप्टर की सुरक्षा हेतु 1–4 की आर्म्ड गार्ड लगायी जानी चाहिए जो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नजदीक आने से रोकेंगे।

हवाई जहाज द्वारा यात्रा

वी.वी.आई.पी. की ज्यादातर यात्राएं हवाई जहाज एवं हेलिकॉप्टर द्वारा ही होती है। आतंकवादी गतिविधियों के बढने के कारण वर्तमान समय में आतंकवाद का बोल बाला है तो हवाई जहाज से यात्रा को ही सुरक्षित पाया गया हैं। देश में कार्यरत विभिन्न उग्रवादी संगठनों के पास जमीन पर मार करने वाले विभिन्न हथियार हैं, रिमोट डिवाईस, मानव बम, बारूदी सुरंग आदि। खतरनाक साधन, विभिन्न छोटे बड़े उग्रवादी संगठनों के पास उपलब्ध है। हवाई यात्रा के दौरान उस विशेष हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर की सुरक्षा जाँच एवं जहाँ से वह उड़ान भरता हैं, उस स्थान विशेष पर ही सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। लम्बी दूरी की सड़क यात्राओं के दौरान सुरक्षा के प्रबंध करने में अत्यधिक सुरक्षा स्टाफ लगाया जाता हैं तथा सड़क यात्राएं भी वी.वी.आई.पी. के लिए थका देने वाली होती हैं। अतः 20–25 कि.मी. की यात्राएं भी हेलिकॉप्टर द्वारा ही की जाती हैं। जहाँ वायुसेना एवं सिविल एविऐशन द्वारा रनवे उपलब्ध है वहां पर वी.वी.आई.पी. हवाई जहाज से एवं जहाँ रनवे उपलब्ध नहीं है वहाँ अस्थाई हैलीपैड बनाकर हैलिकॉप्टर के लैण्ड की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है।

वी.वी.आई.पी. के एयर क्राफ्ट का चुनाव :–

हवाई यात्रा के दौरान वी.वी.आई.पी. के लिये दो इन्जन वाला हवाई जहाज होना आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो यह वाहन वायुसेना द्वारा लिया जाना चाहिए। एयर क्राफ्ट के सदस्य जिसमें पाइलट, को–पाइलट एवं फ्लाईट इंजीनियर का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। एयरपोर्ट के अलावा यदि किसी अन्य हवाई पट्टी पर खड़ा किया जाये तो वहाँ पुलिस की गार्ड तैनात की जानी चाहिए। पायलट के पास नियमानुसार आवश्यक अनुभव होना चाहिये।

एयर क्राफ्ट की ए.एस.सी. :–

वी.वी.आई.पी. के एयर क्राफ्ट की ए.एस.सी. रवानगी से 2 घण्टे पूर्व की जानी चाहिए। फ्लाईट इंजीनियर की उपस्थिति में ही ए.एस.सी. चैक होनी चाहिए।

स्थानीय पुलिस, आई.बी.टीम, तथा एस.पी.जी. के स्टाफ को एयर क्राफ्ट की एक ए.एस.सी. चैक लिस्ट दी जाएगी इसे 9 पॉइंट प्रॉफार्मा कहते हैं। एयर क्राफ्ट के संवेदनशील स्थानों जिसमें नोज एरिया, कोकपिट एवं टेल एरिया की जाँच करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉग स्क्वाड की मदद भी लेनी चाहिए।ए.एस.सी. पूर्ण होने पर 9 पोईन्ट प्रॉफार्मा भरवाकर लिया जाना चाहिए।

एयरपोर्ट, रनवे, वी.आई.पी लॉज और पार्किंग स्थल की ए.एस.सी.–

एयरपोर्ट

–सामान चैकिंग एरिया

–उन गाड़ियों की जो एयर क्राफ्ट के नजदीक तक जाएगी

–पैकेज लोडिंग वाहनजो एयर क्राफ्ट तक जाएंगे

–फ्यूलवाहन

पार्किंग एरिया

इन सब की ए.एस.सी. के पश्चात् वहाँ पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

1. एयरपोर्ट किसके नियंत्रण में है, इस बात को ध्यान में रखकर सुरक्षा प्रबंध किया जाना चाहिए।
2. पूरे हवाई अड्डे का ले आउट करके सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए।
3. एयर ट्राफिक कण्ट्रोल (ATC) पर सुरक्षा स्टाफ मय वायरलैस के लगाना चाहिए।
4. रनवे पर सुरक्षा स्टाफ लगाना चाहिए।
5. एयरपोर्ट से पुलिस कण्ट्रोल रूम तक की संचार व्यवस्था करनी चाहिए।
6. आवश्यकता हो तो बीच में रिफलेक्टर लगाने चाहिए।
7. वी.आई.पी की एयर क्राफ्ट पार्किंग पर रोशनी का प्रबंध होना चाहिए।
8. एयर क्राफ्ट में फ्यूलिंग, क्रू सदस्य, एयर क्राफ्ट के टेक ऑफ होने से 45 मिनिट पहले से मौजूद होने चाहिए।
9. आई एफ बोईंग में लगातार 4 घण्टे, एमआई–8 हैलिकॉप्टर में लगातार 2 घण्टे तक उड़ान का ईंधन होता है। अतः ट्रांजिट स्टेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
10. एयर क्राफ्ट की फ्यूलिंग के समय फ्यूल का सैम्पल लेना चाहिए और ऐसे सैम्पल को 30 दिन तक सुरक्षित रखना चाहिए। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री का सामान चैक नहीं होता है और वह सामान एस.पी.जी. की निगरानी में होता है, बाकी सभी प्रतिनिधियों का सामान चैक होता हैं।
11. एयर क्राफ्ट में उन्हीं लोगों को प्रवेश देना चाहिए जिनका नाम सूची में शामिल है।
12. एयर क्राफ्ट में सफाई आदि करने वाले कर्मचारियों की जाँच, सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में होनी चाहिए।
13. रात्रि के समय जहाँ एयर क्राफ्ट खड़ा हैं वहां सशस्त्र गार्ड लगानी चाहिए।
14. एयर क्राफ्ट में रखे जाने वाले भोजन एवं पेय पदार्थो की शुद्धता के बारे में संतुष्टि कर लेनी चाहिए। यह सामान कहां से आया, यह जानकारी होनी चाहिए एवं फूड सैम्पल ले लेना चाहिए।
15. एयर पोर्ट पर प्रेस व मीडिया के लोगों से मिलने की व्यवस्था पूर्व में कर लेनी चाहिए।
16. वी.आई.पी के आगमन के समय स्वागतकर्ताओं की संख्या कम रखी जानी चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल किया जाये जिनके नाम आयोजकों ने निश्चित किये हों।
17. वी.आई.पी. की रवानगी के बाद सुरक्षा स्टाफ व कारकेड, वीआईपी के अगले स्थान तक पहुँचने तक सुरक्षा स्टाफ को एक घण्टे तक विसर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

हेलिकॉप्टर–द्वारा यात्रा के समय सुरक्षा

1. प्रधानमंत्री की यात्रा में भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर उपयोग में लिये जाते है जिनकी संख्या तीन होती हैं।
2. हैलिपेड बनाने के लिये एक समतल स्थान का चुनाव जो 100X100 मीटरका होना चाहिए तथा ऐसा स्थान ज्यादा रेतीला या पथरीला नहीं होना चाहिए।

3. हेलिकॉप्टर उतरने व चढने वाली दिशा में लगभग 300 मीटर तक किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे, ऊँची इमारतें, बिजली, टेलीफोन की लाईन आदि नहीं होने चाहिए।
4. 4 मीटर से ऊंचा खम्भा नहीं होना चाहिए तथा 300 मीटर तक आस पास 10 मीटर से ऊंची कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।
5. हैलिपेड के चारों तरफ सुरक्षा स्टाफ तैनात किया जाना चाहिए।
6. हैलिपेड पर ट्रायल लैंडिंग कर लेनी चाहिए और यदि ग्राउण्ड स्टाफ द्वारा कमी बताई जाती है तो उसका निवारण करना चाहिए।
7. हेलिकॉप्टर के टैक ऑफ व लैंडिंग के समय बहुत ज्यादा धूल उड़ती है अतः हैलीपेड पर पर्याप्त मात्रा में पानी का छिड़काव करवाना चाहिए।
8. हैलिपेड के आसपास हेलिकॉप्टर को या वीआईपी को देखने के लिये भीड़ इकट्ठी हो जाती है तथा वीआईपी भी जनता से मिलना चाहते है अतः खुली जीप मय एक एस्कॉर्ट कार के हैलिपेड पर रखनी चाहिए ताकि वीआईपी उसमें बैठकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर सके।
9. हैलिपेड पर भारतीय वायुसेना के ग्राउण्ड स्टाफ के साथ तालमेल बनाकर रखें।
10. कारकेड वाहनों को बैरिकेडिंग के पास में इस तरह खड़ा करवाना चाहिए कि वे क्रमबद्ध रहें एवं जब कारकेड रवाना हो तो कोई गलती न हो।
11. वीआईपी कार एवं एस्कोर्ट–1 को एक निश्चित दूरी तक हैलिपेड के पास ले जाना चाहिए ताकि वो उसमें बैठ सके।
12. हैलिकॉप्टर से रात्रि में यात्रा नहीं की जा सकती है, सूर्यास्त के 30 मिनिट तक लास्ट लैंडिंग समय होगा।

वी.वी.आई.पी. की रात्रि विश्राम के समय सुरक्षा

वी.वी.आई.पी रात्रि विश्राम प्रायः सर्किट हाउस या राजभवन आदि स्थानों में करते हैं। रात्रि विश्राम में सुरक्षा करते समय निम्न बातों का ध्यान रहना चाहिए :–

1. पुलिस अधीक्षक या उच्च रैंक के अधिकारियों को विश्राम स्थल का प्रभारी नियुक्त करना चाहिए।
2. विश्राम स्थल के चारों तरफ कॉर्डन सिस्टम लागू कर सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. पूरे क्षेत्र का ए.एस.सी. करवाकर एक्सेस कण्ट्रोल लागू करना चाहिए।
4. विश्राम स्थल के पूरे ले आउट का जायजा लेना चाहिए। यदि चारों तरफ कम्पाउंड दीवार नहीं है तो बेरिकेडिंग करवानी चाहिए।
5. संवेदनशील स्थान पर ज्यादा स्टाफ लगाना चाहिए।
6. रोशनी की समुचित व्यवस्था हेतु इमरजेन्सी लाईट की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. विश्राम स्थल पर बड़े दरवाजों को बन्द कर देना चाहिए, केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी क्लीयरेंस सुरक्षा जाँच के बाद की गयी हो।
8. पैदल आने वालों के लिये अलग छोटे दरवाजे की व्यवस्था करनी चाहिए।
9. सभी प्रकार के सामान को सुरक्षा जाँच करके अन्दर भिजवाना चाहिए।

10. रसोई घर में स्टाफ व इस्तेमाल किया जाने वाला सामान, पानी आदि की जाँच अच्छी तरह करनी चाहिए, सामान के सैम्पल चैक करवाने चाहिए। वी.आई.पी. को दी जाने वाली भोजन सामग्री की फूड सैम्पलिंग कर लेनी चाहिए।
11. विश्राम स्थल के चारों तरफ गश्त के लिये स्टाफ मय वाहन तैनात किया जाना चाहिए।
12. फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वाहन, विश्राम स्थल पर होने चाहिए एवं इनका स्टाफ सावधान व सतर्क रहना चाहिए।
13. विश्राम स्थल के प्रत्येक द्वारों पर डी.एफ.एम.डी./एच.एच.एम.डी., एक्स–रे आदि लगाने चाहिए एवं फ्रिस्किंग स्टाफ लगाकर फ्रिस्किंग की जानी चाहिए।
14. वी.आई.पी. के कारकेड में लगी वी.आई.पी. गाड़ी, दोनों एस्कोर्ट गाड़ियां और पाइलट कार (सिक्युरिटी बॉक्स), एक ही स्थान पर यथा संभव पोर्च के पास पार्किंग की जानी चाहिए। अन्य गाड़ियां कम्पाउंड वाल के अन्दर एक स्थान पर खड़ी करके बाहर सशस्त्र गार्ड लगानी चाहिए। वी.आई.पी. के गनमेन/पी.एस.ओ. एवं रिंग राउंड स्टाफ को वी.आई.पी. के रूम के पास ही रहना चाहिए।
15. वी.आई.पी. और पी.एस.ओ के रूम में एक कॉल बेल लगानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वीवीआईपी रात्रि में पीएसओ को अपने पास बुला सके।

ब्ल्यू बुक के अनुसार नवीनतम संशोधित वी.वी.आई.पी. कारकेड

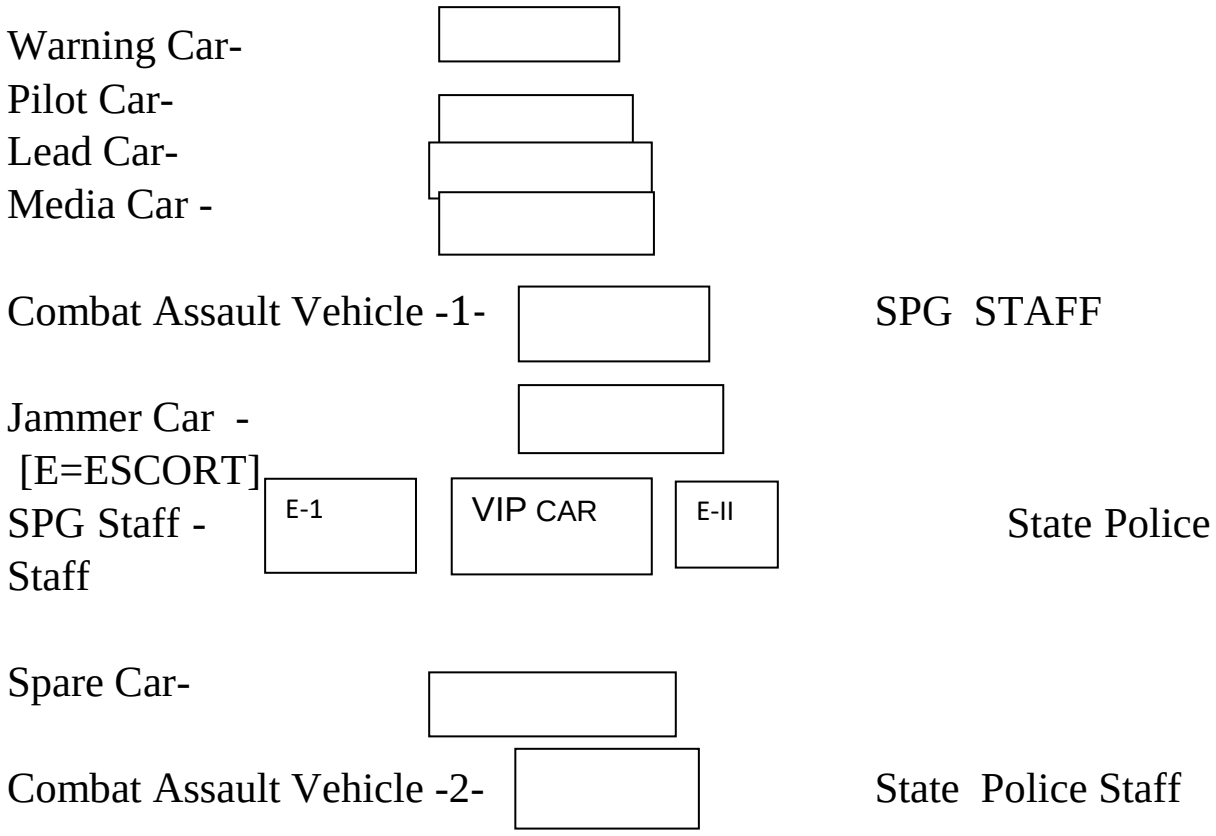

Party Car -

Army Vehicle-

Break Down Vehicle -

Ambulance Vehicle-

Tail Car-

कारकेड/मोटरकेड में सुरक्षा बॉक्स

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी गाड़ियों के काफिले में कुछ गाड़ियों को मिलाकर जो कि वी. वी.आई.पी. कार के आस पास चलती हैं, एक सुरक्षा बाक्स बनता हैं।

जिनमें निम्न गाडिया होती हैं–

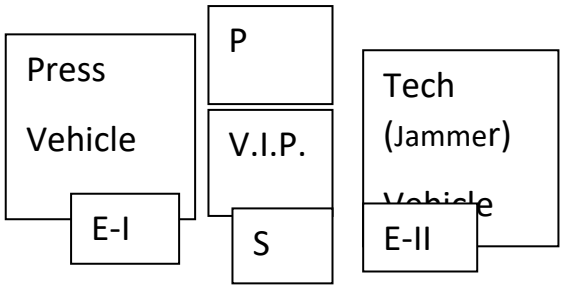

P- Pilot Vehicle

Tech. – Technical (Jammer)

Press - Vehicle

Media- Vehicle

V.I.P. –Vehicle

E-I –Escort First Vehicle

S – Spare Car

E –II – Escort Second Vehicle

इस प्रकार दर्शाई गई गाड़ियां जो कि वी.वी.आई.पी. कार के चारों तरफ एक तरह से घेरा बनाकर चलती हैं, को कारकेड का सुरक्षा बॉक्स कहते हैं। सुरक्षा की दुष्टि से उक्त बॉक्स में जो वाहन लगाए जाएंगे वे सब एक ही रंग एवं मॉडल के होने चाहिए।

प्रधानमंत्री जब किसी राज्य के दौरे पर आते हैं तो वहाँ के राज्यपाल/मुख्यमंत्री भी स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आते हैं। चलते समय ये लोग अगर प्रधानमंत्री के साथ उन्हीं की गाड़ी में नहीं बैठते हैं तो उनके वाहनों को भी कारकेड में स्थान दिया जाता हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की कार को कारकेड में, स्टाफ कार को जो कि निजी सचिव एवं चिकित्सक के लिए निर्धारित होती हैं, के तुरन्त बाद स्थान दिया जाता हैं। इनकी बाकी गाड़ियों को टेल कार के बाद रखा जाता है।

इस प्रकार से–

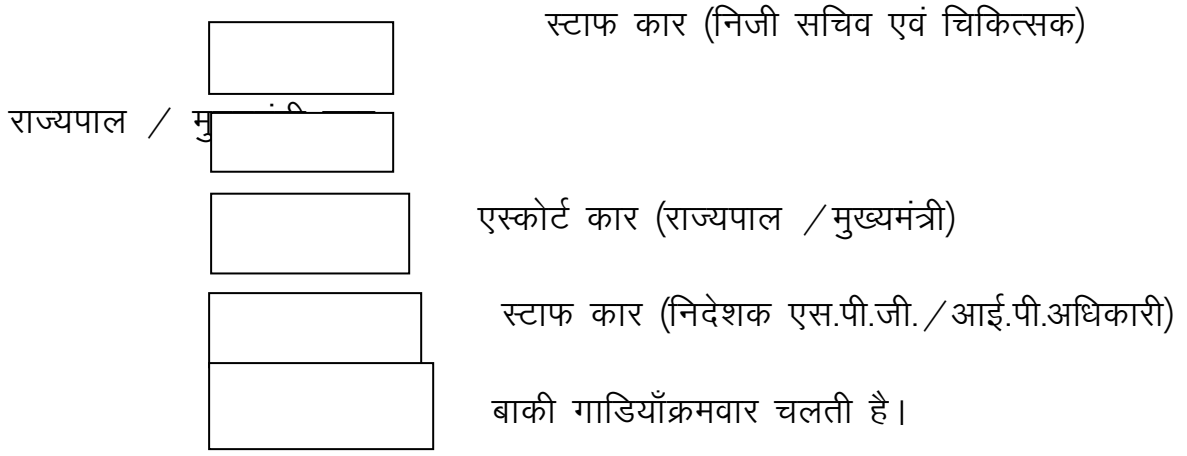

अगर राज्यपाल/मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के कारकेड मे उन्ही के वाहन में बैठकर यात्रा करते हैं तो इनकी सभी गाडियां कारकेड में टेलकार के बाद लगाई जाती हैं।

मोटरकेड/ कारकेड में ध्यान रखने योग्य बातें –

1. सभी गाड़ियांएक ही रंग तथा एक मॉडल की होनी चाहिए।
2. सभी गाड़ियां राज्य मोटर गैराज (स्टेट पूल) से मंगवानी चाहिए।
3. कारकेड में लगे चालक वाहन चलाने में विशेष कुशल होने चाहिए।
4. सुरक्षा बॉक्स में लगी गाड़ियों में चालक, पुलिस विभाग से या राजभवन /मुख्यमंत्री निवास से लगाना चाहिए।
5. सभी गाड़ियों को तकनीकी जाँच करवाने के बाद ही कारकेड में शामिल करना चाहिए।
6. कारकेड के सभी वाहनों को एन्टी सबोटाज चैक अच्छी तरह करवाना चाहिए।

7. कारकेड में गाडियों का स्थान गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही करना चाहिए।
8. कारकेड के प्रभारी अधिकारी द्वारा सभी चालकों एवं सुरक्षा में लगे स्टाफ को अच्छी तरह ब्रीफ करना चाहिये।
9. कारकेड में संचार के साधन मय ऑपरेटर उपलब्ध होने चाहिए। पूरा कारकेड संचार माध्यमों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वार्निंग कार, पायलेट कार, मीडिया कार एवं एम्बुलेन्स कार तथ टेलकार में ऑपरेटर अवश्य बैठाने चाहिए।
10. कारकेड के वाहनों की पार्किंग सभा स्थल के पास करनी चाहिए ताकि सुरक्षा स्टाफ समय पर कारकेड में अपना स्थान ग्रहण कर सकें।
11. एलाइटिंग पोईट पर एस्कोर्ट वाहन नं. 1 को हमेशा वी.आई.पी. कार के आस पास रखना चाहिए।
12. मीडिया कार में निर्धारित लोगों को ही बैठने देना चाहिए। केवल दूरदर्शन एवं सरकारी प्रेस के लोग, जो कि प्रधानमंत्री के साथ यात्रा कर रहे हैं, को ही स्थान दिया जाना चाहिए।
13. कारकेड प्लान निर्धारित करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ियों को अत्यधिक भीड़ वाले स्थानों से दूर रखें। सुरक्षा बॉक्स में जिनका स्थान निर्धारित हैं वो ही स्टाफ बैठता हैं अन्य लोगों को वहाँ स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
14. पाइलेट कार के अलावा किसी भी कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
15. चालक दल को हॉर्न का प्रयोग चलते हुए कभी नही करना चाहिए।
16. कारकेड की सभी गाड़ियों के टैंक फुल होने चाहिए।
17. कारकेड के सुरक्षा अधिकारी द्वारा सुरक्षा बॉक्स में तैनात स्टाफ एवं चालक दल के साथ मिलकर आपातकालीन योजना पर विस्तृत बात कर सभी को ब्रीफ करना चाहिए।
18. प्राईवेट कार में लगे अधिकारी, हवाई अड्डा एवं सर्किट हाउस आदि के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही यह भी मालूम होना चाहिए कि जरूरत पडने पर वी.वी.आई.पी. को किस रास्ते से सुरक्षित निकाला जा सकता हैं।
19. कारकेड के चालकों को वाहन की रफ्तार के बारे में पूरी तरह से निर्देशित करना चाहिए। चालक को गाड़ी को प्रथम गीयर में 0–10 किमी/घण्टा की रफ्तार से,द्वितीय गियर में 10 से 25 किमी की रफ्तार सेगाड़ी चलानी चाहिए।
20. आउटराइडर्स जो मोटर साईकिल पर सवार रहते हैं, अगर कारकेड में चलाये जाते हैं तो पूर्व में सुरक्षा ऐजेन्सियों को बातचीत कर निर्धारित कर लेना चाहिए कि सुरक्षा प्रदान करने में इनका कितना सहयोग रहेगा।
21. कारकेड के पास, नम्बर व स्टीकर आदि स्पेयर कार के बाद लगाने चाहिए। ये पास,वाहन के शीशे पर आगे–पीछे इस प्रकार चिपकाए जाने चाहिए ताकि चालक को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

22. जैसे ही वी.वी.आई.पी. चलने के लिए कारकेड की तरफ बढे, सभी चालकों को विशेष रूप से सुरक्षा बॉक्स के चालकों को अपनी–अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर लेना चाहिए। वी.वी.आई.पी. कार के चलते ही सभी कारों का चलना प्रारम्भ हो जाता हैं। सुरक्षा स्टाफ को चलती गाड़ियों में चढ़ने–उतरने का अभ्यास होना चाहिए।
23. वी.वी.आई.पी. की कार की सुरक्षा के लिए अलग से अधिकारी सादा वस्त्र में नियुक्त करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो एस्कार्ट नं. 2 से ही ऐसे अधिकारी को लगाना चाहिए, क्योकि रास्ते में वी.वी.आई.पी. के स्वागत के लिए खड़ी भीड़ को देखकर वी. आई.पी. रास्ते में उतरता है, तो एस्कार्ट–2 कार की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी तुरन्त कार को अपनी सुरक्षा में ले सकता है।
24. पूरे कारकेड की मय पूर्ण स्टाफ एक या दो रिहर्सल, यात्रा में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कर लेनी चाहिए। रिहर्सल के दौरान एस्कोर्ट नं. 2 कमाण्डर जो कि पूरे कारकेड का प्रभारी होता हैं, अगर कोई बात रिहर्सल के दौरान नोटिस करते हैं तो ब्रिफिंग में उस पर चर्चा करनी चाहिए। पूरे कारकेड का अधिकारी पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी होता है जो कि एस्कोर्ट कार नं. 2 में मूवमेन्ट के दौरान साथ रहता है।

4. व्यक्तिगत सुरक्षा
सुरक्षा की श्रेणी– जेड प्लस, जेड, वाई, एक्स

सुरक्षा श्रेणियाँ –

1. **X- (एक्स श्रेणी)**:– इस श्रेणी के वीआईपी व्यक्ति को पार्टी या एजेन्ट की मदद से आतंकवादी या दुश्मन लोग नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि कार्यों को जबरन करवाने के लिए नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अतः जहाँ ये ठहरते हैं वहाँ इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए **तीन शिफ्टों में एक – एक पी. एस. ओ.** छोटे हथियार के साथ लगाये जाते हैं।
2. **Y- (वाई श्रेणी)**:– यह श्रेणी **एक्स श्रेणी** से ज्यादा खतरे वाली श्रेणी हैं, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो प्रशासनिक, राजनीतिक तथा अन्य राज्यों/राष्ट्र से जुड़े हों जिन्हें किसी व्यक्तिगत बदले की भावना के कारण विरोधियों और आतंकवादियों की धमकियां मिलती रहती है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक–चारकी आर्म्ड गार्ड निवास स्थान पर लगाई जाती है और **तीन पारियों में 1–1 पी. एस. ओ.** छोटे हथियार के साथ लगाये जाते हैं तथा **एक–चार की आर्म्ड गार्ड निवास स्थान** रहती है।
3. **Y+ (वाई प्लस श्रेणी) :–** यह श्रेणी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के परिपत्र द्वारा केन्द्रीय प्रतिरक्षित व्यक्तियों के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिरक्षित व्यक्तियों के लिए खतरों के आधार पर जारी कर कुछ समय के लिए प्रदान की जाती है ।

भारतीय संविधान में यदि किसी पद का उल्लेख नहीं हैं लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नव पद सृजित किया जाता हैं

इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए **एक–चार की आर्म्ड गार्ड निवास स्थान** पर लगाई जाती है और **तीन पारियों में 2 पी.एस.ओ (1 वर्दीधारी 1 सादा वर्दीधारी) मय** छोटे हथियार के साथ लगाये जाते हैं।

इसमें **सुरक्षा इंतजाम लगभग जेड श्रेणी** के समान ही दिये जाते हैं।

उदाहरण– वर्ष 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद श्री **सचिन पायलट** प्रदेशाध्यक्ष थे उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण यह विशेष सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई थी। उप मुख्यमंत्री पद दिये जाने के बाद उन्हे Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई।

4. Z- (**जेड श्रेणी**):–इस श्रेणी में अत्याधिक खतरे वाले वीआईपी/वीवीआईपी आते हैं। जिन्हें अपनी पार्टी और व्यक्तियों या व्यक्तिगत बदले की भावना के कारण विरोधियों और आतंकवादियों से धमकियां मिलती हैं ऐसे वीआईपी किसी राजनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के पदाधिकारी हो सकते हैं। अतः इनके यहां **दो – आठ की आर्म्ड गार्ड आगे–पीछे के भाग में निवास स्थान पर**लगायी जाती हैं इसके अलावा **दो पीएसओ हर वक्त** वीआईपी के साथ रहते हैं जिनके पास रिवॉल्वर/पिस्टल कमाण्डो के पास रहेगी। **दिन में दो पारियों में एक–तीन के हथियार धारी एस्कोर्ट स्टाफ** साथ रहेंगे। इसके अलावा **निगरानीकर्ता (वॉचर्स) दिन रात हेतु एक– एक**रहेगा। एक्सेस कंट्रोल तथा एएससी करवाई जाएगी 1 ट्रेड ड्राइवर **(3 शिफ्ट)** लगाए जाते हैं।

5– Z+(**जेड प्लस श्रेणी**):– सबसे अधिक या सर्वाधिक खतरे वाले वीआईपी/वीवीआईपी इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें **बुलट प्रूफ वाहन, जैमर वाहन**उपलब्ध कराए जाते हैं **एस्कोर्ट के लिए तीन पारियों में हथियार धारी पार्टी** लगायी जाती हैं। **दो–आठ कीआर्म्ड गार्ड आगे औरे पीछे निवास स्थान पर** लगाई जाती है। **दो निगरानी कर्ता एकरात्रि में और एक दिन में** लगाए जाते हैं, इसके अलावा अन्य कोई अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझी जाए तो वह भी उपलब्ध करायी जाएगी। एक–तीन की दो एस्कोर्ट तीन शिफ्टों मे;Automatic Weapon & Bullet Proof Jacketभी इस श्रेणी के प्रतिरक्षित व्यक्ति की सुरक्षा में प्रदान किए जाते है।

वी0आई0पी0 की सुरक्षा के सम्बन्ध में चार श्रेणियाँ बनाई गयी हैं :–

श्रेणी	**इन्तजाम**
एक्स	1 पी.एस.ओ राउण्ड द क्लॉक 24 घण्टे। (कुल–3)
वाई	1 पी.एस.ओ हर समय (कुल 3 पी.एस.ओ 24 घण्टे) व **एक–चार की आर्म्ड गार्ड निवास स्थान** निवास स्थान पर 1 X 3 शिफ्ट में रहेगी।
वाई	**2 पी.एस.ओ (1 वर्दीधारी 1 सादा वर्दीधारी)** मय छोटे हथियार व

प्लस	**एक–चार की आर्म्ड गार्ड निवास स्थान** निवास स्थान पर 1 X 3 शिफ्ट में रहेगी।
जैड	2 पी.एस.ओ हर समय (कुल 6 पी.एस.ओ 24 घण्टे) जिनके के पास शॉर्ट एसएमजी वेपन होगा व दूसरे के पास शॉर्ट रेंज वेपन होंगे। आधुनिक हथियारों सहित डबल आर्म्ड गार्ड, एक आर्म्ड एस्कॉर्ट व 2 वाचर्स सादा वस्त्र में 1 ट्रेड ड्राइवर **(3 शिफ्ट)** लगाए जाते हैं।
जैड प्लस	जैड श्रेणी के अलावा एक बुलेट प्रूफ वाहन, बुलेट प्रूफ वाहन नहीं मिलने पर एक अतिरिक्त आर्म्ड एस्कॉर्ट दी जाएगी व जैमर वाहन, एस.पी.जी. का स्टाफ आता है तो दो वाहन मय वायरलैस के दुरूस्त हालत में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

PSO (Personal Security Officer)

PSOके गुण :–PSO,वी.आई.पी. के जीवन सुरक्षा हेतु अति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इसलिए PSO को VIP की छाया की तरह माना जाता है तथा VIP की सुरक्षा का कार्य PSOके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। वह अपना कार्य दक्षतापूर्वक कर सके इसके लिए उसमें कुछ गुण होने चाहिए क्योंकि वह आम पुलिस जन से अलग, विशेष कार्य संपादित करता हैं।

PSOकी योग्यताएं–

1. PSO की उम्र 21 से 35 के बीच होनी चाहिए।
2. PSOमें तीव्र बुद्धि, निर्णय क्षमता, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
3. PSO अच्छा निशानेबाज होना चाहिए तथा बिना हथियार की लड़ाई (यु.ए.सी.) में निपुण होना चाहिए।
4. अपनी ड्यूटी को भलीभाँति समझने वाला हो। VIP को अपनी बात व सुरक्षा के मामले में सलाह देने वाला हो।
5. VIP को किन किन बातों से खतरा हो सकता है, इस बात को अच्छी तरह से जानता हो तथा खतरों को किस प्रकार रोकना है इसकी क्षमता रखता हो ।
6. VIP की आदतों को जानता हो तथा VIP के मित्रों व साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को भलीभाँति पहचानता हो।
7. VIP की बीमारी व उसकी रूटीन मेडीसिन की जानकारी होने चाहिये।

PSO के कर्त्तव्य :–

1. अपने आपको VIP के इतने नजदीक रखे ताकि VIP पर पूर्ण नजर रहे एवं उनके पास आने जाने वालों पर भी नजर रख सके।
2. VIP के कार्यक्रम को कभी किसी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं बतायें।
3. VIP जब कार्यालय या निवास स्थान छोड़े तो PSO को चाहिए की वह उनके साथ छाया की तरह हो।
4. प्रत्येक सुबह VIP के वाहन को स्वयं चैक करायेंगे।
5. इस बात को सुनिश्चित करेंगे की VIP वाहन के दरवाजे अच्छी तरह लॉक है तथा रोड़ यात्रा के दौरान वाहन की पूरी सुरक्षा रखे। यदि VIP का वाहन कहीं ट्रेफिक सिग्नल पर या जाम पर रूका है तो किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार रहे।
6. VIP के साथ चलते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि VIP उनके द्वारा पूरी तरह से बॉडी कवर किया हुआ हो तथा उन्हे चलने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
7. ड्यूटी के समय अपने हथियारों को पूरी तरह लोड रखेंगे,कपड़ों में छुपाकर रखेंगे तथा उन्हे आसानी से निकाला जा सके ऐसी स्थिति बनाकर रखेंगे।
8. किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
9. रूट पर पड़ने वाले अस्पताल, सेफ हाऊस इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वीआईपी का ब्लड ग्रुप क्या है।
10. VIP के व्यवहार को समझने वाला तथा जब VIP एकान्त में हो तब भी सुरक्षित हो।

मोड्यूल F

आपदा प्रबन्धन

आपदा का अर्थ :–

आपदा जन–धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली वह घटना है, जो व्यापक रूप से विनाशकारी होती है। ''प्राकृतिक आपदा'' प्राकृतिक बदलाव अर्थात प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण के बदलाव के फलस्वरूप प्रकृति की सामान्य गतिविधियों में कम या अधिक बदलाव से पैदा होकर मानव जीवन व अन्य जीव–जन्तुओं के जीवन के सामान्य अनुक्रम में असहनीय बदलाव उत्पन्न होकर, जन हानि व सम्पति की हानि होने की स्थिति पैदा होना ही प्राकृतिक आपदा है, जिसका पूर्वानुमान लगाया जाना व नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकीन होता है।

आपदा के प्रकार :– (1) प्राकृतिक आपदा

(2) मानव जनित आपदा

(1) **प्राकृतिक आपदा** – यह ऐसी घटना है, जो प्राकृतिक प्रकोप के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें व्यापक रूप से जन–धन का नुकसान होता है, जिसमें मानव का योगदान नगण्य होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे – भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि। जिसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर मानव को सहायता पहुँचायी जा सकती है तथा बचाव व पुनर्वास के प्रयास किये जाते हैं।

(2) **मानवजनित आपदा** :– वह आपदा है, जो मानव के दैनिक कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हो, जैसे – बिजली से करण्ट फैलना, आगजनी, रासायनिक रिसाव, बम विस्फोट आदि।

आपदा प्रबन्धन योजना के निम्नलिखित छः चरण होते हैं :–

1. आपदा रोकथाम

2. आपदा का प्रभाव कम करना

3. आपदा से निपटने की तैयारी

4. आपदा आने पर कार्यवाही करना

5. आपदा राहत एवं पुनर्वास

6. आपदा एवं विकास

1. **आपदा रोकथाम** :– आपदा की रोकथाम के उपायों में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं, जो किसी प्राकृतिक प्रकोप को आपदा में परिवर्तित होने से रोकने के लिए किये जा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि समुद्री तूफान, बाढ़, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों को रोकने के लिए

कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आपदाकारी प्रभावों को रोकने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं। रोकथाम के कुछ उपाय राष्ट्रीय विकास के अन्तर्गत आते है जबकि अन्य का सम्बन्ध विशेष आपदा प्रबन्ध कार्यक्रमों के साथ है।

2. **आपदा का प्रभाव कम करना (Mitigation)** :– आपदा का प्रभाव कम करना आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख हिस्सा है। आपदा का प्रभाव कम करने के अन्तर्गत उन सभी उपायों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे किसी क्षेत्र के लोगों को आपदा से यथासम्भव बचाने में मदद मिलती है। आपदा प्रभाव कम करने की आधारभूत नीतियों में भूमि उपयोग को नियंत्रण करना, आपदा प्रतिरोधी आदर्श भवनों का निर्माण करना, सामुदायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना एवं भवनों के वास्तुशिल्प सम्बन्धी डिजाइन तैयार करना तथा चट्टानों को गिरने से रोकने के लिए अवरोधक खड़े करना आदि उपाय सम्मिलित हैं। इसमें गैर रचनागत उपायों में आपदाओं से रक्षा के लिए पर्याप्त कानून, नियम, बीमा एवं ऋण योजनाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय बनाना, उपयुक्त चेतावनी प्रणाली और संस्थाओं की स्थापना जैसे उपाय सम्मिलित है।

3. **आपदा से निपटने की तैयारी (Preparedness)** :– आपदाओं से निपटने की तैयारी सम्बन्धी उपाय, राष्ट्रीय आपदा तैयारी योजना के दायरे में आने चाहिए और साथ ही विशेष आपदा की स्थिति में केन्द्र, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर अल्प एवं दीर्घ अवधि की योजनाऐं बनाई जानी चाहिए। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकम्प जैसी आपदाओं के लिए अलग–अलग आपात योजनाएं, राहत योजनाएँ तथा पुनर्वास योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

4. **आपदा आने पर कार्यवाही करना** :– आपदा आने पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा दूसरी अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन पर तुरन्त यथासंभव कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसे सन् 1999 के उड़ीसा तूफान के कारण उपजी महामारी की आशंका।

5. **आपदा राहत एवं पुनर्वास** :– आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा के स्वरूप एवं सहने की क्षमता अनुसार राहत एवं पुनर्वास के कार्य चलाये जा सकते हैं। आपदा के उपरान्त सहायता की आवश्यकता, प्रकार, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करने में इससे सहायता मिलती है।

6. **आपदा एवं विकास** :– आपदाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास से होता है। जनहानि के अतिरिक्त अनेक ऐसी क्रियाएँ या तो मंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपदा से होने वाली क्षति विकास में बाधा बनती है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबन्धन एवं पुलिस

आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रायः स्थानीय प्रशासन एवं आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, हालांकि इसमें कई संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं को निरन्तर तैयारी की अवस्था में रहने की आवश्यकता रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। ऐसी सभी संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए ताकि सूचना मिलने पर अविलम्ब उसे क्रियाशील किया जा सके।

पुलिस को इस प्रकार की घटना की जानकारी प्रायः सबसे पहले प्राप्त होती है। अतः पुलिस को सूचना मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुंचकर घटना के विषय में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को सूचना का संप्रेषण करना, घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य को संरक्षित रखना, घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा क्षेत्र में फंसे लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य करना पड़ता है। यद्यपि इस कार्य में अग्निशमन सेवा, चिकित्सालय, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाऐं सम्मिलित रहती है, परन्तु समन्वय स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। स्थानीय प्रशासन पर विभिन्न संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिये, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के ढ़ाचे एवं कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि आवश्यकतानुसार सभी एजेन्सियां एवं संस्थायें प्रभावी कार्यवाही कर सकें। इस तरह की कार्ययोजना रहने पर जनहानि तथा सम्पति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये जिला पुलिस को अपने पास आपदा पुस्तिका (Disaster Manual) तैयार करके रखना चाहिये, जिसमें निम्नलिखित सूचनायें हों –

1. विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा का विवरण
2. आपदाओं के बारे में अफवाहें, जिन्हें दूर किया जाना होता है।
3. स्थानीय प्रशासन, जैसे– म्यूनिसपल, पंचायत के अधिकारियों के विषय में जानकारी
4. गांव, वार्ड, सेक्टर आदि का मानत्रित व विवरण
5. स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व
6. गैर–सरकारी संगठनों की सूची तथा उनके पदाधिकारियों के नाम
7. आपदा प्रबंधन के लिये सरकारी धन की व्यवस्था तथा अन्य स्रोतों के विषय में जानकारी
8. स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका
9. विभिन्न स्तरों पर प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण
10. समय–समय पर जागरूकता पैदा करने हेतु किये जाने वाले प्रदर्शन एवं अभ्यासों का विवरण
11. अभिलेखीकरण

आकस्मिक कार्ययोजना तैयार किया जाना

आकस्मिक कार्ययोजना में निम्न विवरण विस्तार से अंकित किये जाने चाहिये ताकि समय–समय पर स्थानान्तरण के उपरान्त पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन के लिये पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

1. क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी, क्षेत्र की बनावट (Topography)
2. जलवायु
3. जनसंख्या तथा उसकी संरचना, जाति, लिंग व धर्मवार
4. उद्योग व व्यापार
5. प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा – इसके अंतर्गत क्षेत्र में घटित प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं का इतिहास विस्तार से अंकित किया जाना चाहिये।
6. नेतृत्व का स्पष्ट उल्लेख, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख अवश्य हो –
    1. शासन का ढाँचा तथा विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों की शक्ति एवं उनका उत्तरदायित्व
    2. कमाण्ड
    3. आवश्यक सेवा प्रदाता संस्था की सेवाओं में भूमिका
    4. आकस्मिक एवं अन्य सेवा संस्थायें –
        - 4.1 चेन ऑफ कमाण्ड
        - 4.2 पता एवं टेलीफोन नम्बर
        - 4.3 अग्नि शमन, जलापूर्ति, चिकित्सा, यातायात, रेलवे, टेलीफोन, रेडक्रास सोसायटी, सिविल डिफेंस आदि संस्थाओं तथा गैरसरकारी संगठनों को इस सूची में शामिल किया जाये।
7. सूचना प्राप्त करने तथा उसके संप्रेषण की व्यवस्था
8. कन्ट्रोलरूम की स्थापना
9. विभिन्न संस्थाओं से संबंध रखने वाले/पदाधिकारियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर
10. घटनास्थल पर की जाने वाली व्यवस्था –
    1. प्रत्येक संस्था/विभाग के उत्तरदायित्व एवं कार्य का अभिलेखीकरण की जाने वाली व्यवस्था
    2. मौके पर पहले उपस्थित होने वाले पुलिस अधिकारी के लिये दिशा–निर्देश
    3. नियंत्रण कक्ष, स्टाफ, जाँचकर्ता अधिकारी तथा पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों के

उत्तरदायित्व

4. संबंधित विभाग को सूचना देना

5. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को सूचना देना

6. जीवित बचे लोगों के लिये कैम्प की स्थापना

7. घटना में मृत व्यक्तियों की पहचान हेतु अस्थाई मोर्चरी की स्थापना

8. क्षेत्र को खाली कराना

9. यातायात ट्रैफिक की व्यवस्था

10. सम्पत्ति की सुरक्षा

11. शांति व्यवस्था बनाये रखना

12. घटना की सूचना पर आने वाले वी.आई.पी. की सुरक्षा

13. घटनास्थल पर मीडिया को सही तथ्यों की जानकारी देने के लिये नोडल अफसर की नियुक्ति

14. मीडिया के लिये लाईजन अफसर की नियुक्ति

15. संचार व्यवस्था स्थापित करना

11. जनसाधारण को दी जाने वाली सूचना

11.1 लाउड स्पीकर की व्यवस्था

11.2 सही एवं स्पष्ट सूचना का प्रसारण

11.3 रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सही तथ्यों का संप्रेषण

12. बचाव कार्य।

13. मलबा हटाने का कार्य

14. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

14.1 स्वयंसेवकों तथा स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था

14.2 शैक्षिक संगठन– आपदा निवारण में स्वैच्छिक संगठनों की तैयारी, अनुभव एवं योग्यता का लाभ लेना

15. आकस्मिक कार्ययोजना का पूर्वाभ्यास एवं प्रदर्शन – समय–2 पर विभिन्न एजेन्सियों एवं मीडिया को साथ लेकर इस प्रकार के अभ्यास एवं प्रदर्शनी आयोजित करनी

चाहिये ताकि कार्ययोजना के बारे में शामिल लोगों, कर्मचारियों एवं सस्थाओं के साथ–2 आमजन में भी जागरूकता आ सके।

16. कार्ययोजना का मूल्यांकन – समय–2 पर आकस्मिक कार्ययोजना का मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा उसमें सूचनाओं को आवधिक किया जाना चाहिये।

(क) आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका –

आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पुलिस की केन्द्रीय भूमिका है। पुलिस निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है, जिसका नेटवर्क सदैव क्रियाशील रहता है। जब भी कोई आपदा घटित होती है, तो इसकी सूचना प्रायः सबसे पहले पुलिस थाने को प्राप्त होती है और सूचना के संबंधित को सम्प्रेषण, विभिन्न चरणों में राहत एवं बचाव कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं को सहयोग, घटना की विवेचना, अतिविशिष्ट लोगों की भ्रमण के दौरान सुरक्षा तथा घटना में प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा एवं पुनर्वास तक पुलिस समन्वयक की मुख्य भूमिका निभाती है, इसलिए आपदा प्रबन्धन में पुलिस द्वारा तैयार कार्ययोजना और उसका क्रियान्वयन आपदा के लिए किए गये अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपदा प्रबन्धन में पुलिस को परिणामों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

आपदा के प्रकार –

आपदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. प्राकृतिक आपदा

2. मानवजनित आपदा

दोनों ही प्रकार की आपदा में बड़ी संख्या में जनहानि तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल है क्योंकि प्रकृति पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इस प्रकार की आपदा को ईश्वरीय देन मानकर इससे निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, महामारी आदि के रूप में हो सकती है। इसके बारे में न तो कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, न ही इसकी विकरालता की पूर्व से जानकारी की जा सकती है। अतः इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए देश में उपलब्ध विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्य किया जाता है।

इसके विपरीत मानवजनित आपदा प्रायः मानव भूल या यांत्रिक त्रुटि के कारण होती है, जिसमें पूर्वानुमान लगाना सम्भव हो पाता है, परन्तु कई बार इसका पूर्वानुमान बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप चैरनॉविल आणविक दुर्घटना तथा भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनायें अप्रत्याशित थीं, जिन्हें दशकों बाद भी नहीं भुलाया जा सकता है। ये पूर्णतया मानव भूल एवं लापरवाही का परिणाम थीं। मानवजनित आपदा को पर्याप्त सावधानी तथा सतर्कता के द्वारा निश्चित रूप से टाला या कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आज के युग में आतंकवाद एवं आतंकी गतिविधियों के कारण पैदा की गयी आपदायें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आयी है। कुछ मानवजनित

आपदाएं निम्नांकित हैं, जैसे– वायु, रेल तथा जलयान दुर्घटना, आग, विस्फोट, भवन गिरने की घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आतंक एवं सामूहिक नरसंहार, युद्ध आदि।

पुलिस की भूमिका एवं कार्यक्षेत्र

1. **भीड नियंत्रण** – विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विगत अनुभव से माना है कि किसी घटना के होने पर जिज्ञासावश बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की और पहुंचना शुरू कर देते है, जिससे राहत कार्य में बाधा आती है, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। अतः ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. **यातायात व्यवस्था** – घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने तथा विभिन्न सेवा प्रदाता एजेन्सियो की पहुँच घटनास्थल पर हो, इसके लिये आवश्यक है कि सुचारू यातायात व्यवस्था की जाये। घटनास्थल से चिकित्सालय तथा सेवा प्रदाता संस्थान, जैसे – अग्निशमन दल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डो के बीच समानान्तर यातायात व्यवस्था बनायी जानी चाहिये ताकि ट्रैफिक के कारण कोई रूकावट पैदा न हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में लाउडस्पीकर, रेडियो एवं टी.वी. आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

3. **क्षेत्र की तलाशी एवं उसे खाली कराया जाना** – प्रायः घटनास्थल पर पुलिस ही सबसे पहले पहुंचती है। अतः उस समय घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिये तथा क्षेत्र को खाली कराये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि अन्य आवश्यक सेवा प्रदाताओं को परेशानी न हो। उसे पर्याप्त सावधानी के साथ हटाया जाना चाहिये। क्षेत्र को खाली कराये जाने अथवा आवश्कयतानुसार यदि घर के अंदर लोगों को रहने की अनुमति दी जाती है तो इस तरह की घोषणा पुलिस के द्वारा ही स्थिति के आवश्यक मूल्यांकन के उपरान्त लाउडस्पीकर से करनी चाहिये।

4. **सम्पत्ति की सुरक्षा** – घटना के बाद प्रायः आपराधिक तत्व चोरी, लूट–पाट आदि की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। अतः पुलिस को चाहिये कि लोगों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये तत्काल आवश्यक प्रबन्ध करे तथा आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की नामजद ड्यूटी लगायी जाये ताकि आम जनता की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके।

5. **घटना की आपराधिक विवेचना** – यदि आपदा के पीछे कोई आपराधिक कारण परिलक्षित हो तो पुलिस को इस विषय में तत्काल प्रथम सूचना अंकित कर विवेचना शुरू करनी चाहिए। इसके लिये खोजी कुते, बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर आने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिये। घटना की गंभीरता एवं महत्ता को देखते हुए विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की विभिन्न टीमें तत्काल गठित की जानी चाहिये। इस दौरान उपलब्ध लोगों के साक्ष्य, उन व्यक्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग, घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य आदि को

एकत्रित कर लेना चाहिये। यदि गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिये तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6. **नियंत्रण कक्ष की स्थापना** – घटना के तत्काल बाद सूचनाओं के आदान – प्रदान, प्रेस एवं मीडिया को तथ्यों की सही जानकारी देने तथा अफवाहों को शांत करने के उद्देश्य से एक वृहद् नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें आवश्यकतानुसार आम आदमी, मीडिया तथा बचाव कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अलग – अलग उपनियंत्रण काउण्टर्स लगाये जाने चाहिये। काउन्टर्स पर जिम्मेदार एवं सहनशील पुलिसकमी तैनात किये जाने चाहिये, जो विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते हों, संवेदनशील हो तथा अपने कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये पूर्व में परखे जा चुके हों। इनके पास घटना की अद्यतन जानकारी तथा घायल/मृतकों के विषय में विवरण निरन्तर उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि सही सूचना का आदान–प्रदान हो सके। इन नियंत्रण उपकेन्द्रों के लिये निर्धारित टेलीफोन नम्बरों को रेडियो, टी.वी. एवं अन्य संचार के माध्यमों से जनसाधारण को उपलब्ध कराने हेतु पुलिसकर्मी तैनात किये जाने चाहिये। नियंत्रणकक्ष में अभिलेखीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो वहां प्राप्त होने वाली एवं दी जाने वाली सूचना को रिकॉर्ड किया जाना चाहिये। इन घटनाओं के बाद होने वाली विभिन्न प्रकार की न्यायिक एवं अन्य जाँचों में इस तरह के अभिलेखों के होने पर काफी सुविधा होती है।

7. **वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. भ्रमण** – आमतौर पर बड़ी घटनाओं के तत्काल बाद राजनैतिक कारणों से विभिन्न विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य राजनैतिक व्यक्तियों का तुरन्त आगमन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि शांति व्यवस्था की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन महानुभावों की सुरक्षा के लिये अलग से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये। राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए पुलिसकर्मियों को इस कार्य से अलग रखा जाना चाहिये क्योंकि यदि उन्हें महानुभावों की सुरक्षा तथा राहत कार्य करने की दोहरी जिम्मेदारी दी जायेगी तो किसी भी कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं पायेंगे। प्रयास यह किया जाना चाहिये कि इस तरह के राहत एवं बचाव कार्य में बाधा न उत्पन्न होने पाये। इस सम्बन्ध में पुलिस के अधिकारियों को महानुभावों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उन्हें यथासम्भव जनहित में भ्रमण स्थगित करने हेतु अनुरोध भी करना चाहिये। यदि पर्याप्त पुलिस उनकी सुरक्षा हेतु उपलब्ध नहीं है तो ऐसे महानुभावों को भ्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

8. **मृतक एवं घायलों की शिनाख़्त** – मृतकों एवं घायलों की शिनाख़्त हेतु एक अलग पुलिस टीम बनायी जानी चाहिये, जो उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को तरतीबवार संकलित कर उनके चिकित्सा के स्थान,

पोस्टमार्टम एवं अतिम संस्कार आदि का पूरा रिकॉर्ड रखे। मृतकों की शिनाख़्त करने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण, शव को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का फोटोग्राफ तथा उनका विवरण अच्छी तरह तैयार करना चाहिये क्योंकि कई बार इस तरह की आपदाओं के बाद घोषित होने वाली सहायता राशि को प्राप्त करने के लिये अनधिकृत व्यक्ति मृतक को अपना रिश्तेदार बताकर धन लेने का प्रयास करते हैं तथा मृतकों के नाम–पते गलत दर्ज करा दिये जाते है, जिससे बाद में कई कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाती है। अतः घायलों तथा मृतकों की शिनाख्त तथा घटनास्थल से अस्पताल, राहत केन्द्र, मुर्दाघर तथा उनके अंतिम संस्कार स्थल तक स्पष्ट छायांकन तथा अभिलेखीकरण किया जाना चाहिये।

9. **स्वागत केन्द्र** – आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बड़ी दुर्घटनाएँ या बम विस्फोट आदि के उपरांत बड़ी संख्या में दूर–दराज क्षेत्रों से घायल तथा मृतकों के रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एकत्रित होते है। जिनको सही जानकारी देने तथा इनके ठहरने के लिये स्वागत केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, जैसे इनके बैठने, खाने–पीने आदि की व्यवस्था करायी जानी चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों के स्वयंसेवकों को इनके सहायतार्थ लगाया जाना चाहिये, जोकि किसी पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करें।

10. **विदेशियों के बारे में सूचना** – यदि किसी विदेशी नागरिक की घटना में घायल या मृत्यु होती है तो पुलिस को चाहिये कि उसके संबंध में विस्तृत सूचना 'वियना कन्वेंशन' में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संबंधित देश के दूतावास को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।

(ख) बचाव एवं राहत :

प्राकृतिक आपदा, जैसे– बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे– सुखा, तूफान, आगजनी की घटनाएं एवं गम्भीर दुर्घटनाएँ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष केबिनेट मंत्री स्तर का होता है। प्राधिकरण में आठ अन्य सदस्य राज्यमंत्री स्तर के होते है। प्रत्येक सदस्य का कार्यक्षेत्र विभाजित होता है, जो समस्त राज्यों में फैला होता है। अपने कार्य निष्पादन हेतू प्राधिकरण ने एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक एवं ज्ञान के आधार पर अपने कार्य सम्पन्न करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सचिवालय में एक सचिव होता है, जो निरंतरता व समन्वय बनाये रखता है। जिसके अधीन आपदा प्रबन्धन के दो उप विभाग (विंग) होते हैं।

आपदा प्रबन्धन विंग प्रथम :–

जो आपदा न्यूनीकरण, तैयारी पुनःनिर्माण समूह, जागरूकता एवं वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्थाएँ देखता है।

आपदा प्रबन्धन विंग द्वितीय :–

जो विभिन्न राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्रों के बीच समन्वय, प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग आदि पर कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य व जिम्मेदारियाँ :–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्ध हेतु कार्ययोजना बनाना, उनको लागू करना व उनका मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। इसके कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

1. आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य नीति तैयार करना
2. राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना
3. विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप स्वीकृत करना
4. राज्यों के लिए उनकी योजनाओं हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना।
5. केन्द्र के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के लिए आपदाओं से निपटने, उनकी रोकथाम, आपदाओं का असर कम करने के लिए एवं उनसे जुड़े विकास के कार्य व प्रोजेक्ट के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना
6. आपदा प्रबन्धन की नीतियों का बेहतर समन्वय एवं उन्हें लागू करना
7. आपदाओं के न्यूनीकरण की योजनाओं के लिए धन प्रबन्धन करना
8. केन्द्र सरकार के निर्देश पर अन्य देशों को आपदा प्रबन्धन में सहयोग करना
9. नेशलन इन्सटीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नीतियां एवं दिशा–निर्देश जारी करना

राज्य आपदा उत्तरदायी कोष (SDRF) :–

जिस तरह NDMA किसी राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत तरीके से निवारण कार्य करती है, उसी तरह SDRF भी प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करती है।

विभिन्न आपदाओं में बचाव व राहत कार्य :–

बाढ़ :–

बाढ़ आने का कारण अत्यधिक वर्षा का होना है, जिसमें पानी नदी, नालों व बांधों को तोड़ कर बाहर फैल जाता है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। बाढ़ के दौरान पुलिस के कर्तव्य निम्न है –

1. प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को जनता तक अधिक से अधिक तीव्र पहुँचाएं व सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दें। जैसे किसी बांध से अधिक पानी की निकासी पर नीचे के क्षेत्रों को सूचना तीव्रता से पहुँचाए, जिससे पानी का स्तर बढ़ने तक वो अपने जन व धन को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके।

2. बाढ़ आने की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को पहुंचना चाहिए एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए एवं उनकी सम्पत्ति के नुकसान से बचाने के भी उपाय किए जाएँ।

3. बाढ़ आने से पूर्व ही पुलिस को बाढ़ निरोधक उपकरण, जैसे नावें, लाइफ जैकेट, रस्से, मिट्टी के कट्टे (बोरे) आदि तैयार रखने चाहिए, अच्छे तैराकों से सम्पर्क होना चाहिए।

4. कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाऐं व बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा बाढ पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रेरित कर उनसे सहयोग लेना चाहिए।

5. बाढ़ के दौरान बदमाश व अपराधी तत्व लोगों की सम्पत्ति को हड़पने व लूटमार करने की कोशिश करते हैं। अतः ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द आवश्यक सेवाएं, जैसे बिजली, पानी, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध करवाने हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

ज्वालामुखी :–

ज्वालामुखी धरातल के उन प्राकृतिक छिद्रों को कहते हैं, जिनसे होकर लावा तथा गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गर्म लावा, तप्त गैसें, उष्ण जल एवं अन्य पदार्थ एक दरारनुमा गोलाकार छिद्र से बाहर निकलते हैं, जिसे ज्वालामुखी नली (वोलकैनिक पाइप) कहते हैं। इसके उपरी भाग को ज्वालामुखी कहते हैं।

पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न आपदाओं में ज्वालामुखी का प्रमुख स्थान है। ज्वालामुखी क्रिया एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा के रूप में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणीय स्वरूपों पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। ज्वालामुखी उद्‌गार से निःसृत ज्वलंत लावा प्रवाह, विभिन्न प्रकार के ठोस टुकड़े तथा विषैली गैसे अपना दुष्प्रभाव पर्यावरण पर छोड़ते हैं। मानव निर्मित भवन, छोटे – बड़े बांध, सड़कें, जलाशय आदि का नुकसान होता है। ज्वालामुखी की राख काफी दूर दराज तक कई हजार किलोमीटर तक फैल जाती है, जिससे हवाई यात्राऐं कई दिनों तक प्रभावित हो जाती है।

भूस्खलन :–

भुस्खलन एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। इस घटना में भूमि का एक भाग टूटकर निम्नतर भागों की ओर खिसकता है। यह क्रिया गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्राकृतिक रूप से होती है। यह क्रिया अधिकांशतः पर्वतीय उच्च प्रदेशों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ तीव्र ढ़ाल पाया जाता है, चट्टानों का विशाल भाग खिसककर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को जन्म देता है। स्विटजरलैण्ड, नार्वे तथा कैनेडियन स्वकीय पर्वत आदि में गाँव को तीव्र दाल क्षेत्रों के तटीय भागों में बनाते हैं, जहाँ भूस्खलन से कई हजार लोग मारे जाते है, गाँव के गाँव तवाह हो जाते हैं, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। भूस्खलन अधिकतर वर्षा के दिनों में होता है।

सूनामी :–

सुनामी विशाल सागरीय लहरें हैं, जो मूलतः सागरीय तलों में आने वाले भूकम्प एवं भूस्खलन के कारण होती है। यह एक विनाशकारी सागरीय लहर के लिए प्रयुक्त जापानी शब्द है, जो दो शब्दों TSU = Harbour (पोताश्रय) Nami = waves (लहर) से मिलकर बना है। समुद्र में भूकम्प के कारण कम्पन से समुद्री लहरें काफी ऊँचाई तक उठती है, जो भूकम्प की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। कई बार इन लहरों की ऊँचाई 30 मीटर तक होती है, जो समुद्रतटीय इलाकों से टकराने के बाद भयंकर विनाश मचाती है। सुनामी से भारी जन–धन की हानि होती है। 26 दिसम्बर 2004 को इण्डोनेशिया, म्यांमार, भारत, श्रीलंका तथा मालदीव में आयी सुनामी ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें करीब 1 लाख 60 हजार लोग मारे गए। 11 मार्च 2011 में जापान में सुनाची से सेन्दई शहर पूरी तरह तबाह हो गया, जहाँ करीब 15000 व्यक्ति मौत के गाल में समा गए एवं फ्यूकोसीमा परमाणु संयन्त्र में भारी तबाही हुई है।

भूकम्प :–

हमारे देश में कई भागों में भूकम्प आने की घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण जन व धन की काफी हानि होती है। वर्ष 1993 में महाराष्ट्र में लाटूर व किल्लारी में व 26 जनवरी 2000 को गुजरात में आए भूकम्प ने बड़े पैमाने पर जन व धन की हानि पहुंचाई। भूकम्प नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार भूकम्प की तीव्रता 1 से 9 तक होती है, तीव्रता की प्रत्येक इकाई वृद्धि के साथ इसकी शक्ति बढ़कर 10 गुना हो जाती है। सामान्यतया 5 तक के मान वाले भूकम्प से नुकसान नहीं पहुंचता है।

भूकम्प पीड़ितों के लिए पुलिस के निम्न कार्य है :–

1. भूकम्प आने की सूचना मिलने पर पुलिस को तुरन्त भूकम्प पीडित क्षेत्र में पहुंच कर घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. सभी सरकारी ऐजेन्सियों व उच्चाधिकारियों को तुरन्त सूचना देकर निजी व सरकारी संस्थाओं से उचित समन्वय स्थापित कर भूकम्प पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।

3. मलबे में दबे व्यक्तियों को निकालने की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

4. भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में पुलिस गार्ड/गश्त लगानी चाहिए ताकि असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर रोकथाम लग सके व लोगों की सम्पति सुरक्षित रह सके।

5. भूकम्प पीडित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर रिलीफ कैम्प लगाने चाहिए।

चक्रवाती तूफान/तूफान :–

यह प्राकृतिक आपदा है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। तूफान अक्सर स्थानीय किस्म के होते है, परन्तु इसकी गति के कारण इसकी भयावहता काफी अधिक होती है। इसके अत्यधिक वेग के कारण इसमें अधिक शक्ति होती है, जिसके कारण जन–धन को अधिक नुकसान पहुंचता है।

चक्रवाती तूफान विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जो अपने समुद्री पानी को तीव्र गति से अन्दरूनी इलाकों में ले जाते हैं, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो जाता है।

तूफान ग्रसित क्षेत्रों में पुलिस को निम्न भूमिका निभानी चाहिए :–

1. तूफान आने की पूर्व सूचना इलाके में प्रसारित करें, व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दें।

2. तूफानग्रस्त क्षेत्रों के बारे में उच्चाधिकारियों को सूचित करें व उनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

3. तूफान में फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की पूरी मदद करें व अन्य विभागों से तालमेल करें।

4. तूफान पीडित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था करें।

5. तूफान पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए गैरसरकारी संस्थान व सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित करें।

6. यातायात व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करें।

अकाल :–

यह एक प्राकृतिक विपदा है, जो वर्षा न होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि लगातार कई वर्षों तक वर्षा न हो तो उस क्षेत्र में फसल नहीं होती है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा क्षेत्र में खाद्य सामग्री की

कमी हो जाती है तथा लोगों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, उनके आय के स्रोत घट जाते हैं एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान प्रदेश, जो वर्षा के ऊपर काफी निर्भर है, अक्सर अकाल जैसी त्रासदी का सामना करता है फिर भी विगत कुछ वर्षों में नहरी पानी, बेहतर समन्वय व सरकारी प्रयासों से इसके असर को कम करने में मदद मिली है।

अकाल की स्थिति में पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए :–

1. अवैध संग्रहण व काला बाजारी पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जिन व्यक्तियों/व्यापारियों ने अनाज गोदाम में भरकर छिपा रखा है व काला बाजारी कर रखी हो, उन पर छापे मारकर उनके खिलाफ सम्बन्धित विभाग से मिलकर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही बनाए रखने के लिए अनाज व आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखें व दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।
3. अकाल पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर उन्हें प्रेरित करें।
4. असामाजिक व गुण्डा तत्वों पर निगरानी रखे व लोगों के जान व माल की रक्षा करें।
5. अकाल की स्थिति में स्थानीय लोग दूर–दराज के क्षेत्र में आते–जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों पर नजर रखे।

आगजनी की स्थिति में

आग लगने पर पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए –

1. आग लगने की स्थिति की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम फायर ब्रिगेड को व उच्चाधिकारियों को सूचित करें।
2. घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए व पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास करने चाहिए तथा इलाज के लिए उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. घटनास्थल से सम्पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिए व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रखना चाहिए एवं जब तक फायर ब्रिगेड न पहुंचे, तब तक स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
5. फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए उसके आवागमन को घटनास्थल तक सुनिश्चित करना चाहिए।

6. फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

7. यदि आग तेल डिपो, पैट्रोल पम्प आदि पर लगी हो तो अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें, प्रभावित आग क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से विभाजित करना चाहिए, जिससे आग फैलने से रोकी जा सकती है।

8. स्थानीय संसाधन जैसे रेत के बोरों का प्रयोग करना चाहिए।

बम विस्फोट :–

बम या बम विस्फोट की सूचना मिलने पर सुरक्षा से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य :–

1. जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शांति बनाये रखना चाहिए।

2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें, उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए।

3. सूचना देने वाले से अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें।

4. जहां बम विस्फोट हो गया है, वहा से आमजन को दूर रखे, उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें, लोगों की आवाजाही उस स्थान से बंद रखें।

5. घटनास्थल पर दक्ष व प्रदर्शित दस्ते को नियुक्त करें।

6. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए एवं इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें।

7. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहे।

8. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन को दें।

9. मलबा हटाने की व्यवस्था करें, अन्य विभागों से इस कार्य में सहयोग प्राप्त करें।

10. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।

11. आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।

12. बचाव दलों को घटनास्थल के बारे में सही जानकारी दें, जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।

13. सूचना केन्द्र/कन्ट्रोल रूम में विस्फोट में घायल व मृत व्यक्तियों की सूचना भिजवाएं।

गम्भीर दुर्घटनाएं (Accident) :–

आज हमारा देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। इस तकनीक युग में छोटी सी गड़बड़ी या मानवीय मूल गम्भीर दुर्घटना को अंजाम दे देती है, जिसमे हमें भारी जन व

धन की हानि उठानी पड़ती है तथा मौके पर अफरा – तफरी मच जाती है। चाहे वो ट्रेन एक्सीडेन्ट हो, गम्भीर सड़क दुर्घटना, बम विस्फोट की स्थिति हो तो पुलिस की भूमिका ऐसी परिस्थिति में अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है।

पुलिस के कर्तव्य :–

1. घटनास्थल पर बिना विलम्ब के पहुंचकर स्थिति का जायजा लें।
2. सर्वप्रथम घटनास्थल/मौके पर घायल व फंसे हुए व्यक्तियों को निकाल कर उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् अस्पताल पहुंचाए।
3. यदि मौके पर वाहनों में या दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी में लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने की व्यवस्था की जावे। गैस कटर इत्यादि।
4. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों व रेलगाड़ियों में यात्रियों का सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय बल तैनात किया जाए।
5. मौके पर राहत कार्य के लिए स्थानीय लोगों व स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करें।
6. मौके से लगातार उच्चाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित रखें व अन्य विभागों से बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित करें।
7. बचाव कार्य में मौके पर डाक्टर, एम्बुलेंस व 108 को बुलाएं व उनकी सेवाएं प्राप्त करें।

नमूना प्रश्न पत्र

प्रश्न 1 : भीड किस कहते है? यह कितने प्रकार की होती है? भीड नियन्त्रण के लिए विभिन्न कानूनों में वर्णित विधिक प्रावधानों का वर्णन करें।

प्रश्न 2 : वीआईपी सुरक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हुए वीआईपी की श्रेणियां तथा उनके संबंध में वर्णित सुरक्षा प्रावधानों पर टिप्पणी लिखिए।

प्रश्न 3 : एक थानाधिकारी के रुप में आप अपने क्षेत्र में सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगें? सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अन्य विभागों से किस प्रकार समन्वय बनाया जाना चाहिए। स्पष्ट करें।

प्रश्न 4 : आसूचना किसे कहते है? आसूचना संकलन की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हुए काउण्टर इन्टेलीजेंस को समझाइए।

प्रश्न 5 : निम्नांकित पर टिप्पणी लिखें –

(क) आपदा प्रबन्धन

(ख) आन्तरिक सुरक्षा योजना

(ग) यातायात अभियांत्रिकी

(घ) निवारक निरोध

(ङ) ट्रैफिक बीट

प्रश्न 6 : समूह गतिकी को परिभाषित करते हुए समूह व्यवहार के व्यक्तिगत व्यवहार पर प्रभाव को स्प्ष्ट कीजिए।

प्रश्न 7 : वीआईपी सुरक्षा के अन्तर्गत वीवीआईपी आवास की सुरक्षा एवं वीवीआईपी के कारकेड के संबंध में विस्तृत जानकारी दीजिए।

प्रश्न 8 : राज्य विशेष शाखा के संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख कार्यों पर टिप्पणी अंकित कीजिए।

प्रश्न 9 : आसूचना संकलन के तकनीकी माध्यमों पर विस्तृत टिप्पणी अंकित करें।

प्रश्न 10 : निम्नांकित पर टिप्पणी अंकित करें :–

1. काउण्टर इन्टेलीजेंस
2. सोर्स एवं एजेण्ट